राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार

22 मार्च, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र-गीत

श्री अध्यक्ष : राष्ट्र गीत।

(वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम्। मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।

फुल्ल कुसुमित धुमदल शोभिनी।

सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी।

सुखदाम्, वरदाम्, मातरम्।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।)

शपथ एवं प्रतिज्ञान

(सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा नाम पुकारे जाने पर निम्नांकित नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया) : —

क्र.सं.	नाम-सदस्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री अशोक गहलोत	शपथ	हिन्दी
2.	श्री लक्ष्मण सिंह रावत	शपथ	हिन्दी
3.	श्री हबीबुर्रहमान	शपथ	हिन्दी
4.	श्री हीरालाल देवपुरा	शपथ	हिन्दी

सन्देश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 15 जनवरी, 1999 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है : —

"अर्द्धशाकीय पत्र संख्या पं. 7(10) रा. भ./98/211 दिनांक 16 जनवरी, 1999"

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्धशाकीय पत्र संख्या एफ. 10(1)सदन/विस/98/3926 दिनांक 15 जनवरी, 1999 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ

अंशुमान सिंह"

तारांकित प्रश्नोत्तर

डा. जसवन्त सिंह यादव।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

1. डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में वर्तमान में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कहां-कहां कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त क्षेत्र में एक भी 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत आपूर्ति में असमानता है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त असमानता को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में कोई 132 के.वी., जी.एस.एस. कार्यरत नहीं है।

(2) 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने हेतु निम्न मानदण्ड हैं :—

(अ) प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 16 एम.वी.ए. व शहरी क्षेत्र में 10-12 एम.वी.ए. के लोड़ आने की संभावना हो।

(ब) (i) 33 के.वी. फीडर (जो बाद में 132 के.वी. सब स्टेशपन से जोड़े जायेंगे) पर वोल्टेज रेगुलेशन 9 प्रतिशत से या डिमांड लोसेज 5 प्रतिशत से अधिक हो, या

(ii) सब स्टेशन की स्थापना से लाइन लोसेज में समुचित सुधार हो, और

(iii) सब स्टेशन की स्थापना से सिस्टम में स्टेबिलिटी हो यानी नजदीकी किसी सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में त्रुटि आने पर उसका लोड प्रस्तावित सब स्टेशन से दिया जा सके।

(स) 220 के.वी. सब स्टेशन की बाउण्ड्री में ही 132 के.वी. सब स्टेशन बनाने पर लोड़ इत्यादि की उपरोक्त शर्तें पूरी हों।

(द) वर्तमान में क्रम संख्या (1) के अनुसार लोड़ न होते हुए भी भविष्य में लोड आने की संभावना हो, परन्तु उस समय राइट-आफ-वे में दिक्कत आने की संभावना हो।

(3) विद्युत मण्डल की 28-3-1997 की बैठक में मण्डावर (जिला अलवर) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाना स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना के लिए बैंक आफ बड़ौदा ने ऋण स्वीकृत किया है तथा इसे वर्ष 1999-2000 में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। विद्युत की वर्तमान उपलब्धि तथा उपलब्ध विद्युत तंत्र के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि क्षेत्र की सप्लाई सात-आठ घंटे

(डा. चन्द्रभान)

की तीन पारियों में ही की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू सप्लाई भी कृषि क्षेत्र में तंत्र से जुड़ी हुई है। अतएव ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को आठ घंटे से अधिक आपूर्ति करना संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सायंकाल समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शनों के लिए सिंगल फेजिंग के द्वारा बिजली आपूर्ति के प्रयास किये जाते हैं।

(5) उपरोक्त परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करना संभव नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर की असमानता के बारे में मैंने पूछा है। गांव के किसानों की फसल खड़ी हुई थी, किसानों ने बिजली का बिल जमा करा रखा था, उनकी तरफ आर. एस. ई. बी. का कोई बकाया नहीं था लेकिन जिन किसानों ने बिजली का बिल नहीं जमा करा रखा था उनके कनेक्शन के साथ में जो भी उस लाइन से कनेक्शन जुड़े हुए थे, वे कनेक्शन काट दिये जिससे हजारों किसानों की फसल बरबाद हो गई। क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? सरकार ने उनको किस बात की सजा दी है? लोग कोर्ट तक में गये हैं हर क्षेत्र के अन्दर। यह मंत्री महोदय के दिमाग से निकल गया।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक ऐसी घोषणा कर दी कि राजस्थान कंगाल हो गया है। तो जहां भी गांव के लोग 132 जी.एस.एस. या एईएन., जे. ईएन. के आफिस में जाते हैं, गांवों के ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं उनको मंगाने के लिए, तो वे कर्मचारी गांव वालों को जवाब देते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हम कहां से मंगाएं उनसे हजार-हजार रुपये लेकर ट्रांसफार्मर मंगाये जाते हैं। इस बारे में मंत्रीजी बता पाएंगे कुछ?

तीसरा, एक गांव के अन्दर अगर एक घर का बिजली के कनेक्शन का पैसा जमा नहीं हुआ तो पूर गांव की लाइन काट दी गई जिससे हजारों बच्चों का जीवन खराब हो रहा है, आज परीक्षा के दिनों में वे बच्चे पढ़ नहीं पा रहें हैं। इसका मंत्रीजी मुझे जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने उपभोक्ता हैं और शहरी क्षेत्र में कुल कितने उपभोक्ता हैं?

डा. चन्द्रभान : इससे रिलेटेड नहीं है सवाल।

डा. जसवन्त सिंह यादव : जो किसानों के कनेक्शन कटे हैं, जिन्होंने पैसा जमा करा रखा था, उनकी फसल बरबाद हुई, उनका क्या करेगी सरकार, या उनका क्या करने जा रही है सरकार?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई मामला मेरी निगाह में नहीं आया है कि जिनकी कोई बकाया नहीं हो उनका कनेक्शन काट दिया गया हो। वैसे मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि अभी मेरे पास कोई 1-2 सूचना आई थीं कि किसानों के कनेक्शन काटे रहे हैं मैंने बोर्ड के अधिकारियों से उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी पूछी तो उन्होंने कहा

(डा. चन्द्रभान)

कि ऐसा नहीं है। कुछ क्रोनिक डिफाल्टर हैं जिनके 30-30, 40-40 हजार रुपये की बकाया है। जिन किसानों के सितम्बर-अक्टूबर फसल की बुवाई से लेकर मार्च तक किसी भी तरह की बकाया है उनके किसी के कनेक्शन नहीं काटे गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बकाया के नाम पर किसी भी किसान का कोई कनेक्शन नहीं काटा जायेगा जब तक कि उसकी फसल पूरी तरह से पक नहीं जाती है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि किसी किसान का कनेक्शन कटा है तो वह मेरे नोटिस में ला दें, मैं आज ही उनका रिकनेक्शन करवा दूंगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव : नहीं, क्या आप मुआवजा देंगे जिनकी फसल बरबाद हो गई है? आप उनका कनेक्शन जुड़वा देंगे, लेकिन जो फसल सूख गई है, उसका क्या होगा? उस किसान के बच्चों का क्या होगा?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : ऊर्जा मंत्री जी, मैं ऐसे 25 गांवों के उदाहरण दे सकता हूं निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी में जहां पर सिर्फ तीन काश्तकारों के पैसे जमा नहीं हैं लेकिन पूरे गांव के गांव कटे हुए हैं और 20-20 दिन तक कटे हुए हैं। गोमाना, नारायणी आदि 18 गांवों के नाम बता सकता हूं जिनके बारे में आप पता लगा लीजिये कि 20-20 दिन तक उन गांवों में बिजली बन्द रहीं कि नहीं रही। (व्यवधान) आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, 20 गांवों के उदाहरण मैं दे सकता हूं कि सिर्फ 4-5 जनों के पैसे बाकी हैं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, 150 गांवों के कनेक्शन कटे हुए हैं। (व्यवधान) 20 गांवों के कनेक्शन कटे हुए हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जिनकी फसल बरबाद हो गई उनका क्या होगा? उन किसानों के साथ सरकार क्या कम्पनसेट करने जा रही है?

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदय, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। किसानों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब प्रश्नकर्ता को आप पूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हजार-हजार रुपये लेकर ट्रांसफार्मर दिये हैं। वह शिकायत हमने बोर्ड में की, आर. एस. ई. बी. के एक्स. ईएन. को की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि जिन किसानों की कनेक्शन काटने से फसल बरबाद हो गई उनको क्या सरकार मुआवजा देगी? उनके कनेक्शन जोड़ने से अब पूर्ति नहीं होती। उनकी जो फसल बरबाद हो गई उसका सरकार क्या मुआवजा देगी? बहरोड के अन्दर दो लोग कोर्ट में गये हैं, मण्डावर के अन्दर 4-5 लोग कोर्ट में गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न जी.एस.एस. के सम्बन्ध है।

डा. जसवन्त सिंह यादव : मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, असमानता के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का दूसरा पार्ट, डोमेस्टिक कंजम्पशन के सम्बन्ध में है।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की असमानता के बारे में मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आप अपने क्वेश्चन तक सीमित रहिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव : असमानता के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : बिजली के बारे में तो दो दिन तक बहस हो सकती है। आपने प्रश्न पूछा है, डोमेस्टिक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर आप मतभेद क्यों रख रहे हैं और यह प्रश्न जी.एस.एस. के बारे में है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय। मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या यह सही है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत आपूर्ति के अन्दर असमानता है? तो यह भी तो एक असमानता में आता है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : इसमें दो नम्बर की नागरिकता क्यों प्राप्त है ग्रामीणों को आज भी जबकि आप गांधीजी के पथ पर चल रहे हैं? 70 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित है, गांवों में रहते हैं। जब तक ग्रामों का विकास नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं होता, फिर आपने यह असमानता क्यों बरत रखी है ग्रामीणों के साथ में, इसका जवाब दें आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि आपके एक इंजीनियर को जो कनेक्शन काटने के लिए गया था, गांव के लोगों ने उसे कुएं में डाल दिया था? आपने जैसा कहा, फसल के समय अगर कनेक्शन नहीं काटे जा रहे थे तो कनेक्शन काटने के लिए क्यों गया और उसका मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, यह जो आप कह रहे हैं, किसी को कुएं में नहीं डाला गया लेकिन एक मुकदमा रजिस्टर हुआ है सीकर जिले में, वह विजिलैंस का मसला था। आपकी जानकारी में बता दूं कि विजिलैंस की अलग ब्रांच है और बकाया की अलग ब्रांच है।

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो असमानता की बात आपसे पूछी है ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने बकाया वसूली का टारगेट अलग-अलग जिलों के अन्दर परिपत्र भेजकर यह नहीं दिया कि इतनी तारीख तक बकाया वसूली शत प्रतिशत हो जानी चाहिए थी? यह आपका परिपत्र जाने के पश्चात् क्या आप यह मानते हो कि जिन किसानों पर बकाया है उनके कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे? यह दोहरी बात नहीं? अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो वे वसूली के लिए अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कनेक्शन काटा नहीं गया। फिर आप यह कहते हो कि आपको सूचना दें। मंत्री महोदय, पूरे राजस्थान में 1-2 नहीं, हजारों गांवों में 1-2 उपभोक्ताओं के डिफाल्टर होने के कारण पूरे कनेक्शन काट रखे हैं। यह आपने सारे राजस्थान में किसानों के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अन्याय कर रखा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो मेरे क्षेत्र के दुनिया भर के गांव बता सकता हूं जहां पर पूरे के पूरे गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, क्या नर्सरी योजना में कुछ लोगों ने पैसा जमा करा रखा है दो-दो साल से? (व्यवधान) दो साल से डिमांड नोटिस बकाया है। उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिले हैं नर्सरी योजना में।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बिजली का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने के कोई निर्देश बिजली बोर्ड ने दे रखे हैं? मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र नगर में बीसियों गांव ऐसे हैं जहां 10-5 लोगों के बिल बकाया थे और पूरे गांव को अंधकार में कर दिया। काश्तकार का कनेक्शन उस वक्त काट दिया गया था जब गेहूं की पिलाई का समय चल रहा था। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रीजी ने या बिजली बोर्ड ने ऐसे निर्देश दे रखे हैं कि जिन गांवों के बिजली के बिल बकाया है उनके कनेक्शन काट दिये जाएं? ऐसे निर्देश दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे हैं तो उनके कनेक्शन क्यों काटे जा रहे हैं? जिन एईएन. और जेईएन ने काटे क्या आपके निर्देशों के विपरीत काटे, आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? किसानों को क्या न्याय मिलेगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या इस तरह के निर्देश हैं? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, गांव के गांव बरबाद हो चुके हैं...

डा. चन्द्रभान : आप बैठेंगे तब जवाब दूंगा न मैं। आप स्थान तो ग्रहण कीजिए एक मिनट। (व्यवधान) कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है आपके पास। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो खाली इनसे यह कहलवा दीजिये कि निर्देश जारी किये या नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी, आपके खुद के बयान हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : सिर्फ विपक्षी एम.एल.ए. के क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन काटे, यह हमारा सीधा आरोप है। हमारे यहां भी कम से कम तेईस कनेक्शन काटे गये हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : माननीय अक्ष्यक्ष महोदय, जिन किसानों के कृषि कनेक्शन के बिजली के बिल जमा हैं उनके भी कनेक्शन काट दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जगत सिंह दायमा : यह ग्रामीण क्षेत्र में असमानता.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप देखिये। एक बात के लिए दो माननीय सदस्य साथ-साथ बोलेंगे तो....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के एक-एक सवाल का जवाब दूंगा, आप कृपया सुनिये तो सही।

एक माननीय सदस्य : जवाब नहीं सुनना चाहते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सिर्फ विपक्षी एम.एल.ए. के कनेक्शनों को काटा है....

एक माननीय सदस्य : नौ सालों को भूल गये क्या? बहुत जल्दी भूल गये नौ सालों को।

डा. जसवन्त सिंह यादव : बात यह है, गांव बरबाद होते रहे हैं, आप भी गांव से ही चुनकर आये होंगे....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : आठ घंटे बिजली मिल रही है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आठ घंटे क्या करेगी जब किसानों की फसल बरबाद हो गई? आप आठ घंटे कर रहे हैं। किसान बरबाद हो रहा है और आप आठ घंटे की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हो रहा था, बहुत जल्दी भूल गये क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं मिली है, बिजली नहीं मिली है। इस तरह से नहीं होगा। बिजली नहीं मिली है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जिन किसानों के कनेक्शन काट दिये उनको आठ घंटे से क्या लाभ मिला? यह सब वहीं बोल रहे हैं जो किसान नहीं है और किसान विरोधी हैं, जिनके घरों में खेती नहीं है केवल वहीं + + + रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आठ घंटे से ज्यादा बिजली मिली है, उसके लिए आपको राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि एक भी किसान बिजली की मार से नहीं मरा। आप क्या कर रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हजारों किसान बरबाद हुए, उनके बच्चे बरबाद हुए, उसका क्या होगा? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज गरीब किसान को बिजली मिली है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते?

डा. जसवन्त सिंह यादव : जिनके कनेक्शन कट गये उनको बिजली से क्या लाभ मिला?

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप खुद कोई किसान नहीं है, किसान को पूछिये कितनी खुशहाली हुई है, कितनी प्रोसपेरिटी आई है किसानों को। किसानों की बात नहीं करते, किसानों का भला नहीं चाहते। आप तो चिंता मत करो बारह घंटे, सोलह घंटे बिजली मिली है लगातार।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब दें, ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही, एक मिनट। आप सुनिये तो सही। सुनने का माददा रखिये। आप सुनिये तो सही। एक मिनट।

श्री मदन दिलावर : ये कमजोर ऊर्जा मंत्री हैं।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रक्रिया के नियम हैं कि आप आसन को संबोधित करें। जब माननीय सदस्य आपस में इस तरह से बहस करना प्रारम्भ कर देंगे तो निश्चित तौर पर इतना अमूल्य प्रश्न जो यहां रखा है इसका सदुपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए एक-एक माननीय सदसय बोलें और, मंत्रीजी, आप उत्तर दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने भाग चार में स्पष्ट कहा है कि शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्र में घरेलू बिजली देने में पक्षपात है, असमानता है। तो क्या सरकार आज की इस व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था मानती है? गांव के लड़कों को भी पढ़ने को बिजली चाहिए शाम को 6 बजे से रात के 10-11 बजे तक, सुबह 5 से 7 बजे तक। उनकी परीक्षाओं के दिन हैं आजकल, माननीय अध्यक्षजी, इन परीक्षाओं के दिनों में भी यदि सरकार उनको बिजली पढ़ने के लिए नहीं दे पाती है तो क्या इस व्यवस्था को सरकार आदर्श व्यवस्था मानती है? माननीय मंत्री महोदय ने यह तो कह दिया कि असमानता है, लेकिन इस असमानता को दूर करने के लिए इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन वे लाना चाहते हैं, उनकी मानसिकता है या नहीं?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था उसके सम्बन्ध में केवल एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि 132 के.वी. का जी.एस.एस. आपका सैक्शंड है और सन् 1999-2000 में उसे बना दिया जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : असमानता दूर करने वाली बात___

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बिजली के कनेक्शन काटने का स्पेसिफिक सवाल है।

डा. चन्द्रभान : दूसरा अध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या है अब की बार आठ घंटे बिजली की सप्लाई हुई इसलिए किसान इनकी कोई सुनवाई तो करता नहीं है इसलिए ये बेवजह कोई नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे है कि किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री महोदय, जिन किसानों के बिना वजह कनेक्शन काटे उनका क्या होगा, एक प्रश्न यह है।

डा. चन्द्रभान : आप हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। आप घरेलू कनेक्शन को एग्रीकल्चर कनेक्शन से मत मिलाइये। घरेलू कनेक्शन अलग है, एग्रीकल्चर कनेक्शन अलग है। आप सुनिये। आप बेवजह उसको इश्यू बना रहे हैं। घरेलू कनेक्शन को हम काट रहे हैं और घरेलू कनेक्शन पैसा नहीं देगा, उसका हम काटेंगे। जिनके बीस-बीस हजार रुपये बकाया हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं आप....।

डा. जसवन्त सिंह यादव : पूरा गांव अंधेरे में डूब रहा है, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जिनका बकाया नहीं आऐगा उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। एक-एक सहायक अभियन्ता ने हजारों कनेक्शन काटे हैं....

डा. चन्द्रभान : कोई इस तरह के निर्देश नहीं है। कोई निर्देश नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। कोई निर्देश नहीं हैं कि किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दें कि आज की तारीख में एग्रीकल्चर के कितने कनेक्शन कटे हुए हैं, मंत्रीजी, हम मानने को तैयार हैं। राजस्थान के आज आप मंत्री हैं, बता दें कि आज की तारीख में एग्रीकल्चर के कितने हजार कनेक्शन कटे हुए हैं। आपने स्पष्ट आदेश दिये हैं। आपने यही नहीं दिये, आपने टार्गेट्स दिये हैं....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह मूल सवाल नहीं है। यह इनका मूल सवाल नहीं है। यह सवाल ही नहीं है। यह सवाल नहीं है ही नहीं इसमें। यह जो सवाल रखा है इसमें कहीं नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है चार नम्बर पर कि ग्रामीण क्षेत्रों को ट्यूब वैल से....

डा. चन्द्रभान : आप घरेलू कनेक्शन की बात कर रहे हैं, घरेलू की बात है।

श्री अमराराम (धोद) : और जहां तक कनेक्शन काटने का सवाल है, हजारों काटे हैं। परिपत्र भेजा है राजस्थान बिजली बोर्ड ने कि जिस भी अधिकारी के सहायक कार्यालय में अगर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगी तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी इसलिए उन्होंने हजारों की संख्या में कनेक्शन काट दिये हैं। यह सच है।

डा. चन्द्रभान : यह कहीं निर्देश नहीं दिये हैं। आप गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : परसों से एग्जाम हो रहे हैं, किसी भी गांव में रात को बिजली नहीं दी जा रही, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं होगा। 24 तारीख से बोर्ड के एग्जाम हैं और किसी भी गांव में बिजली नहीं दी जा रही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्व बकाया पर कनेक्शन काट दिये गये हैं, मैं गांवों के नाम बता देता हूं, मंत्री महोदय....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, किसान तो इनसे तीन महीने में दुःखी हो गये।

(एक माननीय सदस्य)

ये कह रहे हैं, किसान किसकी सुन रहा है, किसकी नहीं सुन रहा....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं नाम बता सकता हूं गांवों के मेरे विधान सभा क्षेत्र के। मैं खुद जे. ईएन. से मिला हूं। मैंने मंत्रीजी को शिकायत की है। पांच आदमियों के मान लो बिल नहीं हुए, मैंने इतना तक निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, कि फसल आने पर ये अप्रेल में बिल जमा करा देंगे, इनके कनेक्शन फसल के बाद काटे जाएं। उसके बाद भी काट दिये गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले प्रश्न पूछ चुके हैं उसके बाद मंत्रीजी जवाब दे रहे थे। जवाब मंत्रीजी को आप देने का अवसर नहीं देना चाहते। और आप अकेले नहीं खड़े हो रहे हैं, दूसरे माननीय सदस्य जब तक उत्तर नहीं आये तो आप क्वेश्चन ऑवर को किस तरह से चलाना चाहते हैं ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उत्तर उन्होंने गलत दिया है, सदन को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर उन्होंने सही नहीं दिया। मंत्रीजी का जवाब....

श्री अमराराम (धोद) : उत्तर गलत दे रहे हैं कि किसी का कनेक्शन नहीं कटा। आप बता दें कि आज एक भी कनेक्शन एग्रीकल्चर का कटा हुआ नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह बात कही कि किसी भी गांव में कनेक्शन नहीं काटे गये हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने तो स्पेसिफिक सवाल किया था माननीय मंत्री महोदय से, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने निर्देश नहीं दिये और उसके बावजूद कहीं एईएन. जेईएन. ने ग्रामीणों के कनेक्शन काट दिये तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि इनके निर्देशो के बिना कैसे काट दिये ? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : पूर्ववर्ती सरकार ने आठ साल तक किसानों की नसबंदी की है, ये किसानों के हिमायती बन रहे हैं। आठ साल, किसानों की नसबंदी की है तीन घंटा, चार घंटा बिजली देकर और किसानों के हिमायती बन रहे हैं आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप भी शामिल थे उसमें। बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न जो आपने बिजली कनेक्शन के डिसकनेक्ट करने की बात कहीं है उस सम्बन्ध में.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप नसबंदी की बात कर रहे हैं तो + + + भाग गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + भाग गये।

श्री मोहनलाल चौहान : बिजली आठ घंटे किसानों को दी जा रही है....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप दो तरह के कनेक्शनों को एक साथ

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. चन्द्रभान)

मिलाइये मत। ग्रामीण कनेक्शन जो घरेलू हैं उनकी बात अलग है, जो कृषि कार्यों के लिए हैं उनकी बात अलग है। मैंने एग्रीकल्चर की बात कही थी। यह बात सही है कि मार्च के महीने में राजस्व की उगाही तो हर विभाग में होती है...(व्यवधान) आप सुनिये तो सही। जो धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमने ऐसा सर्कुलर दे दिया कि यदि आप राजस्व की उगाही नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, यह सरासर गलत है, तथ्यहीन है, मनगढंत है। मैं इसका खंडन करता हूं। ...(व्यवधान)... आप सुनिये।

श्री मदन दिलावर : जिन लोगों के बिजली के बिल जमा हैं उन लोगों के घरेलू कनेक्शन काटे हैं कि नहीं काटे ?

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का यह कहना सही है कि जो घरेलू कनेक्शन वाले या दूसरे कनेक्शन वाले हैं ईवन हमने तो म्यूनिसिपैलिटी का कनेक्शन काटा है चूरू का, उसका डेढ़ करोड़ रुपया बकाया है। इसलिए काटा कि बकाया है उसका पैसा...। (व्यवधान)... और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि...

एक माननीय सदस्य : यह कनेक्शन काटने की बात तो सही है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिन्होंने पैसा जमा करा रखा है, जिनकी कोई बकाया नहीं है उनके कनेक्शन क्यों काटे गये, प्रश्न यह है ?

डा. चन्द्रभान : जो पैसे नहीं जमा कराएंगे उनके कनेक्शन कटेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कह रहे हैं एग्रीकल्चरल कनेक्शन की, आप तो कह रहे हैं कि जिनकी बकाया नहीं है, बकाया नहीं हैं उनके नहीं काटेंगे। आपके नोटिस में कोई है तो मुझे ला दीजिये। मैं इस हाउस को आश्वस्त करता हूं कि किसी किसान का कनेक्शन नहीं कटेगा और यदि गलती से कट गया है तो रीकनेक्ट कर देंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव : जिनकी फसल बरबाद हो गई उनके लिए सरकार क्या कम्पनसेट कर रही है ? कनेक्शन देने से क्या होगा ?

डा. चन्द्रभान : आप बताएं तो सही किसका कनेक्शन काटा है ? ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि जयपुर तहसील के...(व्यवधान)...बूंली आदि गांवों के कनेक्शन काटे गये हैं उनको...(व्यवधान)...

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण सप्लाई की बात है, आप गांव की बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पर 32 मिनट हो गये हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो मिला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं प्रश्न नं. 1 पर कोई भी सप्लीमैन्ट्री की अनुमति आपको नहीं देता।

डा. जसवन्त सिंह यादव : पर, अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सवाल किये हैं उनके जवाब तो दिलवा दें कम से कम।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। आप दो सप्लीमैन्ट्री पूछते, आपने बीस सप्लीमैन्ट्री पूछ लिये। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव प्रकरण

2. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रदेश में चुनाव कर कराये गये तथा पुनः चुनाव कराने हेतु विभाग द्वारा कब-कब घोषणा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राथमिक इकाइयों के चुनाव टाले जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने हेतु अविलम्ब चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से प्रारम्भ होकर कब तक पूर्ण करा ली जावेगी ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री परसादी लाल मीणा) : (1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रदेश में गत चुनाव वर्ष 1990-91 में कराये गये तथा पुनः चुनाव कराने हेतु विभाग ने अप्रैल-मई, 1994; माह दिसम्बर, 1994; सितम्बर, 1995; फरवरी-मार्च, 1997 एवं नवम्बर, 1997 (जनवरी-फरवरी, 1998 हेतु) एवं माह जनवरी-फरवरी, 1999 में घोषणा की थी।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनावों में विलम्ब अप्रैल-मई, 1994 में विधान सभा के कतिपय माननीय सदस्यों की मांग के कारण; माह सितम्बर, 1994 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने के कारण, सितम्बर, 1995 में महाराष्ट्र-गुजरात राज्य की निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन कराने का निर्णय लेने के कारण, फरवरी-मार्च, 1997 में लोक सभा/विधान सभा के उप चुनाव एवं विधान सभा का सत्र होने कारण, नवम्बर, 1997 में 12वीं लोक सभा के निर्वाचन होने के कारण तथा माह जनवरी, 1999 में सहकारी समितियों में सदस्यता अभियान प्रारम्भ होने के कारण तथा सदस्यता अभियान चालू रहने के कारण स्थगित किये गये थे।

(3) जी हां, माह जून तक वसूली सीजन एवं तत्पश्चात् मानसून मौसम की समाप्ति के तत्काल पश्चात् निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करा ली जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नयी सरकार के गठन के बाद जो आपने चुनाव की तारीखें घोषित कीं, क्या सभी बातों का अध्ययन कर यह समझकर की कि आप इन तारीखों में चुनाव करा देंगे ? तभी आपने घोषणा की ? या आपने बिना समझे, बिना पूर्व तैयारी और बिना विषय को समझे अनजाने में इस तारीख की घोषणा कर दी थी ?

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जनवरी में चुनाव की घोषणा की गई थी परन्तु हमने सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए जन

(श्री परसादी लाल मीणा)

प्रतिनिधियों की एक मीटिंग 29-12-1998 को बुलाई थी। निर्वाचन सम्बन्धी जो प्रक्रिया थी, नियम थे उनको पिछली सरकार के समय कुछ बदल दिया गया था, इसलिए हमारे जो सहकारी बन्धु थे उनकी हमने मीटिंग बुलाई। उन्होंने तय किया कि इन नियमों में परिवर्तन करने के बाद ही चुनाव कराये जाने चाहिए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके, किस तरह इन संस्थाओं को गांव के किसानों से जोड़ा जा सके, किस तरह मजबूती दी जा सके, उस प्रक्रिया को पूरा करने के कारण हमने चुनाव स्थगित किये हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम जून के बाद, बरसात के मौसम के बाद अगस्त माह तक आपकी सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा देंगे। आपकी तरह नहीं करेंगे...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की तरह बार-बार चुनाव नहीं टालेंगे। हम निश्चित रूप से सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करके देश में एक रिकार्ड स्थापित करना चाहते हैं। आपकी तरह पांच साल तक नही टालेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच साल और दस साल का हिसाब पूछने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं यह सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिस दिन आपने चुनाव की तारीखें घोषित की थीं या बाद में मीटिंग करके उसमें परिवर्तन करने का जो मानस आपने बनाया, क्या यह सहकारी विभाग में एक तरह से अभिशाप नहीं था? घोषणा करने से पहले अगर आप यह काम कर लेते तो शायद यह सवाल सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आपने घोषणा पहले क्यों की और बाद में आपने परिवर्तन का नया स्वरूप क्यों खड़ा किया? क्या इसमें कोई राजनीतिक बू तो नहीं है? शायद आपको यह लगा कि इस चुनाव में हम आज की तारीख में नहीं जीत सकते इस कारण से आपने तारीख बदली?

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की मंशा है कि पहले जैसा सहकारी संस्थाओं का सैट-अप था। पिछली सरकार के चुनाव तो कराये नहीं उनको कागजों में इधर-उधर पांच साल बिगाड़ते रहे। हमारे सहकारी बन्धु जो सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि आप इसमें परिवर्तन करिये, पुराना सैट-अप वापस लाइये और इससे जो आम किसान है (व्यवधान).

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा शब्द समझ में नहीं आ रहा है...(व्यवधान)... ये हमारा शब्द है क्या? (व्यवधान).

एक माननीय सदस्य : ये हमारा-आपका क्या होता है, अध्यक्ष महोदय?

श्री परसादी लाल मीणा : जितने सप्लीमैन्ट्री करोगे उनका एक-एक का जवाब दूंगा। अब सुनिये आप। अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये।

श्री मदन दिलावर : एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप।

एक माननीय सदस्य : आपने राजनीतिक कारणों से बुलवाया क्या उनको ?

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो चुनाव प्रक्रिया हमने देखी, सरकार की निगाह में आई कि सारे नामांकन पंचायत समिति मुख्यालयों पर किये जायेंगे, क्या यह उचित था ? जबकि पहले हमारा प्रावधान था कि हर जी.एस.एस. मुख्यालय पर नामांकन होगा। इन्होंने सबको समेट कर पंचायत समिति मुख्यालय पर कर दिया। क्या यह जनतांत्रिक निर्णय था आपका ? हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा आपने किया।...(व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान)... उसके बाद करते। इसका मतलब यह था कि आपने जल्दी-जल्दी करके विषय को बिना समझे तारीख की घोषणा कर दी। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि....

श्री परसादी लाल मीणा : हम सहकारी संस्थाओं को कमजोर नहीं बनायेंगे। हम सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संस्थाएं मजबूत हों इसके लिए सहकारी बन्धुओं से सलाह लेकर हम उसी तरह चुनाव करायेंगे जैसे पहले कांग्रेस के राज में मजबूत थीं हम उसी तरह मजबूती प्रदान करेंगे। आपकी तरह नहीं करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है कि आपने तारीख की घोषणा की तो क्या बिना सोचे-समझे तारीख की घोषणा कर दी ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आपने क्यों नहीं पांच साल तक चुनाव कराये ? मंत्रिमंडल के मेम्बर थे आप। आपको सवाल पूछने का अधिकार ही क्या रह गया है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई कमी-खामी थी, पहले की चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी रह गई थी तो माननीय मंत्री महोदय को पहले उसकी स्टडी करनी चाहिए थी और उसमें से कोई सुझाव लेना था तो ले लेते और उसके बाद, तीन महीने बाद घोषणा करते। कोई जरूरी नहीं था। लेकिन आते ही आपने तारीख की घोषणा क्यों कर दी और उसके बाद आपको इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ? एक तरफ जो क्रय-विक्रय संघ है, थोक भण्डार है या सहकारी बैंक है, उसकी तो जैसे ही अवधि समाप्त होती है आप लोगों ने उनको हटा करके प्रशासक नियुक्त कर दिये। ग्राम सेवा सहकारी समिति जो आधारभूत ढांचा है इस को-आपरेटिव का, उसमें आधे से अधिक सदस्य आज हैं नहीं, कोई मर चुके हैं, कोई छोड़ चुके हैं, कोई बाहर जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में आखिर आपने कोई अध्ययन करके तो तारीख की घोषणा की होगी या यों कह दीजिये कि हमने जल्दी-जल्दी में भावावेश में आकर घोषणा कर दी तारीख की और बाद में कुछ समझ में आया। इसमें दोनों में से एक बात कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गलती स्वीकार कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने थोड़ी वाहवाही लेने के लिए कि लोकतन्त्र की परम्पराओं का निर्वहन करेंगे चुनाव की घोषणा कर दी जबकि आपको पता ही नहीं था कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ:—

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और नियमों के अन्दर, कानून के अन्दर जो भी परिवर्तन आप प्रक्रिया के अन्दर करना चाहते थे वे संशोधन अब कर लिये क्या आपने ? यानी आप एश्योरेंस दे रहे हैं हाउस के अन्दर कि मैं अगस्त में चुनाव करा दूंगा तो कम से कम आज आपका यह एश्योरेंस जिम्मेदारीपूर्वक आपकी बात होनी चाहिए। कल फिर सुझाव आएगा, कोई बात नहीं है। आपने एक दफा घोषणा कर दी, आप फर्मली एंड कैटेगोरिकली हाउस में कह सकते हैं कि अब कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, कोई रूल्स में अमैंडमैंट की आवश्यकता नहीं है, कोई लॉ में अमैंडमैंट की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रोसीजर में अमैंडमैंट की आवश्यकता नहीं है और अब चुनाव करा लेंगे जो वर्तमान में अमैंडमैंट कर लिये उसके आधार पर ?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, चुनाव यथाशीघ्र करा दिये जाएंगे, यथाशीघ्र की कोई सीमा है क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सीमा बता दी गई है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)...आंदोलन चल रहा है व्यवस्थापकों का, ऐसी स्थिति में क्या चुनाव कराना सम्भव होगा ? उनका आंदोलन चल रहा है, उनकी हड़लात चल रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : इन्होंने तो दो महीने की कहकर पांच साल तक नहीं कराये।

एक माननीय सदस्य : आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। बार-बार + + + आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कृपया मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि को-आपरेटिव के व्यवस्थापकों का आंदोलन चल रहा है, उनकी हड़लात चल रही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी बात कहें पर उसका उत्तर सुनने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। (व्यवधान).

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दें, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सहकारिता नियम में जो ऋणी और अऋणी सदस्यों के बीच चुनाव लड़ने का भेद-भाव नियमों में तब्दील कर दिया गया है, क्या उसका सुधार करेंगे ?

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री कन्हैयालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सदस्य बनने के लिए 101 रुपये और ऋण लेना व भूमि होना आवश्यक है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आपत्ति प्रकट की कि घोषणा करने के बावजूद भी चुनाव नहीं करवाये गये। मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य थे कि 1991 में पहले चुनाव हुए थे, 1994 में अवधि समाप्त हो गई थी तब उस बोर्ड को आपने कंटीन्यू किया। प्रशासक आपने नहीं लगाया। 1994 में आपने घोषणा की...(व्यवधान)... आप सुनने की क्षमता रखिये। मैं तथ्य रख रहा हूं, कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, तथ्य तो सुनने की कोशिश करें। 1994 में आपने घोषणा की, पूरे मन से घोषणा की। फिर आपने कार्यक्रम बदल दिया। आपने 1995 में घोषणा की फिर आपने कार्यक्रम बदल दिया। फिर आपने 1997 में घोषणा की, फिर आपने कार्यक्रम बदल दिया। आपने 1998 में फिर घोषणा की और फिर आपने कार्यक्रम बदल दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या आपने भी वही नाटक चालू किया है क्या ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप उस गलती को दोहराना चाहते हो क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने भी नाटक किया था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने कोई गलती की थी तो क्या आप भी उसी लाइन पर जाना चाहते हो क्या ? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है कि आपने यह घोषणा की तो पुरानी सब बातों को ध्यान में रख कर की या आप भी उसे नक्शे-कदम पर जाना चाहते हो जो पहले हुआ है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसका उत्तर मैं दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप हमारे ही पीछे चलना चाहते हो ना ? आप हमारे ही नक्शे-क़दम पर चलना चाहते हो ? यह कह दो कि हम अपने ही नक्शे-कदम पर चलेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, उत्तर दीजिए सही मायने में (व्यवधान).

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धोंद से आने वाली माननीय सदस्य, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हम आपकी गलत नीतियों का अनुसरण नहीं करेंगे, जो जनता के हित में होगा वह काम करेंगे। गलत नीतियों पर चलने के हम आदी नहीं है, न हमारी सरकार चलना चाहती है। हम अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रम को सिद्धान्तों के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह सवाल पूछा गया कि तत्कालीन सरकार ने ऋणी और अऋणी सदस्यों का भेदभाव कर दिया था...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप हमारे ही नक्शे-कदम पर चले हैं, पहला कदम तो आपका ऐसा ही पड़ा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि कटारिया जी को जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि पिछली सरकार पांच साल तक नाटक करती रही।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब सहकारिता में आपका विश्वास होने लग गया, पहले सहकारिता में विश्वास नहीं था आपका।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सवाल खड़ा किया गया कि तत्कालीन सरकार ने ऋणी और अऋणी सदस्यों में भेदभाव किया। ऋणी सदस्यों को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, अऋणी को नहीं दिया गया। इस पर कुछ माननीय सदस्यों की आपत्ति आई। जो निर्वाचन क्षेत्र थे चुनाव लड़ने के उसमें भी भेद कर दिया गया। इन सब कारणों से सरकार के सामने यह प्रश्न आया। कुछ प्रश्न ऐसे भी आये कि जो तत्कालीन मैनेजमेंट कमेटी थी उसने एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के जो लोग मेम्बर बनना चाहते थे, जिसके लिये सहकारी आंदोलन खड़ा हुआ उनको मेम्बरशिप नहीं दी। तो हमें सोचना पड़ा कि आखिर हम किसके लिये हैं, सरकार किसके लिये है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो फिर घोषणा बिना सोचे की थी आपने?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिना पढ़े और बिना सोचे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुन तो लीजिए। जब हमें महसूस हुआ कि एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों को आपके राज में मेम्बरशिप नहीं दी तो हमने मेम्बरशिप अभियान को चालू रखा। जो वर्ग इससे फायदा प्राप्त कर सकता है, आर्थिक संबल प्राप्त कर सकता है, आर्थिक आधार बना सकता है उसके आधार पर इनकी मेम्बरशिप का अभियान चलाया गया और वह मेम्बरशिप का अभियान अब समाप्त हुआ है। उसमें भी अगर कोई गलती हुई तो हम उसको रैक्टिफाई करेंगे और सारे लोगों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे। होता क्या था कि सोसाइटी का जो हैडक्वार्टर होता था वहां के लोग मेम्बर बन जाते थे। उसमें दो-दो पंचायतें...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ इन्होंने पहले बिना सोचे-समझे घोषणा कर दी। बिना सोचे-समझे घोषणा की है और अब सदन को गुमराह कर रहे हैं और इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, जवाब दीजिए। ये तो अच्छे मंत्री थे, इनको भी जवाब देना नहीं आया...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : आप सुनना नहीं चाहते हो। आप लोगों से आठ साल तक ...(व्यवधान)... आप सुनना नहीं चाहते हो।

श्री मदन दिलावर : आप बड़े बुद्धिमान मुख्य मंत्री हैं, आपसे निवेदन है कि आप जवाब दे दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव तो जब करवाएंगे जब

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जी.एस.एस. के व्यवस्थापकों का आंदोलन खत्म होगा। जी.एस.एस. के व्यवस्थापकों का आंदोलन चल रहा है ऐसी स्थिति में आप चुनाव कैसे करवा पाओगे, उनकी हड़ताल चल रही है, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शैलेन्द्र जोशी।

राज्य कर्मियों के लेखों का संधारण

3. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में राज्य के कितने अधिकारियों, कर्मचारियों के लेखे हैं तथा वर्तमान में इनके लेखों में कुल कितनी राशि जमा है?

(2) वर्तमान में लेखा-जोखा संधारित करने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? क्या सभी विभागों के कर्मियों के लेखे पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या संबंधित विभागों द्वारा तैयार पासबुकों का सत्यापन यथा समय करने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) राज्य सरकार द्वारा उक्त मदों में प्राप्त जमा की किन-किन मदों में कितनी राशि उपयोग में ली जा रही है?

(5) वर्तमान में राज्य कर्मियों की जमा पर ब्याज की गणना कैसे की जा रही है तथा इनकी यथा समय प्रविष्टि की क्या व्यवस्था है? वर्तमान स्थिति में कब तक की प्रविष्टियां हो चुकी हैं तथा भावी योजना क्या है?

राज्य मंत्री, बीमा एवं प्रावधायी निधि (श्री परसादी लाल मीणा) : (1) प्रावधायी निधि योजना में 7.25 लाख खातों का संधारण किया जा रहा है तथा राज्य बीमा योजना में 6 लाख पालिसियों के लेखों का संधारण किया जा रहा है। प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत 1997-98 तक 3042.87 करोड़ रुपये एवं राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 1116.00 करोड़ रुपये जमा हैं।

(2) सामान्य प्रावधायी निधि योजना में प्रत्येक कर्मचारी की प्रत्येक वर्ष के संदर्भ में ब्रॉडशीट संधारित की जाती है एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत लेखे रखे जाते हैं। राज्य बीमा योजना में प्रत्येक कर्मचारी की प्रत्येक वर्ष के संदर्भ में बीमा खतौनी पंजिका संधारित की जाती है। कर्मचारियों के व्यक्तिगत लेखे रखे जाते हैं तथा राज्य स्तर पर बैलेन्सशीट बनाई जाती है। राज्य बीमा योजना में वर्ष 1997-98 तक की खाताबन्दी कर ली गई है। 1997-98 की बैलेन्स शीट तैयार कर राज्य सरकार से अनुमोदन करा ली गई है। सामान्य प्रावधायी निधि योजना में कुल 37 जिला कार्यालयों में से 34 जिला कार्यालयों में वर्ष 1997-98 तक की वार्षिक खाताबंदी की जा चुकी है। जयपुर शहर एवं चूरू द्वारा वर्ष 1996-97 तक एवं जयपुर सचिवालय द्वारा वर्ष 1993-94 तक की खाताबंदी की जा चुकी है। इन तीन जिला कार्यालयों में वर्ष 1997-98 तक का कार्य पूर्ण कराने के लिये युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

(श्री परसादी लाल मीणा)

(3) हां, विभागों द्वारा तैयार पासबुकों का सत्यापन समय पर करने की व्यवस्था जिला कार्यालयों पर है।

(4) सामान्य प्रावधायी निधि योजना में प्राप्त होने वाली जमाएं मद संख्या 8005 में प्राप्त होती हैं एवं राज्य बीमा योजना में प्राप्त होने वाली जमाएं मद संख्या 8011 में प्राप्त होती हैं। यह राशि राज्य सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) में रहती है तथा योजना के अनुसार विकास कार्यों में उपयोग में ली जाती है।

(5) सामान्य प्रावधायी निधि योजना में कटौतियों पर खातेदारों को 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। ब्याज की गणना वर्ष की प्रारम्भिक शेष राशि पर, पूरे वर्ष की तथा वर्ष में माहवार जमा राशि का प्रत्येक माह का प्रगामी प्रोग्रेसिव योग लगाकर एक माह का ब्याज लगाया जाता है। वर्ष में अगर किसी खातेदार द्वारा राशि आहरित की जाती है तो उसमें उस माह से लेकर मार्च तक जितने माह होते हैं उतने माहों की ब्याज की गणना करके ब्याज की देय राशि में से कम कर दी जाती है। राज्य बीमा योजना में बीमेदारों को ब्याज नहीं दिया जाता है बल्कि समय-समय पर घोषित होने वाले बोनस की दर से राशि जोड़ी जाती है। सभी जिला कार्यालयों को प्रत्येक वर्ष की खतौनी समय पर कर ब्याज का उल्लेख लैजर में करने के निर्देश हैं। वर्तमान में कुल 37 जिला कार्यालयों में से 34 जिला कार्यालयों में वर्ष 1997-98 तक ब्याज की फलावट व्यक्तिगत खातों में की जा चुकी है। जिला कार्यालय जयपुर शहर एवं चूरू द्वारा वर्ष 1996-97 तक एवं सचिवालय द्वारा वर्ष 1993-94 तक की ब्याज गणना संबंधित खातों में की जा चुकी है। 34 जिला कार्यालयों में कार्य अद्यतन है, शेष 3 जिला कार्यालयों में वर्ष 97-98 तक के कार्य को शीघ्र ही पूरा करने के युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न संख्या 4 राज्य सरकार द्वारा उक्त मदों में प्राप्त जमा को किन-किन मदों में कितनी राशि किन-किन कामों में ले रही है इसके बारे में उत्तर में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी नहीं बताया गया कि वार्षिक खाताबंदी विवरण जो पूर्व में कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाता था वह वर्तमान में क्यों नहीं करवाया जा रहा है और कितने कर्मचारियों की पासबुकें सत्यापन से बकाया हैं। इसका भी न्यूमेरिकल फिगर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि ऐसी कितनी राशि है जो सामान्य प्रावधायी निधि खाते तथा राज्य बीमा की पालिसी के तहत विभागीय लापरवाही से एंट्री होने से रह गयी जिसे सस्पैंस अकाउंट में डाल दिया गया है? वह राशि कितनी है? उसे अब कैसे समायोजित किया जाएगा, मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या के भाग चार में माननीय सदस्य ने पूछा कि किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि विकास कार्यों में ली जाती है। मैंने पहले ही उत्तर में जवाब दे दिया कि सामान्य प्रावधायी निधि योजना की राशि मद संख्या 8005 में जमा होती है और

(श्री परसादी लाल मीणा)

दूसरी जो हमारी राज्य बीमा की राशि है जो कर्मचारियों से कटती है, वह मद संख्या 8011 में जमा होती है। उसको राज्य सरकार अपने किसी भी विकास कार्यों में काम में लेती रहती है, उस पर 11 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है और जो बीमा की राशि है उस पर राज्य सरकार प्रति वर्ष बोनस देती है। बोनस इस साल का अभी देना बाकी है, हम जल्दी ही 15 दिन के अन्दर-अन्दर कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा कर देंगे। शायद आपने सवाल पूछा है सप्लीमैंट्री नहीं पूछा, जो तीन जिला कार्यालयों का कार्य बताया है उसको भी 31 मार्च, 1999 तक पूरा करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है कि हर हालत में यह समय पर कार्य होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं, आप जो भी मेरे से जानकारी लेंगे, आपको पूरी छूट है, जब भी जानकारी लें, मेरे कार्यालय में आकर जानकारी ले सकते हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है आपके मार्फत। नई सरकार ने यह कहा है कि न तो हम ऋण लेना चाहते हैं और न ऋण लेंगे, क्योंकि ब्याज देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप ब्याज 12 परसेंट देने के लिए कह तो रहे हैं, आप दे भी पाएंगे? नहीं तो उनका पैसा खत्म तो नहीं हो जाएगा और उनको नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आप 12 परसेंट ले भी नहीं पाएंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, वे तो कह रहे हैं ब्याज 12 परसेंट देंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ऐसा तो नहीं होगा, इसका आश्वासन तो दे दें आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये तो बजट पर बहस करने लग गये।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो शंका प्रकट हुई है, मैंने प्रश्न के उत्तर भाग संख्या पांच में बता दिया है कि हम हर साल ब्याज का निर्धारण करते हैं और जिनकी रकम जमा है उनके खातों में हम जोड़ देते हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हम करते आये हैं, पर आप पर संदेह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : पहले सुन लो। किसी भी साल की, किसी भी कर्मचारी की कोई भी ब्याज की राशि बकाया आज तक नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमने तो नहीं की, सही बात है, पर आप तो नहीं करेंगे न? आप 12 परसेंट दे भी पाएंगे कि नहीं?

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नहीं करेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ब्याज डूब तो नहीं जाएगा, इसका आश्वासन दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, खण्ड चार का जो प्रश्न माननीय सदस्य ने सप्लीमैंटरी में पूछा है, आपने कौन से खाता नम्बर में जमा रहता है यह तो बता दिया, लेकिन इनके प्रश्न का जो भाग था उसमें यह नहीं था। उन्होंने पूछा कि किन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किन मदों में कितनी-कितनी राशि को उपयोग में लिया जा रहा है अर्थात् आपने इसमें से जो पैसा निकाला, वह किस-किस फण्ड में कितना-कितना निकाला। आज दिन तक आपने इस राशि के अगेंस्ट में कितना पैसा ले रखा है, यह इसमें स्पष्ट नहीं है। जमा होने की जगह तो बतायी है कि इस खाते में जमा है और इस खाते में जमा है पर अमाउंट कितना है ?

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मंत्री जी को जानकारी दूंगा कि जो हमारा यह पैसा जमा है संचित निधि में, यह राज्य की वार्षिक योजना में काम में लिया जाता है। इसमें राज्य सरकार को पूरी छूट रहती है कि वह किसी भी काम में उपयोग ले सकती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता है कि ले सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कितनी आज की तारीख में लें रखी है ?

श्री परसादी लाल मीणा : यह अलग से सवाल है, आप आ जाना, मैं आपको बता दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, यह सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं हुई। अगर यह प्रश्न का जवाब है तो यह कोई जवाब नहीं था।...(व्यवधान)... यह सवाल का जवाब नहीं है। अगर सदन को माननीय मंत्री महोदय...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत प्रोपर्टी नहीं है, घर का खाता नहीं है कि यह बता देंगे अपने घर बुला कर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह इस सदन का अपमान है। (व्यवधान) मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर यह प्रश्न का जवाब है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई बात नहीं होगी और इस सदन का इससे ज्यादा अपमान कोई नहीं हो सकता। मंत्री महोदय से इसका जवाब दिलवाइये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा करिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : जवाब दिलवाइये, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अलग से बताने का मतलब क्या है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जवाब देंगे तो यह सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : प्रताड़ना दीजिये इस प्रकार के मंत्रियों को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सदन को गम्भीरता से लिया ही नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, अलग से क्या बताना चाह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत प्रोपर्टी नहीं है। (व्यवधान) इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि ये व्यवस्था दें। आठ लाख कर्मचारियों के हितों का मामला है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इनके हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, अकेले में आकर ये कमरे में नहीं बताएं, सब को बताएं सदन में।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है, दोनों ही योजनाओं में पैसा जमा होता है।

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, बीच में नहीं, आसन पैरों पर, आप बैठिये। कोई भी माननीय सदस्य आसन पैरों पर हो तो खड़ा नहीं हो, यह सामान्य नियम है। दोनों ही प्रकार की जो जमा राशि है, दोनों ही योजनाओं में वह कंसोलिडेटेड फण्ड के अन्दर जमा है और विकास के काम में ली जाती है, यह बात कही है और यह हमेशा लेते रहे हैं। अमाउंट राशि का...(व्यवधान) अमाउंट का पूछा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, किस मद में कितनी राशि का उपयोग किया? प्रश्न के खण्ड चार में यह स्पष्ट पूछा है कि किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि....

श्री अध्यक्ष : यह पूछा है कितनी राशि...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : खर्च की गयी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कितनी राशि उपयोग में ली।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, उपयोग में, जो काम में ली।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने उत्तर यह दिया है कि पूरी की पूरी राशि कंसोलिडेटेड फण्ड में होती है और विकास के काम में ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करिये।

श्री मदन दिलावर : वह कितनी राशि है, यह पूछना चाह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी की सारी, वे कह रहे हैं घर आकर पूछ लीजिये और घर कोई पूछना हो तो...(व्यवधान)...।

श्री रामस्वरूप मीणा : घर पधारना, वहां बता देंगे आपको। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये तैयारी करके नहीं आते हैं, घर बुलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी बात हुई?

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

ईटावा व अयाना (कोटा) ब्रांच की वितरिकाएं

4. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दायीं मुख्य नहर से निकाली गयी ईटावा व अयाना ब्रांच की डिस्ट्रीब्यूटरी व वितरिकाओं के अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी हैं? यदि हां, तो इसके

(श्री रामगोपाल बैरवा)

क्या कारण रहे व विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने के लिए कौन दोषी है ?

(2) क्या सरकार जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई, उनकी पिलाई राशि माफ करने व ऋण वसूली स्थगित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त नहरों की पर्याप्त सफाई व रिमोडलिंग का कार्य कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय हो रहा है माननीय सदस्यों के साथ। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इसका जवाब दिलवा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, माननीय सदस्यों को इसका जवाब दिला दें, बड़ी कृपा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा अपमान किया है इस सदन का इस प्रकार से कहकर माननीय मंत्री ने कि घर आ जाना। हम इनके घर क्या लेने जाएंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि इसका जवाब दिलवाइये। इस प्रकार से सदन का अपमान सहन नहीं किया जा सकता, आपसे करबद्ध निवेदन है।

श्री रामगोपाल बैरवा : मेरा प्रश्न आ रहा है, आप जवाब देने दो। हमारा प्रश्न आ रहा है, आप जवाब देने दो। किसानों के हितों का मामला है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : किसानों के हितों का मामला है, आप प्रश्न का जवाब देने दो।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि जवाब दिलवा दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा बचाइये।

श्री मदन दिलावर : आपसे करबद्ध निवेदन है, हमारा संरक्षण कीजिये, सुरक्षा कीजिये और माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलवाइये। इस प्रकार से सदन का अपमान सहन नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : आप बैठो, किसानों के हितों का मामला है, आप जवाब देने दो।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत प्रोपर्टी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आ गया, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को पुकार लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह घर बुलाने वाली बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक प्रश्न पर पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए, आप लगातार आधा घंटा ही ले रहे हैं।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय मंत्री महोदय को जवाब देने दो, आप बैठो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन काहे के लिए है ? (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय सदस्य, आप बैठिये, माननीय मंत्री महोदय को जवाब देने दो।

श्री मदन दिलावर : घर बुला रहे हैं हम सब लोगों को, घर ही आना होता तो यहां विधान सभा में क्या लेने के लिए आते ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत प्रोपर्टी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : किसानों के हितों का मामला है, आप बैठो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

एक माननीय सदस्य : गैर जिम्मेदारी का जवाब है। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक परमीशन चाहूंगी। एक बहुत जरूरी इन्फार्मेशन हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री रामगोपाल बैरवा : आप किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। किसानों का अहित होता है, किसान बर्बाद हो रहा है। आप बात ही सुनना नहीं चाह रहे हैं, बीच-बीच में डिस्टर्ब करते हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : सिंचाई विभाग का मामला है, उसका प्रश्न है।

श्री रामगोपाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गयी एक बार भी पानी नहीं पहुंचा। आप मंत्री महोदय से जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि पीपल्दा वाले माननीय सदस्य को मैंने कॉल कर लिया था, किन्तु कॉल करने के बाद में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है इसलिए मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन विभाग नागौर में मृत गार्ड का पेंशन प्रकरण

1. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग नागौर में राज्य सेवा में रहते हुए एक गार्ड का स्वर्गवास होने पर उप वन संरक्षक नागौर ने उसकी पत्नी का पेन्शन स्वीकृत करने के लिए कागजात तैयार करके संयुक्त निदेशक पेन्शन एवं पेन्शन वेलफेयर विभाग, अजमेर को भेजे थे ? यदि हां, तो कब तथा उस पर इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) उक्त प्रकरण में पेन्शन स्वीकृत होकर कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि उप वन संरक्षक, मरुस्थल, वनारोपण एवं चरागाह

(वित्त मंत्री)

विभाग, नागौर कार्यालय में कार्यरत गार्ड स्व. श्री गोवर्धन सिंह का स्वर्गवास दिनांक 22-1-96 को राजकीय सेवा में रहते हुए हो गया था। उप वन संरक्षक कार्यालय, नागौर द्वारा दिनांक 16-1-99 को श्री सिंह की पत्नी द्वारा पेंशन स्वीकृत करने के लिए प्रकरण तैयार कर संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर को भेजा था जो दिनांक 25-1-99 को संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर में प्राप्त हुआ।

संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर द्वारा पेंशन प्रकरण की जांच के दौरान प्रकरण में महत्त्वपूर्ण प्रलेख संलग्न नहीं होने एवं अन्य कमियां होने के कारण इनकी आवश्यक पूर्ति हेतु प्रकरण दिनांक 12-3-99 को उप वन संरक्षक, नागौर को लौटा दिया गया।

(2) पेंशन प्रकरण में पाई गई कमियों की पूर्ति के बाद प्रकरण वन संरक्षक कार्यालय से प्राप्त होने के सात दिवस में ही संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर द्वारा निस्तारित कर दिया जावेगा।

श्री गंगानगर व चित्तौड़गढ़ का बेनामी ठेका प्रकरण

2. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर व चित्तौड़गढ़ का थोक व खुदरा डोडा पोस्त का ठेका बेनामी व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है? क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है? यदि हां, तो कब? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बेनामी ठेके निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या मुख्य सचिव स्तर पर भी इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त बेनामी ठेके के लायसेंस पर सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर मुख्तीयार सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह डी-86 मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ने किये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण में दीवानी और फौजदारी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त बेनामी ठेके की पहली शिकायत सरकार/विभाग के पास कब आई और उसके बाद अभी तक कार्यवाही क्यों न हुई? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार इस संबंधी में जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 हेतु राजस्व जिला श्रीगंगानगर के भांग-डोडापोस्त समूह धडताना- रावला, सार्दुलशहर, अनुपगढ़, रायसिंह नगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, सूरतगढ- विजयनगर एवं राजस्व जिला चित्तौड़गढ़ का

(आबकारी मंत्री)

चित्तौड़गढ़-गंगरार समूह श्री सुखदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी 715, जोशी भवन, सुभाषचौक, जयपुर के नाम एवं श्री गंगानगर जिले का गंगानगर-हिन्दुमलकोट समूह श्री सुखदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी 715 जोशी भवन सुभाषचौक, जयपुर एवं श्री तनराज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी डी-1, न्यू मार्ग, बनीपार्क, जयपुर के नाम स्वीकृत किये गये हैं। राजस्व जिला चित्तौड़गढ़ के भांग-डोडापोस्त समूह चित्तौड़गढ़-गंगरार में श्री नक्षत्र सिंह पुत्र शेरसिंह निवासी डी-67, माधोसिंह रोड, बनीपार्क, जयपुर का नाम अनुज्ञाधारी के रूप में नियमानुसार जोड़ा गया है।

इस संबंध में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोधपुर से जांच कराई गई। जांच के उपरांत इनके नाम सही पाये गये।

—अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोधपुर द्वारा तहसीलदार संगरिया, जिला आबकारी, अधिकारी हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर हल्का गिरदावर तथा पटवारी दीनगढ़ की मौजूदगी में श्री सुखदेव सिंह एवं समराज सिंह के फोटो उनके गृह गांव दीनगढ़, तहसील संगरिया-जिला हनुमानगढ़ में मौतबीर निवासियों के समक्ष मजमे आम में दिखाकर पूछताछ करने पर पाया गया कि श्री सुखदेव सिंह के पिता का नाम श्री गुरुतेज सिंह तथा समराज सिंह के पिता का नाम श्री लाभ सिंह है तथा गुरुतेज सिंह व लाभ सिंह को अन्य किसी नाम से नहीं जाना जाता है। विद्यालय रेकार्ड में श्री सुखदेव सिंह के पिता का नाम श्री गुरुतेज सिंह एवं श्री समराज सिंह के पिता का नाम लाभ सिंह अंकित है। तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भी इनके पिता का नाम क्रमशः गुरुतेज सिंह एवं लाभ सिंह अंकित है। इसी प्रकार सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट संगरिया से प्राप्त मतदाता सूची वर्ष 1995 व 1998 की आंशिक सत्यापित प्रति में भी श्री सुखदेव सिंह एवं समराज सिंह के पिता का नाम क्रमशः श्री गुरुतेज सिंह एवं लाभ सिंह अंकित है। वक्त दौराने जांच श्री सुखदेव सिंह एवं श्री समराज सिंह एवं इनके पिता क्रमशः श्री गुरुतेजी व श्री लाभसिंह ग्राम दीनगढ़ में उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोधपुर का उनसे सम्पर्क नहीं हो सका।

—अनुज्ञाधारी श्री सुखदेव सिंह एवं श्री समराज सिंह से निविदा प्रपत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र में अपना नाम व पता निम्नानुसार अंकित किया है : —

—श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी 715 जोशी भवन, सुभाषचौक, जयपुर

—श्री समराज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी डी-1, न्यूदुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

—सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (प्रथम) जयपुर द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र क्रमांक 12411 दिनांक 27-1-95 व 12432 दिनांक 27-1-95 में इनका नाम, पिता का नाम व पता उक्त पैरा संख्या-3, के अनुसार वर्णित है।

—श्री सुखदेव सिंह व श्री समराज सिंह के वर्तमान निवास जयपुर में भी जांच की गई। जांच के दौरान श्री सुखदेव सिंह ने

(आबकारी मंत्री)

अपने बयानों में स्वीकार किया कि वे दीनगढ़ के मूल निवासी हैं तथा उनके पिता का नाम महेन्द्र सिंह उर्फ गुरुतेज सिंह हैं तथा उक्त पते पर श्री अजय सक्सेना के मकान में किराये पर रहना बताया। मकान मालिक श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री रामचन्द्र सक्सेना ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया कि पिछले करीब 10-12 वर्षों से श्री सुखदेव सिंह उनके मकान में किरायेदार के रूप में रह रहे हैं तथा यह भी बयान किया कि वे श्री सुखदेव सिंह के पिता श्री महेन्द्र सिंह उर्फ श्री गुरुतेज सिंह को भी जानते हैं।

इसी प्रकार श्री समराज सिंह ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि वह दीनगढ़ का मूल निवासी है तथा इनके पिता का नाम राजेन्द्र सिंह उर्फ लाभ सिंह बताया तथा श्री रोहित शर्मा के मकान में किरायेदार के रूप में रहना बताया। मकान मालिक श्री रोहित शर्मा पुत्र स्वर्गीय मेजर श्री जीतमल शर्मा ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया कि श्री समराजसिंह उनके मकान में गत 10-12 वर्षों से किरायेदार के रूप में रह रहा है। श्री समराज सिंह के पिता का नाम राजेन्द्र सिंह उर्फ लाभ सिंह होना बताया।

—जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न है।

(2) उक्त ठेकों का संचालन अधिकृत ठेकेदारी द्वारा ही किया जा रहा है। ठेकों की नवम्बर, 98 तक की राशि जमा हो चुकी है तथा दिसम्बर, 98 से मार्च, 99 तक की राशि विभाग के पास जमा धरोहर राशि से समायोजित होनी है। इस प्रकार समस्त राशियां जमा हो जाने के कारण ठेकों को अब निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) इस संबंध में विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।

(4) यह सही नहीं है कि लाइसेंस पर श्री सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर मुख्तीयार सिंह द्वारा किये गये है। अतः किसी दीवानी/फौजदारी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(5) इस संबंध में शिकायत विभाग के पास 31-12-1998 को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोधपुर से करवाई गई। अनुज्ञाधारी श्री सुखदेव सिंह के पिता का नाम श्री महेन्द्रसिंह उर्फ गुरुतेज सिंह के नाम पते बाबत तथ्य सही पाये गये हैं।

(जांच रिपोर्ट व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गंगानगर में जब्त डोडा पोस्त

3. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री गंगानगर जिले की खुदरा व थोक डोडा पोस्त दुकानों का भौतिक सत्यापन वर्ष 1998-99 में हुआ था ? यदि हां, तो दुकानवार कितना-कितना डोडा पोस्त अवैध पाया गया, अवैध पाये गये माल के संबंध में विभाग/सरकार स्तर पर क्या वैधिक कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भारी मात्रा में पाये गये अवैध माल को सरकार राज साल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

(3) उक्त ठेकों के संबंध में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के लिए एवं जब्त अवैध माल के लिए उचित कार्यवाही न करने के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ठेके में पाया गया अवैध माल कहां से आया? क्या सरकार इसके लिए एन.डी.डी.ए. एक्ट के तहत अपराधिक मामला दर्ज कराकर जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1 अगस्त, 98 में श्रीगंगानगर की थोक/खुदरा डोडापोस्त दुकानों का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा किया गया था। जिसमें निम्नांकित अनियमितताएं पाये जाने पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किये गये थे :—

क्र. सं.	नाम डोडा पोस्त दुकान	पंजीकृत अभियोग संख्या व दिनांक	पाई गई अनियमितताओं का विवरण
1.	थोक दुकान 19 बीबीपदमपुर	8/28-8-98	नौकरनामा व स्टाक रजिस्टर नहीं मिला। —50538 किलोग्राम डोडापोस्त अधिक मिला।
2.	खुदरा दुकान हिन्दूमल कोट	36/26.8.98	स्टाक रजिस्टर नहीं पाया गया। —3600 किलोग्राम डोडापोस्त अधिक मिला।
3.	थोक दुकान हिन्दुमलकोट	35/26-8-98	स्टाक रजिस्टर नहीं मिला। —3678 किलोग्राम डोडापोस्त कम मिला।
4.	थोक दुकान घड़साना	17/25-8-98	स्टाक रजिस्टर व नौकरनामा नहीं मिला। —92 किलोग्राम डोडापोस्त कम मिला।
5.	थोक दुकान अनूपगढ़	18/25-8-98	स्टाक रजिस्टर, नौकरनामा व लोकेशन की प्रति नहीं मिली।—51.5 किलोग्राम डोडापोस्त कम मिला।
6.	थोक दुकान मानकसर	13-25-8-98	स्टाक रजिस्टर व नौकरनामा नहीं मिला। —19 किलोग्राम डोडापोस्त कम पाया गया।
7.	थोक दुकान सार्दुलशहर	22/25-8-98	स्टाक रजिस्ट्रर नहीं मिला/ नौकरनामा स्वीकृत नहीं।—8 किलोग्राम डोडापोस्त कम पाया गया।
8.	थोक दुकान 7 ई छोटी गंगानगर	34/26-8-98	स्टाक रजिस्टर व नौकरनामा नहीं मिला।

विभाग द्वारा उक्त पाई गई अनियमितताओं के लिए अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किये गये।

(2) डोडा पोस्त थोक/खुदरा दुकानों पर पाये गये अधिक/कम स्टाक के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किये गये थे। जिन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभागीय स्तर पर संयोज्य कर दिया गया है तथा संयोज्य राशि जमा होने पर जब्त शुदा डोडापोस्त को अनुज्ञाधारियों को सुपुर्द करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) इस संबंध में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्पष्टीकरण मांगने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) डोडापोस्त थोक/खुदरा दुकानों पर पाये गये अधिक/कम डोडापोस्त के लिए अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध अनुज्ञापत्र की शर्तों की अवहेलना के लिए नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किये गये थे, जिन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनुज्ञाधारी की प्रार्थना अनुसार विभागीय स्तर पर संयोज्य किया गया है। अतः एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत पृथक से कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

पैट्रोलिंग आफिसर श्रीमाधोपुर द्वारा दर्ज फर्जी प्रकरण

4. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12 फरवरी, 1999 को पैट्रोलिंग आफिसर श्रीमाधोपुर ने खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना के किसी व्यक्ति को फर्जी शराब का मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया था? यदि हां, तो शराब की बरामदगी कहां से किन-किन मौतबीरान के सामने की गई?

(2) क्या यह सही है कि जानबूझकर शुक्रवार को गिरफ्तार किया ताकि दो दिन की छुट्टियों में जमानत नहीं हो सके?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी पैट्रोलिंग आफिसर द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1994 को मदनलाल महाजन दरीबा (पूर्व सरपंच) को झूठी गाजे की बरामदगी दिखाकर गिरफ्तार किया था, जिसको न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किया? यदि हां, तो सरकार ऐसे दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधकदल, श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 12-2-99 को खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना के किसी व्यक्ति को फर्जी शराब का मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया गया हो।

सही यह है कि दिनांक 12-2-99 को उक्त प्रहराधिकारी द्वारा श्री बन्नाराम पुत्र श्री मूलाराम जाति मीणा, निवासी खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना के रिहायशी मकान से एक प्लास्टिक जरीकेन में 5 बोतल नाजायज शराब बरामद कर श्री बन्नाराम को आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 16/54 के तहत मुकदमा नं. 19/98-99 दिनांक 12-2-99 को

(आबकारी मंत्री)

दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। (एफ.आई.आर. की छाया प्रति संलग्न है।)

उक्त बरामदगी मौतबीरान — 1. श्री चिमनाराम पुत्र श्री मूलाराम जाति मीणा, निवासी तनभुवोली तथा, 2. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र दयाराम जाट निवासी सेफरागुवार पुलिस थाना खेतड़ी के समक्ष श्री बन्नाराम के उक्त रिहायशी मकान से की गई है।

यह सही नहीं है कि उक्त मुकदमा फर्जी बनाया गया है। श्री बन्नाराम आबकारी अपराधों में लिप्त रहने का आदतन अपराधी होने के कारण इनके विरुद्ध समय समय पर अलग अलग अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार प्रकरण दर्ज कर चालान किये गये हैं : —

(2) उक्त प्रकरण गुप्त सूचना के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता व्यवहारिक नहीं थी। ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त होते ही वार या अवकाश पर विचार नहीं कर तुरन्त कार्यवाही की जाना आवश्यक होती है, अन्यथा अपराध एवं अपराधी दोनों ही सबूत नष्ट करने एवं फरार होने में सफल हो जाते हैं।

सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही नियमान्तर्गत की गई हैं, जिसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत द्वैषता नहीं होकर राजकीय कर्त्तव्य का निर्वहन किया गया है। वर्तमान में नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राजपत्रित अवकाश के दौरान किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जावे।

क्र. सं.	एफ.आई.आर. संख्या	दिनांक	बरामदगी
1.	2/80	11-4-80	एक रबर ट्यूब में 1 बोतल ना. श.
2.	36/81	2-10-81	कपड़े के थेले में रबर ट्यूब में 10 बोतल नाजायज शराब
3.	40/81	13-10-81	प्लास्टिक जरीकेन में 7 बोतल नाजायज शराब
4.	6/90	7-6-90	2 जरीकेनों में 42 बोतल नाजायज शराब
5.	3/93	25-4-93	साइकिल फ्रेम नं. बीजी-319672 पर जरीकेन में 47 बोतल ना.श.
6.	19/99	12-2-99	प्लास्टिक जरीकेन में 5 बोतल नाजायज शराब

उपरोक्त के अलावा श्री बन्नाराम के पुत्र श्री बाबूलाल के विरुद्ध भी मुकदमा नं. 15/95 दिनांक 31-3-95 दर्ज कर प्लास्टिक जरीकेन में 4 बोतल नाजायज शराब बरामद की गई है।

(3) यह सही नही है कि दिनांक 28-2-94 को श्री मदनलाल महाजन, दरीबा (पूर्व सरपंच) के विरुद्ध प्रहराधिकारी, आबकारी, निरोधक दल, श्रीमाधोपुर द्वारा किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया गया।

(आबकारी मंत्री)

ऐसा ही अन्य प्रकरण दिनांक 28-2-94 को प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधकदल द्वारा श्री मालीराम पुत्र जीवणराम, जाति महाजन साकिन दरीबा के विरुद्ध मुखबिरी के आधार पर मौतबीरान की उपस्थिति में गांजा बरामद कर एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान किया गया था।

माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, सीकर (राज.) द्वारा उक्त प्रकरण में मौतबीरान-गवाहान पक्षद्रोही घोषित होने की स्थिति में आरोपी श्री मालीराम को उकत आरोप में संदेह का लाभ देते हुए उनके निर्णय दिनांक 24-1-96 से बरी किया गया है। उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की विभागीय स्तर पर जांच अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, जयपुर द्वारा की जा रही हैं, जो विचाराधीन है।

विभागीय अधिकारी दोषी पाये जाने पर विभागीय स्तर पर इन्हें दण्डित भी किया जाता है।

नोट : —प्रहराधिकारी को आबकारी अधिनियमों एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर प्रकरण दर्ज करने के अधिकार प्रदत्त होने के कारण अधिकारी विभिन्न अपराधिक मामलों में प्रकरण दर्ज करते हैं, न्यायपालिका निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होती है। प्रकरण को प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रक्रिया में कोई चूक होने पर विभगाय कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर जांच प्रस्तावित कर अपेक्षित कार्यवाही भी की जाती है।

(छाया प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

नगर परिषद् के मृत सफाई कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति हेतु प्रावधान

5. डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

नगर परिषद के मृतक सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने की सरकार की क्या कोई योजना पहले से ही है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू हो जायेगी?

उत्तर

जी हां। राजस्थान रिक्रूटमेंट आफ डिपेन्डेन्ट आफ ए गर्वनमेंट सर्वेन्ट डाईग व्हाइल इन सर्विस नियम, 1975 प्रभावशील थे। अब राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के स्थान पर मृत सरकारी कर्मचारी आश्रित अनुकम्पा नियम 1996 वर्ष 1996 से प्रभावशील किये गये हैं। जिनको यथावत नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के कर्मचारियों पर प्रभावशील किया जा चुका है। अतः अब इस बारे में अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

आवासन मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना-1979

6. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग "ब" में किराया क्रय पद्धति से मकान आबंटन हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र सामान्य पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत मण्डल को प्राप्त हुए थे।

(2) जयपुर शहर में वर्ष 1979 की सामान्य पंजीकरण योजना के पूर्व की समस्त योजनाओं के अन्तर्गत आमंत्रित मध्यम आय वर्ग "ब" किराया क्रय पद्धति के प्रार्थना-पत्रों में से कितने प्रार्थना-पत्र मकान आवंटन के लिए जनवरी, 1980 में शेष बचे थे ?

(3) वर्ष 1980-81 से 1997-98 की अवधि में प्रश्न के भाग-2 में शेष बचे प्रार्थियों को किस-किस वर्ष में कितने मकान आवंटित किये गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1980-81 से 1997-98 की अवधि में सामान्य पंजीकरण योजना, 1979 के मध्यम आय वर्ग "ब" के किराया क्रय पद्धति के प्रार्थियों को प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने मकान आवंटित किये गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) मध्यम आय वर्ग "ब" के किराया क्रम पद्धति के प्रार्थियों को मकान आवंटन हेतु दिनांक 1 सितम्बर, 1994 व उसके पश्चात् दिसम्बर, 1998 तक कब-कब मकान आवंटन हेतु लाटरी निकाली गई ?

(6) प्रश्न के भाग-5 में लाटरी में आए नामों की तिथिवार सूची पूर्व में निर्धारित उनकी वरीयता क्रम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग "ब" के किराया क्रय पद्धति से मकान आवंटन कराने हेतु कुल 4,414 प्रार्थना पत्र सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के अन्तर्गत मण्डल को प्राप्त हुए थे।

(2) जयपुर शहर में वर्ष 1979 को सामान्य पंजीकरण योजना के पूर्व की समस्त योजनाओं के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" किराया क्रय पद्धति के प्रार्थना पत्रों में से 1537 आवेदन पत्र आवंटन के लिए जनवरी, 1980 तक शेष बचे थे।

(3) वर्ष 80-81 से वर्ष 1997-98 की अवधि में वर्ष 1979 से पूर्व के शेष बचे पंजीकृत आवेदकों को मध्यम आय वर्ग "ब" किराया क्रय पद्धति में विभिन्न चरणों में आवास आवंटित किये गये। आवंटनों की लाटरीवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। विवादित प्रकरणों के अलावा समस्त आवेदकों को आवास आवंटित किये जा चुके हैं।

(4) सामान्य पंजीकरण योजना, 1979 के मध्यम आय वर्ग "ब" में किराया क्रय पद्धति के प्रार्थियों को विभिन्न तिथियों में आवास आवंटन लाटरी के माध्यम से आवंटित किये गये। आवासों का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार से हैं : —

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

वर्ष	आवंटित आवास सं.
1980	71
1982	81
1989	55
1990	37
1993	337
1994	33
1996	149
1997	22
1998	29

(5) मध्यम आय वर्ग "ब" के किराया क्रय पद्धति के प्राथियों को मकान आवंटन हेतु दिनांक 1-9-94 से दिसम्बर, 1998 तक निम्न विवरणानुसार आवंटन हेतु लाटरी निकाली गई।

लाटरी की तिथि	
1994	आवास आवंटित नहीं किये गये
1995	आवास आवंटित नहीं किये गये
30-1-96	
12-3-96	
5-3-97	
15-10-98	

(6) प्रश्न सं. 5 के परिप्रेक्ष्य में जिन आवेदकों को मकान आवंटित किये गये उनके नामों के आगे वरीयता सूची इंगित की गई है, सूची परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(सूचना एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सोडाला (जयपुर) क्षेत्र में सड़क/नाली निर्माण कार्य

7. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोडाला (जयपुर) क्षेत्र की नन्दपुरी, रामनगर, गोविन्दपुरी, रामनगर विस्तार, स्वेजफार्म, सुन्दरविहार "ए" तथा "बी" कालोनियां सोडाला-हवासड़क से बाइस गोदाम एवं करतारपुरा नाले के बीच में बसी हुई हैं और सड़क एवं नालियां आज तक नहीं बन पाई हैं ?

(2) क्या उक्त कालोनियों में उबड़-खाबड़ रास्तों से वहां के निवासियों को आने-जाने में भारी असुविधा हो रही है ?

(3) क्या सरकार इन कालोनियों में सड़क एवं नालियां बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सोडाला (जयपुर) क्षेत्र की योजनाओं में आंशिक रूप से सड़कें व नालियां बनी हुई हैं।

(2) जी हां।

(3) सहकारी समितियों को प्रशासनिक व तकनीकी रूप से स्वीकृत योजनाओं में आवंटियों द्वारा जमा कराये गये विकास शुल्क तक ही सड़कें एवं नालियां बनायी जाती हैं। योजनाओं में जमा विकास शुल्क की सीमा तक कार्य करवाये जा चुके हैं व और पर्याप्त

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

विकास शुल्क जमा होनें पर सड़कें व नालियां निर्माण करवाया जावेगा।

गोपालपुरा बाईपास के पास अस्पताल बनाने हेतु नक्शे का अनुमोदन प्रकरण

8. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एन.ई.आई. द्वारा गोपालपुरा बाईपास के पास अस्पताल बनाने हेतु जो नक्शा प्रस्तुत किया था उस पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने अनुमति प्रदान नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अस्पताल के लिए प्रस्तुत किये गये नक्शे को सार्वजनिक हित के परिपेक्ष्य में शीघ्र अनुमति दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी नक्शा पास करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राधिकरण द्वारा अस्पताल निर्माणकर्ताओं को नक्शों की कमियों के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक : डी-1255 दिनांक 4-11-96, डी-297, दिनांक 26-4-97, डी-328, दिनांक 5-5-97 द्वारा सूचित किया गया एवं अस्पताल निर्माणकर्ताओं द्वारा इनमें से कुछ कमियां उनके पत्र दिनांक 3-3-97, 11-4-97, 30-4-97 एवं 14-5-97 के द्वारा पूरी की गई लेकिन मानचित्र स्वीकृति हेतु सभी कमियों को निर्माणकर्ताओं द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

निर्माणकर्ताओं द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु कमियां पूर्ण करने पर ही मानचित्र स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(2) अस्पताल के मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रकरण बीपीसी-द्वितीय की बैठक दिनांक 16, 17-2-99 में भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्न निर्णय लिया गया :—

"प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया चूंकि भूमि का स्वामित्व जविप्रा का है एवं भूमि जविप्रा की अवाप्तिधीन है। अत: प्रार्थी को सूचित किया जावे कि उनके पास भू-स्वामित्व के संबंधित पुख्ता दस्तावेज हैं तो वह एक माह में प्रस्तुत करें अन्यथा दो वर्ष से लम्बित प्रकरण को और लम्बित नहीं रखा जावेगा।"

आवेदक को उपरोक्त निर्णयानुसार दिनांक 11-3-99 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नक्शा पास करने में कोई विलम्ब नहीं किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-9

(स्थगित)

निलियम अपना घर योजना का आवास आवंटन प्रकरण

10. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल सहरिया)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निलियम अपना घर योजना में बढ़ारना व विद्याधर नगर, सैक्टर-4, में आवास गृह आवंटित कर फरवरी, 1997 में 1570 व 130 आवास गृहों की लाटरी निकाली गई थी? यदि हां, तो क्या उन्हें नम्बर आवंटित कर कब्जे दे दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त आवास गृहों को बहुमंजिले बनाने की बिना पूर्व लाटरीधारी आवंटियों की सहमति के योजना बना रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त आवासों को बहुमंजिले बनाने से पूर्व में आवंटियों की लागत एवं अधिकार भी प्रभावित होंगे? सरकार के इस संबंध में क्या विचार हैं?

(4) प्रश्न के भाग (1) में आवंटियों को अब कब तक कब्जे दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां, नम्बर आवंटित कर कब्जे नहीं दिये जा सके हैं क्योंकि मौके पर भूमि विवाद एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण 1570 एवं 130 आवास गृहों का निर्माण संभव नहीं हो पाया। मौके की स्थिति के अनुसार बढ़ारना एवं विद्याधर नगर में अब तक क्रमशः 672 व 58 आवास गृह ही निर्मित हो पाये हैं जिनका आवंटन एवं कब्जा अविलम्ब दे दिया जायेगा।

(2) बढ़ारना एवं विद्याधर नगर में निलियम योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले आवास बनाये जा रहे हैं जो मौके पर उपलब्ध भूमि के अधिकाधिक उपयोग हेतु किया जा रहा है।

(3) जी हां। बहुमंजिले आवास बनाने से निर्मित क्षेत्रफल बढ़ने के कारण आवास गृहों की लागत भी कुछ बढ़ जावेगी।

(4) उपरोक्त आवासों का निर्माण आवास विकास लिमिटेड एवं आवास विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा है आवंटियों को कब्जा माह सितम्बर, 99 तक दे दिया जावेगा।

जिला बाड़मेर के ग्रामों का पेयजल प्रकरण

11. श्री अमीन ख़ान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के ग्राम हरसाली में, आगासकी से कब तक पानी पहुंचाया जायेगा?

(2) उक्त जिले के ग्राम कुमारों की ढाणी, मगरा, खारची, मौसेरी, गोरडिया आदि गांवों में उक्त योजना के तहत कब तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है?

उत्तर

(1) ग्राम हरसाली में आगासकी जल स्रोत से मार्च, 2000 तक पानी पहुंचना लक्षित है।

(2) उक्त योजना के तहत मार्च, 2000 तक पानी पहुंचाना लक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र (बड़ी सादड़ी) के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

12. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में किस-किस गांव में किस-किस साधन से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने माह मई-जून, 1999 में आने वाली समस्या के समाधान हेतु क्या पूर्व तैयार की है? उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से ग्राम पानी की समस्या से ग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत 7 ग्राम पाइप्ड, 14 ग्राम पनघट, 4 ग्राम क्षेत्रय तथा 332 ग्राम हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। ग्रामवार विवरण संलग्न अनुसूची "अ" के अनुसार है।

(2) समस्या समाधान हेतु पूर्ण योजना बना ली गयी है। क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। संभावित पेयजल समस्याग्रस्त 142 गांवों की सूची अनुसूची "ब" पर संलग्न है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सोडाला (जयपुर) क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति

13. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सोडाला क्षेत्र (जयपुर) की रामनगर विस्तार, स्वेज फार्म, सुन्दर विहार, वेदविला कॉलोनियों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल हेतु पाईप लाइनें बिछी हुई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त कॉलोनियों में सरकार पानी की पाइप लाइनें डालने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार इन कॉलोनियों के निवासियों के लिए पेयजल की कोई वैकल्पिक व्यवस्था यथा हैण्ड पम्प आदि लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सोडाला क्षेत्र की रामनगर, स्वेज फार्म, सुन्दर विहार, वेदविला, स्वेज फार्म की कॉलोनियों में आंशिक क्षेत्र में पेयजल की लाइनें बिछी हुई हैं।

(2) राज्य सरकार सहभागिता योजना के अन्तर्गत इन कॉलोनियों में पानी की लाइनें डालने का विचार रखती है। इन कॉलोनियों के आवासियों द्वारा योजना की 50% सहभागिता राशि जमा कराने पर इनकी पानी की लाइनें डाली जा सकेगी।

(3) जी हां। राज्य सरकार 4 हैण्ड पम्प जून, 99 तक लगाने का विचार रखती है।

डिप्लोमा/डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं का वेतनमान

14. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में एक ही पद व एक ही कार्य पर कार्यरत डिप्लोमा/डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को एक ही वेतन श्रृंखला में अलग-अलग प्रारम्भिक वेतन दिया जा रहा है, जबकि एक पद पर तथा एक ही कार्य करने वाले राज्य सेवकों को समान वेतन दिया जाना आवश्यक है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं का आर्थिक शोषण एवं सहज न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं है ?

(3) क्या सरकार इस भेद-भाव पूर्ण नीति को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) सरकार इसे भेदभाव नहीं मानती है।

जयपुर शहर की जल योजना हेतु खोदे गये नलकूप प्रकरण

15. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की जल योजना के लिये झोटवाड़ा क्षेत्र में खोदे गये नलकूप ऐसे भी हैं जो अभी तक चालू नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने कहां-कहां पर कब-कब से खुदे हुये हैं और चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर के लिए झोटवाड़ा क्षेत्र के अलावा भी ऐसे नलकूप हैं जो अभी तक चालू नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रश्न के भाग एक के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) उक्त नलकूप खोदने पर कितनी राशि व्यय की गई ? इस राशि के व्यय करने का औचित्य क्या था, जबकि अभी तक उक्त कुओं का उपयोग नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां, 20 नलकूप चालू नहीं किये गये हैं। ये नलकूप वर्ष 95-96 में खोदे गये थे। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड पर क्षेत्र के निवासियों द्वारा स्वच्छ जलाशय तथा पम्प हाउस के निर्माण का विरोध करने के कारण नलकूप चालू नहीं किये जा सके।

(2) जी नहीं।

(3) इन 20 नलकूपों पर लगभग रु. 58.00 लाख की राशि व्यय हुई। विभाग ने नलकूपों के उपयोग की पूर्ण योजना बनाई थी लेकिन बिन्दु संख्या-1 में अंकित विवाद के कारण अभी तक नलकूपों का उपयोग सम्भव नहीं हो पाया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट - 3 देखें)

ग्राम जोयड़ा (चित्तौड़गढ़) को पेयजल आपूर्ति

16. श्री मोहनलाल चितौड़िया (कपासन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जोयड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के समीप बेड़च नदी पर स्थित जोयड़ा-बावजी पुलिया नं. 10/2 के समीप नलकूप खोदकर 10 किलोमीटर दूर स्थित फतेहनगर-सनवाड़ को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नलकूपों से मात्र आधा किलोमीटर दूर ग्राम जोयड़ा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ तथा जोयड़ा-बावजी स्थान में फिलहाल पेयजल हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है ?

(3) क्या सरकार बेड़च नदी पर स्थित नलकूपों से ग्राम जोयड़ा तथा जोयड़ा बावजी स्थान को पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उक्त गांव हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है।

राज्य कर्मियों की असमायोजित राशि

17. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि में वर्तमान में कितनी-कितनी राशि सस्पेन्स खाते में पड़ी है तथा यह राशि किस उपयोग में ली जा रही है ?

(2) उक्त राशि का निराकरण करने की सरकार की क्या योजना है ?

(3) राज्य सरकार विभागों से प्राप्त शिडयूल का इन्द्राज यथा समय ही हो जाय, इस संबंध में क्या माकूल व्यवस्था करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के कर्मचारी कोष कार्यालय में पदस्थापित किये हुए हैं। वे कर्मचारी कोष कार्यालय में प्राप्त बिलों के आधार पर कवरिंग लिस्ट तैयार करते हैं एवं वहां से शिड्यूल बिलों से अलग कर कवरिंग लिस्ट के साथ जिला कार्यालय में खतौनी हेतु भेजते हैं एवं इन शिड्यूल्स के आधार पर क्रमशः बीमा खतौनी पंजिका एवं ब्रॉडशीट में खतौनी की जाती है।

पूर्व में कार्य बकाया होने के कारण शिड्यूल से खतौनी समय पर नहीं की जा रही थी अब राज्य बीमा में वर्ष 97-98 तक का खतौनी कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 98-99 की भी 6 माह की खतौनी पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार अब शिड्यूल प्राप्त होते ही खतौनी का कार्य किया जा रहा है।

सामान्य प्रावधायी निधि में 37 जिला कार्यालयों में से 34 जिला कार्यालयों में 97-98 तक का खतौनी कार्य पूर्ण हो चुका है

(राज्य मंत्री, बीमा एवं प्रावधायी निधि)

तथा शेष 3 जिला कार्यालयों में भी शीघ्र ही 97-98 तक का कार्य पूर्ण हो जायेगा। इसके पश्चात् शिड्यूल प्राप्त होते ही खतौनी कार्य करना सम्भव हो जायेगा।

राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 97-98 के बैलेन्स शीट के अनुसार 1-4-98 को कुल 5,65,79,663.16/- रुपयें सस्पेन्स खाते में पड़े हुए हैं।

सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत 31-3-96 तक कुल 24,96,94,447.18/- रुपये की राशि सस्पेन्स खाते में पड़ी हुई थी। उपरोक्त में से कुल राशि 12,44,75,592.55/- रुपये का समायोजन करवा दिया गया है एवं आज दिनांक को कुल 12,52,18,854.63/- रुपये सस्पेन्स खाते में पड़े हुए हैं।

(2) यह राशि राज्य सरकार की संचित निधि में ही जमा है तथा इसे राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना के अनुसार उपयोग में लिया जाता है।

(3) राज्य बीमा योजना एवं प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत राशि को सम्बन्धित मदों में स्थानान्तरित करने हेतु जीए-15 एवं टीवाय-142 के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। कटौती पत्रों के अभाव में सस्पेन्स में पड़ी हुई राशि को सम्बन्धित विभागों से कटौती पत्र प्राप्त कर खतौनी सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में केरोसिन आपूर्ति

18. डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वर्तमान में केरोसिन तेल वितरण की क्या व्यवस्था है और प्रति माह कितना केरोसिन तेल आवंटित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के ऐसे कितने ग्राम हैं जहां केरोसिन का वितरण ग्राम मुख्यालय पर न किया जाकर अन्य जगह किया जा रहा है।

(3) क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों की जनता की परेशानी को देखते हुए केरोसिन का वितरण ग्राम मुख्यालय पर ही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में केरोसिन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बंटवाने की व्यवस्था है। मण्डावर विधान सभा क्षेत्र हेतु 156 के.एल. प्रतिमाह केरोसिन तेल का आवंटन जिला रसद कार्यालय द्वारा रोस्टर से निर्धारित किया हुआ है।

(2) मण्डावर तहसील में 21 ऐसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहां केरोसीन तेल का वितरण इन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में न किया जाकर अन्य नजदीकी पंचायतों के डीलरों से उपभोक्ताओं को केरोसीन तेल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की हुई है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम मुख्यालय पर केरोसीन का वितरण करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर केरोसीन के वितरण की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की गणेश गंज लिफ्ट योजना

19. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत वर्षों में गणेश गंज लिफ्ट स्कीम योजना प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो कब।

(2) क्या उक्त योजना के निर्माण के समय आउटलेट (धोरे) नहीं देने के कारण अधिकांश पानी व्यर्थ बह जाने के कारण अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है? क्या उक्त कारण से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं?

(3) क्या सरकार व्यर्थ पानी को रोकने के लिए समय पर आउटलेट (धोरे) निकालने व सफाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981-82 में।

(2) जी नहीं। उचित स्थानों पर आउटलेट (धोरे) दिये गये हैं। पानी अन्तिम छोर तक पहुंचता है एवं किसानों की फसलें नष्ट नहीं होती हैं।

(3) धोरे बनाने का कार्य एवं उनकी सफाई का कार्य कृषकों का है एवं उनके द्वारा ही किया जाना है।

जिलेदार के पदों पर नियुक्ति प्रकरण

20. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलेदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो कब एवं उसमें कितने अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया? उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा के बाद सरकार द्वारा नियमों में संशोधन के कारण उक्त परीक्षा के परिणाम को स्थगित किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त संशोधन किये जाने के बाद परीक्षा परिणाम कब घोषित किया गया? संशोधन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संशोधन के पश्चात् सरकार द्वारा सफल अभ्यर्थियों को वर्ष 1997 में नियुक्ति देने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी? यदि हां, तो कब? उक्त अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा अब तक कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1993 में 30 मई को जिलेदारों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। जिलेदारों की भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण आयोजित की गई परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। नियमों में संशोधन की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) परीक्षा निरस्त किये जाने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट - 4 देखें)

जिला भीलवाड़ा के कुओं का जल स्तर

21. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई विभाग के बांधों के नीचे वाले डाउन स्टीम के गांवों में कुओं का जल स्तर काफी नीचे हो गया है?

(2) क्या सरकार इन कुओं के जल स्तर को बढ़ाने की कोई योजना बना रही है?

(3) क्या भीलवाड़ा जिले के लड़की बांध के भरने पर इसके ओवर फ्लो का पानी पहले नदी में छोड़ा जायेगा व इसके बाद नहर खोली जायगी? क्या इस बांध के पानी में डाउन स्टीम के गांवों का कोई हिस्सा तय किया जायेगा ताकि इन गांवों के कुओं का जल स्तर बढ़ सके?

उत्तर

(1) कुओं का जल स्तर आकलन सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

(2) कुओं का जल स्तर बढ़ाने का कार्य सिंचाई विभाग नहीं करता है।

(3) लड़की बांध पर गेट लगे हुए नहीं हैं। लड़की बांध की पूर्ण भराव क्षमता अर्जित करने के बाद बांध स्वतः ही ओवरफ्लो करेगा, भले ही नहर खोली रहे। बांध के डाउन-स्ट्रीम के गांवों में कुओं के जल स्तर बढ़ाने हेतु हिस्सा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ का नहर प्रकरण

22. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कितनी परियोजनाएं चालू हैं?

(2) उक्त परियोजनाओं में कितनी परियोजनाओं की नहरें पक्की हैं एवं कितनी कच्ची हैं?

(3) क्या लम्बे समय से कच्ची नहरों, में पानी का दुरुपयोग हो रहा है?

(4) क्या यह सही है कि सिंचाई परियोजना बियापाड़ा टाण्डी, चतराखुटा, नागदा, कलिंजरा, सुनारीया, अखेरपुर, घोड़ादरा परियोजनाओं की नहरें कच्ची हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहरों को पक्की करने के लिये राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री फतेहसिंह)

(5) क्या विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में अखेपुर, झांकरीया, घोडादरा, नवागांव सिंचाई परियोजना के तालाब में पानी का रिसाव अधिक है जिस कारण कमाण्ड एरिया की सिंचाई पूरी तरह नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराकर पानी के रिसाव को रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में तीन सिंचाई परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। (1) कलिंजरा परियोजना (2) हिम्मतगढ़ी (3) चरखनी परियोजना।

(2) उक्त परियोजनाओं में पक्की एवं कच्ची नहरों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. कलिंजरा परियोजना : — इस परियोजना की नहरों की कुल लम्बाई 26.18 किलोमीटर है। जिसमें से 15.69 किलोमीटर नहर पक्की कर दी गई है शेष 10.49 कि.मी. नहर ही मात्र कच्ची है।

2. हिम्मतगढ़ी परियोजना : — इस परियोजना की नहरों की कुल लम्बाई 5.82 कि.मीटर है। जिसमें से 2.91 कि.मी. नहर पक्की कर दी गई है शेष 2.91 कि.मी. नहर कच्ची है।

3. चरखनी परियोजना : —इस परियोजना की नहर की कुल लम्बाई 3.21 कि.मी. है। जिसमें से 2.28 कि.मी. नहर पक्की कर दी गई है। शेष 0.93 कि.मी. नहर कच्ची है।

(3) जी नहीं।

(4) सिंचाई परियोजना बीयापाड़ा, टाण्डी, चतराखूटा, नागदा, कलिंजरा, सुनारिया, अखेपुरा एवं घोड़ादरा की नहरें आंशिक रूप से कच्ची हैं। राज्य सरकार इन नहरों को पक्की करने का विचार रखती है तथा जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते जायेंगे वैसे-वैसे नहरों को पूर्णरूपेण पक्की कर दी जावेगी।

(5) कुशलगढ़ क्षेत्र की सिंचाई परियोजना अखेपुरा, झांकरिया में पानी के रिसाव की कोई समस्या नहीं है। घोडादरा परियोजना की दाईं स्लुस से कुछ मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है एवं नवागांव के पास की दाईं तरफ की पहाड़ी से पानी का मामूली रिसाव हो रहा है। उक्त तालाबों के कमाण्ड एरिया की सिंचाई पर कोई असर नहीं हुआ है तथा सिंचाई सुचारू रूप से की जा रही है। रख रखाव (एम एण्ड आर) के मद में बजट उपलब्ध होने पर कार्य करवा लिया जावेगा।

जिला बाड़मेर के ग्रामों में विद्युत लाइनों की चोरी प्रकरण

23. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में ऐसे कितने गांव हैं। जहां विद्युत लाइनें बिछाई गई और वह लाइनें चोरी होकर चली गई ?

(2) गांवों में ऐसी लाइन खींचे जाने के बाद ग्राम को विद्युतीकृत नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में तहसील पंचपदरा के ग्राम कालेवा तथा पंचायत समिति बायतू के ग्राम सन्तरा-उतरनी में बिछाई गई लाइनों के तार चोरी हो गये थे।

(2) ग्राम कालेवा में चोरी हुई लाइनों को पुनः तार खींचकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई। ग्राम सन्तरा-उतरनी को बायतू व सवाई पदमपुर दोनों तरफ से बिजली उपलब्ध कराई गई थी। उक्त ग्राम पहले से ही विद्युतीकृत थे अतः एक तरफ के तार चोरी होने पर भी दूसरी तरफ से विद्युत चालू रही है।

विद्युत मण्डल द्वारा विज्ञापनों पर व्यय की गई राशि

24. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राजस्थान एवं दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों को विभिन्न वर्षों में कितना विज्ञापन दिया गया? विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर रखें :—

विभिन्न वर्षों में जारी किये गये विज्ञापनों का विवरण

अखबार का नाम	वर्ष 1998	वर्ष 1997-98	वर्ष 1996-97	वर्ष 1995-96
	कुल कालम, सेमी / राशि	कुल कालम, सेमी / राशि	कुल कालम, सेमी / राशि	कुल कालम, सेमी / राशि
राजस्थान पत्रिका				
जयपुर/उदयपुर				
जयपुर/कोटा				
जयपुर/बीकानेर				
जयपुर/जोधपुर				
कोटा/जोधपुर				
जोधपुर/बीकानेर				
जोधपुर/उदयपुर				
जयपुर/जोधपुर/कोटा				
जयपुर/उदयपुर/कोटा				
जोधपुर/बीकानेर/कोटा				
जयपुर/बीकानेर/उदयपुर				
जयपुर/कोटा/उदयपुर				
जयपुर/बीकानेर/जोधपुर				
बीकानेर/जोधपुर/कोटा				
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर				
जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा				
जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/बीकानेर				
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर				

अखबार का नाम	वर्ष 1998	वर्ष 1997-98	वर्ष 1996-97	वर्ष 1995-96
	कुल कालम, सेमी / राशि	कुल कालम, सेमी / राशि	कुल कालम, सेमी / राशि	कुल कालम, सेमी / राशि
दैनिक नवज्योति				
जयपुर				
जयपुर/अजमेर				
जयपुर/कोटा				
अजमेर				
अजमेर/जयपुर				
अजमेर/कोटा				
कोटा/अजमेर				
कोटा/जयपुर				
जयपुर/अजमेर/कोटा				
दैनिक भास्कर				
जयपुर				
जयपुर/अजमेर				
जयपुर/जोधपुर/अजमेर				
जयपुर/जोधपुर				
पंजाब केसरी				
दिल्ली				
जालंधर				
जागरण				
दिल्ली				
कानपुर				
आब्जर्वर (अंग्रेजी)				

उत्तर

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राजस्थान एवं दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों को वर्ष 1995-96 से 1998 तक दिये गये विज्ञापनों का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

तहसील सिवाना (बाड़मेर) में प्रस्तावित सहायक अभियन्ता कार्यालय

25. श्री गोपाराम मेघवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बाड़मेर की तहसील सिवाना में कितने राजस्व ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त वंचित राजस्व ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त तहसील में 132 के.वी. के कितने ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हैं ? इस वित्तीय वर्ष में इस पर कितनी राशि आवंटित की गई और कितनी राशि व्यय की गई है तथा इसे कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(4) क्या तहसील सिवाना (बाड़मेर) के समदड़ी कस्बे में सहायक अभियंता विद्युत का कार्यालय खोलने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर की तहसील सिवाना शत-प्रतिशत विद्युतीकृत है।

(2) जिला बाड़मेर की तहसील सिवाना के सभी ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं, अतः कोई ग्राम विद्युतीकृत घोषित करना शेष नहीं है।

(3) तहसील सिवाना (बाड़मेर) में एक 132 के.वी. का सब स्टेशन विश्व बैंक से ऋण सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। विश्व बैंक से ऋण मिलने में देरी को देखते हुये इसे इस वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है वह इसके लिए रुपये 200 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस सब-स्टेशन के वर्ष 1999-2000 में कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

(4) तहसील सिवाना (बाड़मेर) के समदड़ी कस्बे में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। प्रशासनिक व वित्तीय दृष्टि से साध्य पाये जाने पर उक्त कार्यालय खोलने पर विचार किया जाना संभव होगा।

लेखाकार के पदों में आरक्षण व्यवस्था

26. डा. करण सिंह यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या हाल ही में विज्ञापित लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस विज्ञापित विज्ञप्ति में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है ?

(3) क्या हाल ही में विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 60 प्रतिशत अंक रखी गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। आरक्षण नहीं दिया जा सका, क्योंकि लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों में महिलाओं को सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के मामले में मण्डल के पूर्ण कालिक सदस्यों को दिनांक

(ऊर्जा मंत्री)

1-2-1999 को हुई बैठक में ही निर्णय लिया जा सका। अब सभी वर्गों को महिलाओं को आरक्षण देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां।

(3) मण्डल के विज्ञापन दिनांक 31-10-1998 द्वारा उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य संकाय में प्रथम श्रेणी की स्नातक उपाधि रखी गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 22-1-1999 को संशोधित विज्ञापन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिये शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य संकाय में प्रथम श्रेणी के स्थान पर प्राप्तांक 55 प्रतिशत निर्धारित किये गये थे।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में विद्युतीकरण

27. श्री जसवंत सिंह (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के कौन-कौन से गांव विद्युतीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है और शेष रहे गांवों का अब कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में माह फरवरी, 1999 तक 151 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में वर्ष 1998-99 में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में निम्न 13 गांव विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं :—

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड़ नं.
1.	बटेश्वर कला	7/2/7
2.	गावड़ी	73
3.	नयापुरा	113
4.	नरसिंहपुरा	114
5.	सेवर पाली	107
6.	करूवा	110
7.	कुदिना	112
8.	गुढ़ा मुतावली	115
9.	रजई खुर्द	130
10.	कस्वा नगर	131
11.	बरमन	7/1/54
12.	सिलुआ	55
13.	मधपिपरोड़ा	56

शेष रहे अविद्युतीकृत गांवों को निर्धारित नीति व उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही विद्युतीकृत किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट - 6 देखें)

तिलम् संघ इकाई कोटा का बन्द प्रकरण

28. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार तिलम् संघ की कोटा शहर यूनिट को बन्द करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) तिलम् संघ की कोटा इकाई को बन्द करने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, कितने किसान, मजदूर कर्मचारी प्रभावित होंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के परिपेक्ष्य में फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्राम सेवा मण्डल आईदान का बास (जयपुर) द्वारा सहायता राशि का दुरुपयोग प्रकरण

29. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) ग्राम सेवा मण्डल आईदान का बास, दूदू (जयपुर) का पंजीकरण कब हुआ? पंजीकरण के समय सदस्य कौन-कौन थे एवं वर्तमान में कौन-कौन हैं? पंजीकरण के समय कार्यकारिणी में कौन-कौन थे एवं वर्तमान में कौन-कौन हैं?

(2) उक्त संस्था की कार्यकारिणी के चुनाव कब-कब हुए? क्या पंजीकरण से अब तक मंत्री पद पर एक ही व्यक्ति काबिज है? यदि हां तो कौन एवं किस आधार पर?

(3) उक्त संस्था को पंजीकरण से अब तक कितनी-कितनी राशि राज्य सरकार/भारत सरकार विदेशी सहायता के रूप में कब-कब प्राप्त हुई। अब तक प्राप्त सहायता राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संस्था द्वारा अब तक कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां करवाये गये? उक्त संस्था द्वारा करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के कार्यरत होने की वर्तमान में क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त संस्था का अंकेक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब एवं किसके द्वारा और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार अब उक्त संस्था का अंकेक्षण करवाकर संस्था संचालकों द्वारा सरकारी/विदेशी सहायता राशि के दुरुपयोग की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम सेवा मण्डल आईदान का बास, दूदू (जयपुर) का पंजीकरण दिनांक 3-2-1960 को हुआ, पंजीयन क्रमांक 96/59-60 है। पंजीकरण के समय के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। संस्था के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। पंजीकरण के समय की कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। संस्था की वर्तमान कार्यकारिणी की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) संस्था द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत सूचनाओं के अनुसार संस्था में कार्यकारिणी के चुनाव पंजीकरण के समय एवं दिनांक 7-10-67, 9-5-76, 20-1-80, 16-1-83, 3-3-83, 29-3-87 एवं 18-11-90 को हुए। जी, नहीं।

(3) राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत उक्त सूचनायें प्राप्त करने का रजिस्ट्रार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा उक्त प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अतः वांछित सूचना प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 में संस्था का अंकेक्षण सरकार द्वारा कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान स्पिनिंग फैडरेशन का गंगापुर (भीलवाड़ा) ईकाई प्रकरण

30. डा. रतनलाल जाटा (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान स्पिनिंग फेडरेशन इकाई गंगापुर (भीलवाड़ा) में कोम्बर मशीन दो करोड़ रूपये की लागत से खरीदी गई? क्या इस मशीन द्वारा किसी भी दिन उत्पादन नहीं दिया गया है तथा 12 लाख रुपया प्रतिमाह का इससे घाटा हो रहा है?

(2) क्या उक्त इकाई में आटो कार्नर मशीन के सूत में तथा बाईडिंग मशीन (पुरानी मशीन) सूत क्रम में अन्तर है?

(3) गंगापुर इकाई का सूत हनुमानगढ़ इकाई के बजाय सस्ता क्यों है, जबकि आधुनिक मशीनें गंगापुर में खरीद की गई एवं उत्पादन किया जाता है?

(4) क्या उक्त इकाई में ओपन हैण्ड मशीन बन्द है? यदि हां, तो कब से? क्या यह मशीन चालू होती तो कम लागत में सूत का उत्पादन होता जो कि श्रम व पावर खर्चे की अन्य मशीनों के बजाय कम है?

(5) क्या गंगापुर इकाई में कार्यरत कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन श्रृंखला एवं स्पीन फेड की अन्य यूनिटों में दी जाने वाली वेतन श्रृंखला में कोई अन्तर है?

(6) गंगापुर इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के कितने प्रकरण न्यायालयों में लम्बित हैं? क्या यह सही है कि एक भी प्रकरण में यूनिट नहीं जीत पाई है। इस प्रशासनिक शिथिलता के पीछे कौन दोषी है?

(7) कॉटन खरीद कार्यालय गंगानगर के लिए स्पीन फेड इकाइयों के कर्मचारियों के बजाय डिलीवरी क्लर्क ठेका प्रथा के माध्यम से खरीद क्यों करवायी जाती है एवं आड़त क्यों दी जाती है?

उत्तर

(1) जी हां। इकाई-गंगापुर में कोम्बर मशीन 2.14 करोड़ रु. की खरीदी गई थी। उक्त मशीनों को जुलाई, 96 से दिसम्बर, 96 तक कार्य में लिया गया। इन मशीनों पर लगभग 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह ब्याज की हानि हो रही है। फैडरेशन संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 27-2-99 द्वारा इस मशीनों के आगे भी काम में न आने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए सैद्धान्तिक रूप से विक्रय करने का निर्णय लिया गया है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। इकाई-गंगापुर में आटोकार्नर मशीन के सूत तथा वाईंडिंग मशीन के सूत की गुणवत्ता में अन्तर है।

(3) फैडरेशन इकाइयों के अलग-अलग मण्डियों में ख्याति प्राप्त स्थापित अलग-अलग काउंट के बाजार भाव होते हैं। सूत की दरें बाजार एवं सूत की क्वालिटी पर निर्भर करती हैं। सूत की गुणवत्ता व मार्केट की मांग के अनुसार कभी गंगापुर व कभी हनुमानगढ़ इकाई के सूत की दरें ऊंची रहती हैं। साधारणतः गंगापुर इकाई में आधुनिक मशीनों द्वारा उत्पादित सूत की दरें हनुमानगढ़ इकाई की दरों से अधिक हैं।

(4) जी हां। इकाई-गंगापुर की ओपनहैण्ड मशीन दिनांक 6-2-99 से इस मशीन द्वारा उत्पादित सूत में बाजार से शिकायत आने के कारण बंद है। शिकायत की जांच करवाई जाकर सुधार के ठोस उपाय किए जा रहे हैं, ताकि ओपन हैण्ड मशीन पर पुनः उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके। यदि ओपन हैण्ड मशीनें अभी चलाई जाती हैं तो उत्पादित माल को बाजार में उचित मूल्य पर बेचना संभव नहीं होगा। व इससे हानि बढ़ने की संभावना है। जैसे ही मार्केट ठीक हुआ इन मशीनों को चलाया जावेगा।

(5) जी नहीं।

(6) गंगापुर इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के 10 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। यह सही नहीं है कि एक भी प्रकरण में युनिट नहीं जीत पाई है। यदि किसी केस में प्रशासनिक शिथिलता की वजह से हार होती है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा अब इकाई के सभी न्यायिक प्रकरण मुख्यालय स्तर पर ही सम्पादित किए जा रहे हैं।

(7) डिलीवरी क्लर्कों की नियुक्ति अस्थाई तौर पर केवल कॉटन सीजन हेतु की जाती है ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके। इस हेतु इन कर्मियों को एक समग्र वेतन दिया जाता है एवं सीजन समाप्त होने पर साधारणतया इनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाती हैं। चूंकि फैडरेशन में कॉटन के इतने अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है अतः कॉटन के अनुभवी व्यक्तियों को डिलीवरी क्लर्क के रूप में सीजनल रखा जाता है। श्री गंगानगर क्षेत्र में फैडरेशन का कॉटन क्रय कार्यालय खुला हुआ है एवं इस क्षेत्र की कॉटन इस कार्यालय द्वारा स्वयं क्रय की जाती है, अतः इस क्षेत्र में फैडरेशन द्वारा आढ़त नहीं दी जाती है।

जिला बीकानेर की लिफ्ट नहरों पर व्यय

31. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गजनेर, कोलायत, बांगड़सर, फलौदी, पोकरण, साहवा लिफ्ट नहर योजनाएं कब स्वीकृत हुई थीं तथा वर्ष 1989-90 तक मिट्टी लाइनिंग व पम्पिंग स्टेशन का कितना-कितना कार्य हुआ? प्रत्येक नहर की प्रणाली, वितरिका, माइनर का वर्ष वार राशि आवंटन व कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

(2) उक्त नहर प्रणाली पर वर्ष 1990 से 1998 तक की सूचना सदन की मेज पर रखें। अब सरकार उक्त लिफ्ट नहरों को कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गजनेर, कोलायत, बंगडसर, फलोदी, पोकरण व साहवा लिफ्ट योजनाएं वर्ष 1983 में स्वीकृत हुई थीं। इन लिफ्ट योजनाओं पर वर्ष 1989-90 तक कुल 36,83,250 घन मीटर मिट्टी का कार्य हुआ व कुल 4.40 कि.मी. लम्बाई में लाइनिंग का कार्य पूरा किया गया। पम्पिग स्टेशनों का कार्य वर्ष 1990 तक प्रारम्भ नहीं हुआ था। नहरों का प्रणालीवार हुए कार्यों का ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। प्रत्येक नहर प्रणाली वितरिका एवं माइनर का वर्षवार राशि आवंटन व किये गये कार्यों व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) उक्त नहर प्रणालियों पर वर्ष 1990 से 98 तक की अवधि में प्रणालीवार एवं वर्षवार आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" तथा किये गये भौतिक कार्यों का ब्यौरा परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। पम्पिग स्टेशनों की मार्च, 1998 तक की प्रणालीवार प्रगति संलग्न परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार वित्तीय संशाधनों की कमी नहीं रही तो उक्त लिफ्ट नहरों को वर्ष 2005 तक पूरा करने का विचार है।

(ब्यौरा एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला पाली व अजमेर के चारा डिपो

32. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली व अजमेर के किस-किस स्थान पर पशुओं के लिए चारा डिपो खोले गये हैं? दिसम्बर, 1998 से अब तक खोले गये डिपो की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला पाली में अब तक चारा डिपो नहीं खोलने के क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार नियमों में शिथिलता प्रदान कर पाली जिले में चारा डिपो खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला पाली में खोले गये चारा डिपोज की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-1) अजमेर जिले में चारा डिपो नहीं खोले गये हैं।

(2) जिला कलक्टर्स को आवश्यकतानुसार चारा डिपो खोलने के निर्देश दिये गये हैं। चारा डिपो संचालन हेतु जारी निर्देशों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) पाली जिले में कुल स्वीकृत डिपोज में से तहसील पाली में एक तथा तहसील रोहट में 7 डिपो कार्यरत हैं। (परिशिष्ट-1)

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या - 33

(स्थगित)

मोहता महाविद्यालय, सार्दुलपुर (चूरू) में विधि संकाय

34. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में विधि महाविद्यालय कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

(2) राज्य के किन-किन जिलों में वर्तमान में विधि महाविद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मोहता महाविद्यालय सादुलपुर, चूरू में विधि संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में वित्तीय साधनों को देखते हुए 17 जिला मुख्यालयों पर विधि महाविद्यालय प्रारम्भ करने की योजना है। बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार ही राज्य में स्वतन्त्र विधि महाविद्यालय प्रारम्भ करने की नीति है।

(2) राज्य के पन्द्रह जिलों में सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में 1986 से पूर्व प्रारम्भ विधि संकाय एवं 6 जिलों में तथा तीन विश्वविद्यालयों में स्वतन्त्र विधि महाविद्यालय संचालित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। क्योंकि बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किसी भी बहु संकाय वाले महाविद्यालय में विधि संकाय प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है तथा जहां पर जिला मुख्यालय एवं जिला सेशन कोर्ट स्थित है वहाँ पर ही स्वतन्त्र विधि महाविद्यालय प्रारम्भ किया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विश्वविद्यालयों में पुनर्मूल्यांकन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

35. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो इस सत्र के कौन-कौन से परीक्षा परिणाम अभी घोषित किये जाने शेष हैं?

(2) राज्य के विश्वविद्यालयों में पुनर्मूल्यांकन हेतु वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में कितने प्रार्थना पत्र शुल्क सहित प्राप्त हुए थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राप्त पुनर्मूल्यांकन प्रार्थना पत्रों में कितने अंकों में बढ़ोतरी हुई? सूची पूर्व में कितने अंक थे और मूल्यांकन के बाद कितने अंक प्राप्त हुए। सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा खुला विश्व-विद्यालय की दिसम्बर, 1998 की परीक्षा के आगे परिणाम घोषित हुए हैं :—

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

—मैनेजमेंट

—टयूरीजम एण्ड होटल मैनेजमेंट (टी.एच.एम)

—डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एण्ड ऑफिस मैनेजमेंट (डीसीओ)

—सर्टीफिकेट कोर्स इन फूड एण्ड न्यूट्रेशन (सी.एफ.एन)

—डिप्लोमा इन न्यूट्रेशन एण्ड हैल्थ एजुकेशन (डीएनएंचई)

शेष सभी विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं।

(2) वर्ष 1997-98 में विश्वविद्यालयवार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर— 34273
2. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर — 8601
3. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर — 32097
4. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर — 26412
5. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर — 324

कोटा खुला विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है।

1998-99 की मूल परीक्षा अभी होनी है इसके बाद ही पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

(3) सूचना विस्तृत है। इसके एकत्रित किया जा रहा है।

व्याख्याता पद हेतु लिये गये साक्षात्कार

36. श्री देवीसिंह भाटी (कालोयत) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कॉलेज शिक्षा विभाग के अधीनस्थ जून, 1998 से अक्टूबर, 1998 के मध्य विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा साक्षात्कार लिये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि साक्षात्कार होने की अंतिम तिथि तक सभी विषयों के रिक्त पदों को सम्मिलित कर लिया गया था ? यदि नहीं, तो किन-किन विषयों की रिक्तियां सम्मिलित की गई।

(3) क्या जितने व्याख्याता पदों के लिए साक्षात्कार लिये गए उतने ही पद विज्ञापित किए गए थे और इतने ही चयनित आशार्थियों की मुख्य सूची बनाई गई तथा इतने ही आशार्थियों के नाम की आरक्षित सूची जारी की गई ? यदि हां, आरक्षित सूची में से किन-किन विषयों के व्याख्याताओं को नियुक्ति दी गई और किन-किन में नहीं दी गई ?

(4) क्या वर्ष 1998 से पूर्व के वर्षों में आरक्षित सूची के सभी आशार्थियों को एक वर्ष में रिक्त हुए पदों पर नियुक्तियाँ दी गई ? यदि नहीं, तो अब वर्ष 1998 की आरक्षित सूची में चयनित आशार्थियों को नियुक्ति का अवसर कब तक दिया जावेगा ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(5) वर्ष 1998 की आरक्षित सूची में चयनित आयु सीमा पार कर रहे आशार्थी को जो भविष्य में सरकारी पदों के लिए पात्र नहीं रहेंगे के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। साक्षात्कार होने की अंतिम तिथि तक निम्न विषय के रिक्त पदों को सम्मिलित किया गया था : —

पदों में से ही उक्त रिक्तियों को सम्मिलित कर साक्षात्कार लेकर मुख्य सूची में चयन करने का प्रावधान है। यदि उक्त रिक्तियों 50% से अधिक संख्या में हैं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनः विज्ञापन जारी करना आवश्यक होता है। जैसे आयोग द्वारा गणित विषय में एक एवं भौतिक शास्त्र विषय में चार पर विज्ञापित होने के पश्चात् विभाग में गणित विषय में तीन पद एवं भौतिक शास्त्र विषय में 13 पद और रिक्त हो जाने के कारण

क्र.सं. विषय	विज्ञापित पद	विज्ञापन के पश्चात् साक्षात्कार से पूर्व भेजी गई रिक्तियां	50% सीमा से कम अथवा अधिक	कुल पद
1. अर्थशास्त्र	17	08	कम	25
2. हिन्दी	64	09	कम	73
3. इतिहास	46	09	कम	55
4. दर्शनशास्त्र	02	01	कम	03
5. राजनीति शास्त्र	42	11	कम	53
6. लोक प्रशासन	05	11	कम	06
7. वनस्पति शास्त्र	23	11	कम	34
8. रसायन शास्त्र	40	14	कम	54
9. प्राणी शास्त्र	23	11	कम	34
10. भूगोल	78	—	कम	78
11. गणित	01	03	अधिक	04
12. भौतिक शास्त्र	04	13	अधिक	17

(3) जी नहीं। राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा (नियम) 1986 के नियम 16 के अन्तर्गत यदि साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापित पदों की संख्या से 50% से कम संख्या में विभाग द्वारा भेजे जाते हैं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग को विज्ञापित विभाग द्वारा विज्ञापित संख्या से 50% से अधिक रिक्तियां भेजे जाने के परिणामस्वरूप आयोग ने उक्त विषयों में पुनः विज्ञापन जारी किया (गणित विषय में चार तथा भौतिक शास्त्र विभाग में 17 पद)।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

विभाग द्वारा उक्त विषयों में आयोग के पास उपलब्ध आरक्षित सूची में से अभ्यर्थियों के नाम अभी तक नहीं मंगवाये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सिविल अपील संख्या 3384/1997 के जयमोहन विरुद्ध केरल राज्य के और अन्य के प्रकरण में निर्णय दिनांक 25-4-97 में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिये गये निर्णय एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3541/96 की श्री अशोक कुमार गुप्ता बनाम राज्य सरकार में दिनांक 7-7-1997 को पारित निर्णय के अनुसार यदि मुख्य सूची में से कोई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसके पश्चात् ही आरक्षित सूची में से नाम प्राप्त कर नियुक्ति दी जा सकती है। इसी प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार यदि विभाग में अन्य प्रकार से और कोई भी पद रिक्त होता है तो उसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की अर्थना भेजकर नया चयन करवाया जाना आवश्यक है।

(4) जी हां। वर्ष 1998 से पूर्व के वर्षों में आरक्षित सूची के सभी आशार्थियों की एक वर्ष में रिक्त हुए पदों पर नियुक्तियां दी गई थी परन्तु प्रश्न संख्या 3 में वर्णित मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 7(2) कार्मिक/क-2/81 पार्ट फा. दिनांक 25-8-98 के पश्चात् आरक्षित सूची में से नियुक्ति तब ही दी जावेगी जब मुख्य सूची में चयनित किसी व्यक्ति द्वारा कार्यग्रहण करने में असमर्थता प्रकट कर दी गई हो और उसकी रिक्ति विभाग में उपलब्ध हो।

(5) प्रश्न संख्या 3 व 4 में बताये कारणों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा में रिक्त पद

37. **श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी)** : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के अंदर कितने संस्कृत महाविद्यालय कहां-कहां पर स्थापित हैं तथा इनमें कितने छात्र अध्ययनरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के इन संस्कृत महाविद्यालयों में व्याख्याताओं, कॉलेज प्राचार्यों सहित अन्य कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सरमथुरा (बाड़ी) में गत 2-3 वर्षों से कालेज प्राचार्य, व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि के पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक।

उत्तर

(1) राज्य के अन्दर राजकीय आचार्य स्तर के 6 एवं शास्त्री स्तर के 15 इस प्रकार कुल 21 संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हैं इन महाविद्यालयों में 9596 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं संस्थावार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) राज. संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 4 पद व्याख्याता 33 वरिष्ठ अध्यापक प्रथम ग्रेड के 29 एवं वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय ग्रेड के 8 एवं अन्य 31 पद रिक्त हैं। (सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है)।

(3) 2-3 वर्षों से चल रहे रिक्त पदों को समय-समय पर पूर्ति की जाती है उनमें कुछ व्यक्तियों द्वारा कार्यारम्भ न करने एवं अन्यत्र चले जाने के कारण पद पुनः रिक्त हो जाते हैं।

(i) जिला धौलपुर के उपखण्ड बाड़ी के अन्तर्गत राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सरमथुरा में विगत 2-3 वर्षों से रिक्त प्राचार्य व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। प्राचार्य का पद दिनांक 16-1-99 से रिक्त है, इस पद पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31-12-98 द्वारा श्री हजारीलाल बैरवा का पदस्थापन किया गया एवं दिनांक 16-1-99 के द्वारा निरस्त कर सरमथुरा के चौथका बरवाड़ा स्थानान्तरित पदस्थापित कर दिया गया। इस प्रकार यह पद रिक्त चल रहा है। संस्था के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(ii) प्राचार्य पद के लिए निर्धारित अध्यापन अनुभव की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण डी.पी.सी. द्वारा प्राचार्य पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तथा सीधी भर्ती से भी विज्ञापित रिक्तियों के अनुरूप अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं।

(iii) व्याख्याता पदों की सीधी भर्ती के प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाये गए थे जिनका विज्ञापन जारी हो चुका है। चयन प्रक्रिया करने का निवेदन किया गया है। चयन होने पर पद पूर्ति किया जाना संभव हो सकेगा।

(iv) विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के पदोन्नति के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। शीघ्र डी.पी.सी. कराकर पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(v) वरिष्ठ अध्यापक प्रथम ग्रेड के पदों को डी.पी.सी. दिनांक 15-2-99 को आयोजित हो चुकी है चयन प्रस्ताव अनुमोदनार्थ आयोग को भिजवा दिये गये हैं अनुमोदन प्राप्त होते ही वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड के पदों की पूर्ति किया जाना संभव होगा।

(vi) द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सीधी भर्ती से नियुक्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है उक्त पदों को मैरिट पर माननीय न्यायालय में रिट विचाराधीन होने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं नियुक्ति के क्रम में न्यायालय प्रकरण में निस्तारण होने पर नियुक्तियां प्रदान कर पद पूर्ति कर दी जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला बीकानेर के प्रस्तावित सड़क निर्माण

38. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमसेन चौधरी)

(1) वर्ष 1999-2000 में कृषि उपज मण्डी समिति खाजूवाला, बीकानेर व लूणकरणसर ने कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावित की है ?

(2) क्या यह सही है कि मण्डी क्षेत्र खाजूवाला में चक 3 पी.डब्ल्यू.एम. से 28 के.वाई.डी. 4 कि.मी. खाजूवाला-वल्लार रोड के 15वें कि.मी. से चक 28 के.जे.डी. -3 कि.मी., खाजूवाला-रावला रोड से चक 6 पी.एच.एम.-2 कि.मी., चक 2 के. डब्ल्यू. एम. से चक 28 बी. डी. -4 कि.मी. व लूणकरणसर मण्डी क्षेत्र की खार बाराशेरपुरा - 4 कि.मी., धीरेका-खिपेरा - 5 कि.मी. व बीकानेर मण्डी क्षेत्र की राजेरा खारड़ा, नोरंगदेसर-नापासर सम्पर्क सड़क की मांग लम्बे समय से की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 के प्रस्तावित निर्माण कार्य मय राशि के तालिकानुसार हैं : —

(2) मण्डी क्षेत्र खाजूवाला के अन्तर्गत प्रश्न में अंकित सड़कें, सड़क नीति के अनुरूप वरीयता में नहीं आने के कारण मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई हैं। लूणकरणसर मण्डी क्षेत्र की खारबारा-शेरपुरा के शेष कार्य (4 कि.मी.) सड़क नीति अन्तर्गत नहीं आने से स्वीकृत नहीं की गई है। घायेरा तथा खियेरा ग्राम सड़कों से जुड़ा हुआ होने के कारण सड़क नीति के अनुसार मण्डी समिति, द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई है। सम्पर्क सड़क राजेरा से खारड़ा मण्डी समिति बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) के अन्तर्गत आती है तथा यह सड़क मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं है। नौरंगदेसर तथा नापासर ग्राम सड़कों से जुड़े हुए होने के कारण सड़क नीति अनुसार मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

(राशि लाख रुपयों में)

नाम मण्डी समिति	चालू निर्माण कार्य		नवीन निर्माण कार्य	
	भवन निर्माण	सड़क निर्माण	भवन निर्माण	सड़क निर्माण
1. खाजूवाला	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।			
2. बीकानेर (अनाज)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।			
3. बीकानेर (फ.स. व ऊन)	44.24	30.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।	
4. लूणकरणसर	0.82	50.00	42.81	16.35

जिला जयपुर एवं सीकर के नीलामी कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति

39. **श्री शैलेन्द्र जोशी** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कृषि उपज मण्डी समितियां, जयपुर एवं सीकर में ऐसे कितने कनिष्ठ लिपिक/नीलाम लिपिक हैं, जो वर्ष 1973 से नियुक्ति के पश्चात् अपने मूल पद पर ही नियुक्त हैं ? तत्समय की वरिष्ठता सूची तथा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कृषि विपणन बोर्ड से पृथक् कृषि विपणन निदेशालय गठित होते समय तैयार एवं अभिशंषित वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में नियुक्त सभी कर्मियों को पदोन्नति/नोशनल पदोन्नति का लाभ दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक पदोन्नतियां दे दी जावेंगी?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियां जयपुर एवं सीकर में एक नीलाम लिपिक है, जो वर्ष 1973 से नियुक्ति के पश्चात् मूल पद पर ही नियुक्त है। तत्समय की वरिष्ठता सूची व विपणन निदेशालय द्वारा जारी वरिष्ठता सूचियां परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न हैं।

(2) उक्त अवधि में चयन प्रक्रिया में योग्य पाये गये कर्मचारियों की पदोन्नति दी जा चुकी है। एक कर्मचारी का लिफाफा सील कवर किया गया है जिस पर निर्णय लिफाफा खोले जाने पर, नियमानुसार लिया जावेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि उपज मण्डी धरियावद (उदयपुर) हेतु अवाप्त भूमि प्रकरण

40. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी हेतु धरियावद जिला उदयपुर में कोई भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो किस-किस आराजी नम्बर की कितनी भूमि हेतु कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण मय आदेशों एवं राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित आदेशों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज-पत्र में प्रकाशित समस्त अवाप्त भूमि को अवाप्त किया गया? यदि नहीं, तो कितनी भूमि छोड़ी गई तथा भूमि छोड़ने के क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अवैधानिक तरीके के कारण समस्त भूमि अवाप्त नहीं की गई? यदि हां, तो उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा वर्ष 1999 में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कर दोषी अधिकारी को दण्डित करने एवं समस्त भूमि अवाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अवाप्त करने हेतु राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 1-4-89 राजस्थान राजपत्र में दिनांक 15 जून 89 को प्रकाशित हुई थी। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। समस्त भूमि को अवाप्त किये जाने के आदेश किये हैं किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 14-1-99 से 5 बीघा भूमि छोड़ी है। कारण के सन्दर्भ में उक्त निर्णय की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) समस्त भूमि अवाप्ति के लिये उप-खण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिये गये निर्णय को रिव्यू किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, उदयपुर को लिखा गया है। उप खण्ड अधिकारी के आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 14-1-99 को रिव्यू करवाया जा रहा है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर खण्ड पूर्व के मंत्रालयिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची

41. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सचिव, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 28988-29047 दिनांक 7-6-79 द्वारा अजमेर खण्ड पूर्व की मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिक/नीलाम लिपिक/नीलामकर्ता संवर्ग के सेवारत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि चयन मण्डल ने वरिष्ठता सूची में क्रमांक 1 से 47 तक अंकित उक्त संवर्ग के कर्मियों को क्रमानुसार वरिष्ठ लिपिक/पर्यवेक्षक/कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर पदोन्नतियाँ करने की सिफारिश की थी ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक प. (ग्रुप-1-ग) नियु/79/47915-95 दिनांक 16-10-79 के द्वारा उक्त कर्मियों को नोशनल प्लेशमेंट में पदोन्नति हेतु योग्य माना जाकर अनुमोदन किया गया था ?

(4) क्या उक्त सभी कर्मियों को पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक नोशनल पदोन्नतियां दे दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि कृषि विपणन निदेशालय के आदेश दिनांक 2-9-86 द्वारा प्रकाशित सीकर खण्ड की वरिष्ठता सूची में क्र.सं. 1 पर अंकित कर्मचारी को वर्ष 1988-89 में नोशनल प्लेशमेंट का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्र. सं. 1 से आगे अन्य कर्मियों को उक्त लाभ देने में क्या आपत्ति है जबकि उक्त कर्मी वर्ष 1973-74 से मूल पद पर नियुक्त है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्रम संख्या 1 से 31 तक की पदोन्नति की सिफारिश की गई थी।

(3) सिफारिश के अनुरूप 31 कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा चुका है।

(4) जी नहीं। क्योंकि अजमेर खण्ड पूर्व में वरिष्ठ लिपिक के 31 पद ही पदोन्नति के उपलब्ध थे, अतः 31 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई हैं। पदोन्नति खण्डवार रिक्त पदों के आधार पर दी जाती रही है, अतः नोशनल पदोन्नति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(5) जी हां। श्री सत्यपाल जो कि वरिष्ठता सूची क्रमांक 1 पर है, की वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद पर उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-2-89 के आधार पर वरिष्ठता का पुनर्गठन कर नोशनल प्लेसमेंट का लाभ दिया गया है। नोशनल प्लेसमेंट तभी दिया जाता है जबकि पूर्व वर्षों में रिक्तियां एवं योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध हो। इससे आगे के कर्मचारियों के लिये रिक्तियां उपलब्ध नहीं थी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हीरासिंह चौहान, एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में अकाल राहत कार्य नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के परिजनों व रक्तदाताओं को रक्त के साथ-साथ शुल्क अदा करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी वाली बात ही कहां है? ढाई सौ रुपये तो उसे रक्तदाता से लेंगे जो सीधे हास्पिटल में आएगा, रक्त के साथ ढाई सौ रूपये वह देगा, और प्राइवेट क्लिनिक से रैफर होकर आएगा वह पांच सौ रुपये देगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, खून भी दो और शुल्क भी दो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : मंत्री महोदय का आदेश है, डाइरेक्टर महोदय का आदेश है कि ढाई सौ रुपये हास्पिटल में भर्ती होने वाले से और पांच सौ रुपये प्राइवेट वाले से –(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच का कोई मामला ही नहीं होता है।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जरूरी इन्फार्मेशन बताना चाहती हूं। गुढ़ामलानी क्षेत्र के अन्दर जो तेल और गैस के कुएं निकले हैं, वे राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि उन सबको, जो इसमें कार्यरत थे, तेल और गैस निकालने का जो कुआं खोजा है उन सबके लिये धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए। आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, हमें एक स्थगन प्रस्ताव आपके..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, निवेदन सिर्फ इतना है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति है।

श्रीमती यासमीन अबरार : गुढ़ामलानी क्षेत्र के अन्दर, जिस क्षेत्र का 5 साल पहले आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे..(व्यवधान) उस क्षेत्र में जो रेगिस्तान का माना जाता है, गैस और तेल निकलना है, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहूंगी कि उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए। धन्यवाद।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिस खून के बदले में पैसा लेने का फैसला तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था वह भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। (व्यवधान) तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे माननीय राजेन्द्रसिंह जी राठौड़ साहब, 16-11-1998 में यह आदेश तत्कालीन चिकित्सा मंत्री के थे कि पैसे लिये जाएं और अपने आदेश के खिलाफ ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है ......(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सत्य है, आप जवाब मंगा लीजिए, किसकी सरकार ने ये आदेश जारी किये थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16-11-1998 को यह आदेश जारी किया कि खून भी लिया जाए और शुल्क भी लिया जाए। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने आपके आदेश की पालना नहीं की उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? आपके आदेश के बावजूद भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई और आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रख रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री महोदय, 23-12-1998 को, इसी 23 दिसम्बर को एक आदेश जारी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आदेश को मैं पढ़कर सुना रहा हूं। आदेश संख्या 98/1081, 23-12-98....उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पूर्ण राज्य में जांच किया हुआ रक्त राजकीय चिकित्सालय संस्थानों में उपलब्ध कराने के लिए कितना शुल्क लिया जाए, यह मामला काफी समय से विचाराधीन था।

पूर्ववर्ती सरकार के पास निश्चित तौर पर यह मामला आया था। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अब सरकारी चिकित्सालयों में जो कोई भी मरीज आएगा, पहले तो अपने रिश्तेदार को लेकर आए, उसका रक्त दिलवाये और फिर उसके साथ ढ़ाई सौ रूपये दे।

अध्यक्ष महोदय, यह सारी स्थिति इसलिए पैदा हुई कि 1992 में उच्चतम न्यायालय में एक वाद दायर हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने कुछ फैसला किया था जिस फैसले के अनुसार राज्य सरकार को और भारत सरकार को, जितने भी ब्लड़ बैंक हैं उनको लाइसेंस देना है, उन ब्लड़ बैंक्स में सारी व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात थी। अध्यक्ष महोदय, हुआ यह कि...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सारी स्थिति सामने आ जाएगी, आप सरकार से जवाब मंगा लीजिए। ये आदेश जारी किये बी.जे.पी. गवर्नमैंन्ट ने और मौखिक निर्देश दिये मंत्रीजी ने कि आप यह शुल्क मत लेना। एक ओर तो मंत्रीजी ने आदेश जारी किये कि शुल्क लिया जाए और मौखिक आदेश जारी किये कि शुल्क नहीं लिया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या होगी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप गवर्नमैंन्ट हो क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : और फिर, अध्यक्ष महोदय, आप इसका जवाब मंगा लीजिए, स्थिति आ जाएगी, रिपोर्ट सामने आ जाएगी।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : आपके समय में पानी के पैसे बढ़े, आपके समय में बिजली के पैसे बढ़े, आप भूल गये? आप भूल जाते हो अपनी कमजोरी को। आप सदन को गुमराह कर रहे हो। (व्यवधान) आप भूल गये इस बात को। (व्यवधान) आपके समय में ही मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन हुआ। (व्यवधान) आप भूल गये क्या? भारतीय जनता पार्टी के राज में...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : आपने ही सोसायटी बनायी, सभी प्रकार के शुल्क आपने लगाये हैं। (व्यवधान) सारे राजस्थान में आपने शुल्क लगाये हैं। हमने इस बात के लिये आन्दोलन किये हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आपने राजस्थान में प्रत्येक मरीज के ऊपर दो-दो रुपये शुल्क लगाये हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी, आपने राजस्थान में प्रत्येक मरीज के ऊपर 2-2 रुपये शुल्क लगाया है और करोड़ों मरीजों के ऊपर आपने चोरी से शुल्क लगाया। (व्यवधान) लाल कार्ड की आपने परम्परा डाली है...(व्यवधान) आप इसको बता ही नहीं सकते हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने क्या किया?

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रत्येक मरीज को अस्पताल में घुसने से पहले 2 रुपये का कार्ड लेना पड़ता है। वह लाल कार्ड लेने की शुरूआत, माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी, आपने ही की। यह आपने शुरू की है। आपने परम्परा शुरु की कार्ड की, जिससे करोड़ों रुपये ले लिये। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला आज होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : दो रुपये के कार्ड की परम्परा आपने चालू की है। अस्पताल में घुसते ही दो रुपये का लाल कार्ड, किसी भी गरीब को नहीं छोड़ा। आते ही दो रुपये का कार्ड। आप तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब याद आ रहा है आपको। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो परम्परा 50 साल से चली आ रही थी उसके बाद...(व्यवधान)

श्री आर.पी. शर्मा : आपने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करना चाहता हूं कि—

**"वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम"**

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज आप प्रवेश शुल्क की बात करें। आपने प्रवेश शुल्क लगाया हर मरीज पर, हर पेशेण्ट पर, हास्पिटल में हर घुसने वाले पर, उसके लिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तत्कालीन सरकार के सामने विचाराधीन था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने राजस्थान की जनता पर भार डाला। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान की जनता पर, आम आदमी पर आपने करोड़ों रुपये का भार डाला। लाइफ लाइन स्कीम, जो मेडीकल एजेंसी है, उसके द्वारा पैसे का मिसयूज हो रहा है। करोड़ों रुपया इकट्ठा कर राजस्थान का...(व्यवधान) आप करोड़ों रुपये का जवाब दीजिए, 2-2 रुपये के हिसाब से वह 50 करोड़ से ज्यादा राशि कहां गयी ?

श्री आर. पी. शर्मा : सब गलत परम्पराएं आपके शासन में डाली गयीं, तब आप चुप थे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रवेश शुल्क आपने लगाया, 2 रुपये का आज आप क्या कहेंगे ? उस समय आपको जनता का दर्द नहीं आया, उस समय आपको जनता की परेशानी नजर नहीं आयी, जब दो रुपये शुल्क लगाया ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जब सरकार की सूचना आ जाएगी तो ये मोशन पर बहस ही नहीं करेंगे, इसलिए इनको पापुलरिटी चाहिए। ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि संख्या बल में कम होकर भी हम कांग्रेस पर भारी हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप किसकी पैरवी कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : यादव साहब, आप ही बता दें कि होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : Are you a Government ? Why are you intervening in the matter?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं इनको सम्बोधन नहीं कर रहा हूँ। या तो आप फिर यह तय कर दें कि जिस दिन जो मोशन पेश होगा, व्यवस्था उसी दिन होगी, बहस भी उसी दिन होगी। नहीं तो यह सूचना आ जाने दो, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि ये सदन में बहस ही नहीं करेंगे। ये केवल एक काम सिद्ध करना चाहते हैं कि संख्या में कम होते हुए भी हम कांग्रेस पर भारी हैं। यह + + + सदन चलेगा। ये जो कुछ बोल रहे हैं, उससे + + + का पता लग जाएगा।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हर आउटडोर पेशेंट पर दो रुपये का टिकट आपने लगाया, लाल कार्ड दिलवाने की जरूरत आपने करवायी। (व्यवधान) एक गरीब के साथ क्या होगा? उस दिन आप क्यों नहीं आये? एक मजदूर के साथ क्या होगा, दो रुपये जब आपने शुरू कर दिये?

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, आप विराज जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं अपनी बात कहूं। मंत्री महोदय, आप बाद में जवाब देना। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विराजिये।

श्री चन्द्रशेखर : माननीय राठौड़ साहब, सुनो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : दो साल पहले राजस्थान का गरीब गरीब नहीं था और आज गरीब हो गया। एक तरफ तो वहां पर दो-दो रुपये लिये जा रहे हैं। आपने तो हर आउटडोर पेशेंट से लिया था। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने का समय दिया है, आप विराजिये।

श्री चन्द्रशेखर : माननीय राठौड़ साहब, सुनो-सुनो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना ही था कि...(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय, भारतीय जनता पार्टी सरकार की है ......(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : अब सुनो। अब सुनिये।

श्री आर.पी.शर्मा : यह केन्द्र सरकार का फैसला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

डा. करण सिंह यादव : उक्त की जांच के लिए नेशनल एड्स कण्ट्रोल प्रोग्राम के अन्दर रक्त परीक्षण करने के लिए, एड्स का परीक्षण करने के लिए, हेपेटाइटिस-बी का परीक्षण करने के लिए सारे किट केन्द्र देता था, नेशनल एड्स कण्ट्रोल प्रोग्राम देता था। सेण्ट्रल सरकार उसके लिए पैसा देती थी। आपकी सरकार ने उसको बन्द कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यादव साहब, आपकी जानकारी के लिए अब भी कह रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए अब भी कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने ही इनको एस.एम.एस. हास्पिटल में सुपरिंटेंडेंट लगाया था। आपने ही इनको सुपरिंटेंडेंट बनाया था।

डॉ. करण सिंह यादव : अब आप चाहते हो कि बिना परीक्षण किये हुए ही हम मरीजों को ऐसा खून...(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये आप ही के सुपरिंटेंडेंट हैं जो बोल रहे हैं। आपने ही इनको उचित माना था, अब आप इनकी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और पांच अन्य माननीय सदस्यों ने इस...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है ठीक है।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : जवाब दो इनको जनता ने दे दिया फिर भी + + + रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : + + + आप सबको। शर्म आनी चाहिये आपको। आप बोल रहे हो यहां पर।

श्री अध्यक्ष : अभी तो स्थगन प्रस्ताव रखने की मैंने अनुमति नहीं दी है तो भी आपने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है पर माननीय सदस्य जिस हल्की-फुल्की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, यह राजस्थान का सदन है, यह + + + नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ये चाहे जिस पर आरोप लगाएंगे, राजस्थान को खा गये, कितने ईमानदार हैं...(व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : मेरे से लिये हैं, मेरे से लिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बात करते हो बिना मतलब के।

श्री परसराम मोरदिया : + + + आज शर्म आनी चाहिये...करता है। मैं खड़ा हूं चूरू से...(व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन है, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : अब सरकार की पार्टी के...(व्यवधान)... साहूकार तो बोले, + + + (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह यहां पर + + + दिखाना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सरकार से जानकारी मांगी है, अब आप इस स्थगन प्रस्ताव पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सदन चल रहा है, आप ही यह कह दो कि...(व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : शर्म आनी चाहिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, आप इनको + + + सिखाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + आप यहां पर + + + करना चाहते हैं। क्या आप + + + करना चाहते हैं? + + + कौन होते हैं आप तमीज सिखाने वाले ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह गलत बात है। आप इस तरह से नहीं कहिये। आप माननीय अध्यक्ष महोदय को इंगित करके कहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका है? अध्यक्ष महोदय, यह सदन चल रहा है। यह गलत बात है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष महोदय को इंगित करके कहिये। Whatever you want to mention, you speak to the Hon'ble Speaker.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + + नहीं किया हमने पांच साल के अन्दर, + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका अखबार में नाम आ जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको मंत्री नहीं बनाया, शर्म आनी चाहिये आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहिये कि वे अपने सदस्यों को संयमित रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : + + +

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मरण-जीवन का सवाल है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जो शुल्क बढ़ा है, वह वापस होना चाहिये। बात यह होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : + + +

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है इसको एक्सपंज करिये। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह जन विरोधी है, इसलिए इसको वापस ले लेना चाहिये।

डा. किरोड़ी लाल : यह तो पूरे राजस्थान की जनता कह रही है, यह राजस्थान की जनता की भावना रही है, चर्चा कर रही है कि कैसे-कैसे हास्पिटल में पोस्ट्स तोड़ी हैं इन्होंने। पूरे प्रदेश की जनता जानती है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह माना जाए कि मोशन पर आपने बहस शुरू करा दी, मोशन पर बहस की इजाजते दे दी ?

एक माननीय सदस्य : काला कानून जारी किया, बन्द करो।

श्री हीरालाल विश्नोई : फिर भी हमको बहुमत दिया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, अब आग-बबूला हो रहे हो अन्दर से। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : खून का शुल्क वापस लो। (व्यवधान)

श्री आर.पी. शर्मा : भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार है उससे कहिये कि जो सब्सिड़ी बन्द की है, उसको पुनः चालू करे। भारतीय जनता पार्टी को कहिये। भारत सरकार में जो बैठे हैं उनको कहो। आप करवा सकते हो तो करवाइये। आप नारे मत लगाइये, आप उनको कहिये। आप वापस करवाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की भारत की जो सरकार है उसको लिखिये। उन्होंने ही सब्सिडी को वापस लिया है। माननीय राठौड़ साहब, आप खुद जानते हो अच्छी तरह से। (व्यवधान) भारतीय जनता

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री आर.पी. शर्मा)

पार्टी ने ही इस सब्सिडी को वापस लिया है, उनको लिखिये। भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को लिखिये, यहां पर नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो भारत सरकार में बैठी है उन्होंने ही इस सब्सिडी को बन्द किया है। उन्होंने ही गरीबों की सब्सिडी बन्द की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बात कहना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं या यहां पर केवल...(व्यवधान) जो बात कही है उसका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : एक तरफ तो आप भारत सरकार से सहायता बन्द करवा रहे हो और एक तरफ वापस लो, यह कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मेरी बात सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सरकार की तरफ से उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं? जवाब तो सुनिये। यह केवल जनता का ध्यान...(व्यवधान) आपने जो बात कही है उसका उत्तर नहीं सुनना चाहते हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह भारत सरकार से सहायता बन्द करवाकर नई-नई स्थितियां पैदा कर रहे हो यहां पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी बात को यहां पर उठाया और अपनी बात का सरकार की तरफ से उत्तर भी सुनना नहीं चाहते हैं। जवाब तो सुनिये। आपने जो बात उठाई है उसका जवाब तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब कोई मोशन आपने लिया ही नहीं तो जवाब किस आधार पर दे रहे हैं आप? आपके पास सूचना है? इसका मतलब आप इनका रिप्लाई दे रहे हैं। आप उनको उकसा रहे हैं। जवाब आ जाएगा तो ये आर्गुमैंट करेंगे ही नहीं। इनका जवाब तो जाएगा तो ये बहस ही नहीं करेंगे।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : आप आसन के पास जाएं, जवाब आ जाएगा तो बहस होगी। आप राजस्थान को कंगाल करके आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सदन का नेता ये बन गये क्या, जगमाल सिंह जी यादव? हरेक चीज पर ये बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ है और साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए मैं आज जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रमजान खान : क्या कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया कि आज से सदन के नेता जगमाल सिंह यादव हैं न कि श्रीमान् अशोक जी गहलोत? हरेक चीज पर ये बीच में खड़े होकर जवाब देते हैं? मंत्रीजी को निर्देश देते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात हुई क्या?

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव पर (व्यवधान) माननीय सदस्य, चूरु और अन्य माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर मैंने

(श्री अध्यक्ष)

जानकारी मांगी थी। जानकारी मांगने के बाद मैं, तथ्यों को देखकर उस पर अनुमति देता या असहमति देता या नहीं देता, मैंने निर्णय लिया नहीं। लेकिन तो भी इस मुद्दे को आप बार-बार सदन में उठा रहे हैं। उसके बाद में चिकित्सा मंत्रीजी भी वक्तव्य देना चाहते हैं। अब अगर वे वक्तव्य देंगे तो उस वक्तव्य के बाद में, नहीं, वक्तव्य वे देंगे, वक्तव्य वे दे सकते हैं पर उसके बाद में मैं कोई व्यवस्था नहीं दूंगा इस एडजोर्नमेंट मोशन पर, and the matter ends.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं कि किसने यह आर्डर निकाला, इस इम्पलीमैंटेशन अभी हुआ है। यह जानकारी भी नहीं थी कि कब यह हुआ था। मेरा तो यही निवेदन है कि दिल्ली के अन्दर कोई भी अस्पताल के अन्दर ऐसा शुल्क नहीं है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी। आपने कहा था कि मैं सरकार से इसकी जानकारी ले रहा हूं, बात समाप्त हो गयी। जानकारी लेने के बाद इनको बता दिया जाएगा। आगे की कार्यवाही लीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : न तो जी.बी. पंत हास्पिटल के अन्दर है, न 'एम्स' के अन्दर ऐसी व्यवस्था है। वहां पर भी फ्री किया जाता है। तो अपन यह शुरूआत यहां पर एस.एम.एस. से क्यों कर रहे हैं, इसका भी जवाब आ जाए साथ में।

श्री अध्यक्ष : इस स्थगन प्रस्ताव पर अगर मंत्रीजी वक्तव्य देने की स्थिति में हैं तो मैं उनको वक्तव्य देने के लिए अनुमति देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसमें रेगुलर स्टेटमेंट होना चाहिये। ऐसा नहीं है, चर्चा इतनी हो गयी। रेगुलर स्टेटमैंट गवर्नमैंट अगर देती है तब तो ठीक है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। यद्यपि मेरा मन्तव्य नहीं है चेयर की रूलिंग को चैलेंज करना, लेकिन मैं सदन से, आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक गलत परम्परा डाल रहे हैं। इस प्रकार से कई मुद्दे उठाये जाते हैं, उठाये गये हैं भूतकाल में और भविष्य में उठाये जायेंगे, अगर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम नहीं चलेंगे, आप निश्चित रूप से निर्देश दे सकते हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन, जबकि सरकार के पास पूरी जानकारी उपस्थित नहीं हो जाए और कोई प्रोग्राम हमारे सामने नहीं आए, रोज की कार्य-सूची हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, सदस्यों का यह अधिकार है कि कार्य-सूची में आप किन विषयों को लें और आपने यहां पहले रुलिंग दे दी है कि आप सरकार से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसमें जल्दबाजी की कहां आवश्यकता है। इसलिए मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप कृपया इस प्रकार से रश न करेंगे किसी वक्तव्य के लिये। हम सरकार से, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि पूरी जानकारी के साथ में स्टेटमैंट दें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी खुद तैयार हो रहे हैं तो हमने तो कोई

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

यह बात कही नहीं। अभी मंत्रीजी खुद तैयार हैं देने के लिये तो फिर आपत्ति कहां हो सकती है? वे देना चाहते हैं तो उनको क्यों रोका जाए?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी महत्त्वपूर्ण बात सदन में रखी है। एक परम्परा, व्यवस्था का प्रश्न है। अगर इसी प्रकार स्थगन प्रस्ताव आएंगे तो अब मुद्दे और बन गये हैं, उन पर कई माननीय सदस्यों ने कई मामले माननीय राजेन्द्र सिंह जी पर अंकित और कर दिये हैं। अब और भी उनके बारे में डिटेल कलैक्ट करनी चाहिये सरकार को क्योंकि कई मुद्दे और सामने आ गये, कई भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ गये। प्रश्न यह है कि राज्य सरकार सारे मुद्दों पर, जो सदन में आ गये, उनकी सारी जानकारी हासिल करके जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपने एक बार व्यवस्था दे दी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हां, फिर आपत्ति किस बात की? अगर मंत्रीजी नहीं देना चाहते तो हम इनको जबरदस्ती तो दिला ही नहीं रहे। अगर हम जबरदस्ती करते कि आप अभी देओ जब तो समझ में आती है। मंत्रीजी तो खुद देने के लिये तैयार हो रहे हैं, आप सब इन्हें रोकना चाह रहे हैं। यह भी परम्परा के खिलाफ हो गया कि मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि नहीं, मत देओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आपने दे दी और आसन से आदेश हो गया। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : (व्यवधान) तैयार करके लाइये। यह अगली कार्य-सूची में ही लिया जाएगा, आज इसमें कोई स्टेटमैंट नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और मंत्री महोदय खड़े भी हो गये। अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का मामला है और पांच मिनट बोलना है। मंत्री महोदय बोलें। गरीब जनता के भविष्य के हित से और गरीब मरीजों से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर अगर आपकी आज्ञा हो और आपने प्रदान कर दी, तो इस पर चर्चा भी हो जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मेरा निवेदन यह है कि जब एक प्रश्न आपके सामने आ गया और आपने एक निर्णय दे दिया और देने के बाद...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी सब तरह से तैयार हैं, उनको स्टेटमैंट देने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 290 की ओर दिलाना चाहता हूं, "A statement may be made by a Minister on matter of public importance with the consent of the Speaker." तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपने कंसेट दे दी। वे देना चाहत हैं तो कहां कानून का उल्लंघन हो रहा है?

श्री रामनारायण चौधरी : यह गलत परम्परा है, आप इसको बढ़ावा दे रहे हो।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : यहां पर भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। नियम 50 से लेकर 55 तक जो प्रक्रिया निर्धारित है आसन की अनुमति के बिना उस विषय पर यहां पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो भी माननीय सदस्य इस पर चर्चा करते रहे। और जब चर्चा करते रहे तो मैं यह समझ कर बैठा रहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी अभी उत्तर देने के लिये अगर इच्छुक हैं तो उनको उत्तर देने के लिए मैं अनुमति देता हूं। लेकिन यहां आपने दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाया है नियम 290 के अन्तर्गत। वह स्टेटमैंट जो कोई भी मिनिस्टर देता है तो वह सुओ मोटो देता है। स्थगन प्रस्ताव जो आज प्रस्तुत किया गया, उससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) बिल्कुल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : It is a matter of any public importance. एनी मैटर आफ पब्लिक इम्पार्टेंस है और आपकी कंसेट से। You have already given the consent.

श्री अध्यक्ष : आप कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : एक व्यवस्था के प्रश्न पर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठ ही नहीं सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसने कह दिया, नहीं उठ सकता?

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं सोच रहा था कि जब माननीय सदस्य चाहते हैं कि आज ही अगर उत्तर दे सकें और अपना वक्तव्य दे सकें तो यह तो उनके सोचने की बात है कि वे पूरा वक्तव्य देंगे या कुछ मुद्दे आप उठा रहे थे, उनके लिये ही देंगे। उसके बाद में फिर स्थगन प्रस्ताव के ऊपर आसन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। (व्यवधान) वह खतम हो गया।

कई माननीय सदस्य : ठीक है, कह दीजिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिनिस्टर ने अगर स्टेटमैंट दे दिया तो 290 में आ गया लेकिन वह एडजोर्नमैंट मोशर पर चर्चा वाली बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस विषय को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब एक व्यवस्था का प्रश्न हो तो दूसरा उठाया जा सकता है क्या? जब तक एक व्यवस्था के प्रश्न का डिस्पोजल नहीं हो जाए तो दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है क्या? एक व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर जब तक आसन का निर्णय नहीं हो जाए उसी दौरान दूसरा व्यवस्था का प्रश्न क्या उठाया जा सकता है?

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : एक बार में एक ही व्यवस्था का प्रश्न आता है, दूसरा एक साथ नहीं उठाया जा सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 23.12.98 को...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : किसकी परमिशन से बोल रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं अध्यक्ष महोदय की परमिशन से बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : नहीं, परमिशन कहां दी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अपन रूल्स में रिलैक्सेशन कर रहे हैं क्या? स्टेटमैंट के पहले इनका कोई भाषण नहीं होगा। He can only seek an explanation after the Minister has made the statement. और मिनिस्टर को माननीय अध्यक्ष भी रिक्वैस्ट नहीं कर सकते। मिनिस्टर भी वोलेन्टियरिली जब चाहे स्टेटमैंट दे सकता है। अब चूंकि मंत्री महोदय एग्री कर गये, यह उनकी मर्जी है। वे अगर देना चाहें (व्यवधान) आप तो अनुमति से बोलोगे और आज भी बोलोगे। ऐसा नहीं, अध्यक्ष महोदय, रुल्स को अपन अगर बिल्कुल नैग्लैक्ट कर देंगे...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : तो फिर आप उनको क्यों बाध्य कर रहे हैं बार-बार इस बात के लिये? जब वे दे ही नहीं रहे हैं तो आप क्यों बाध्य कर रहे हो इस बात के लिये? यह तो गलत है आपका बाध्य करना। आप बार-बार क्यों प्रथा डाल रहे हैं? यह व्यवस्था जब आसन ने दे दी और उसके बाद में माननीय मंत्रीजी स्टेटमैंट नहीं दे रहे हैं, इस समय तो आप बाध्य नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आज प्रातःकाल से देख रहा हूँ कि आप बराबर आसन को सम्बोधित नहीं करके और माननीय सदस्यों से उलझ बैठते हैं। आपको यहां पर संयम आचरण रखना चाहिये। पूरा वक्तव्य आपके पास तैयार है क्या, मंत्रीजी?

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, तो बीच में कोई प्रश्न उठाये तो जवाब देने के लिये मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपको पूरी जानकारी मुझे देनी है। मैं उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में निर्णय लूंगा और उसके बाद माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं। शोकाभिव्यक्ति का आज रखा हुआ है। पहले रख देते तो ज्यादा उचित रहता। श्री बुलाकीदास कल्ला।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

शिक्षा विभाग

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार शिक्षा विभाग की निम्न दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं : —

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 24(17) शिक्षा - 6/94, दिनांक 18.12.98 जिसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिक्रान्त किया गया है, एवं

(2) अधिसूचना संख्या प. 24(17) शिक्षा - 6/94 दिनांक 18.12.98, जिसके द्वारा अध्यक्ष का त्याग-पत्र स्वीकार किया गया है।

उद्योग विभाग

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आर. एफ. सी/एफ. शा - 3(25) दिनांक 18.3.98 जिसके द्वारा "दी राजस्थान फाइनेंशल कारपोरेशन (स्टाफ) रैग्यूलेशन, 1958" में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

कृषि विभाग

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं कार्य-सूची में किये उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की निम्न तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं : —

(1) अधिसूचना क्र.प. 4(40) कृषि/ ग्रुप-2/98 दिनांक 31.7.98, जिसके द्वारा कृषि उपज मंडी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना क्र.प. 9 (34)कृषि/ग्रुप -2/94 दिनांक 5.8.98, जिसके द्वारा कपास के "रॉ बीज को मंडी शुल्क से मुक्त किया गया है", एवं

(3) अधिसूचना क्र.प. 10(2) कृषि/ग्रुप-2/89/11 दिनांक 5.8.98, जिसके द्वारा कतिपय कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी क्षेत्रों के लिए बटर ऑयल के क्रय-विक्रय के नियमन की घोषणा की गयी है।

प्रतिवेदन एवं लेख

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान की धारा 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरेन्द्र मिर्धा।

राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 1996-97

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगें (वर्ष 1998-99) का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1998-99 का उपस्थापन। श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1998-99 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें सदन में उपस्थापित करता हूं।

शोकाभिव्यक्ति

सर्वश्री गणेशलाल बैरागी, सुभाष चन्द्र आर्य, परसराम बाकोलिया, अमर सिंह व देवीसिंह मण्डावा के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्यों के प्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री गणेशलाल बैरागी का जन्म 7 जुलाई, 1943 को बूंदी जिले के नीम का खेड़ा ग्राम में हुआ। आपने बी.कॉम. एवं एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं। विद्यार्थी जीवन में आप गवर्नमैंट कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष व महामंत्री रहे।

आप छठी एवं आठवीं राजस्थान विधान सभा में हिण्डोली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल में आप विशेषाधिकार समिति व अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य भी रहे। किसानों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे श्री बैरागी लगभग 25 वर्ष तक सहकारिता आन्दोलन से जुड़े रहे।

श्री गणेशलाल बैरागी का दिनांक 25 जनवरी, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री सुभाष चन्द्र आर्य का जन्म वर्ष 1922 में झुन्झुनूं जिले के ग्राम कुहाड़वास में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री सुभाष चन्द्र आर्य छठी राजस्थान विधान सभा के लिए सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप ग्राम पंचायत के साथ ही जिला बोर्ड के सदस्य भी रहे। श्री आर्य अपने सार्वजनिक जीवन में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री सुभाष चन्द्र आर्य का दिनांक 4 फरवरी, 1999 को निधन हो गया।

स्वाधीनता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री परसराम बाकोलिया का जन्म बैशाख शुक्ला चतुर्दशी, संवत् 1972 को हैदराबाद सिंध (पाकिस्तान) में हुआ। आपने दसवीं तक शिक्षा प्राप्त की। आपको सिंधी व गुजराती भाषा का भी अच्छा ज्ञान था।

श्री बाकोलिया वर्ष 1952 में अजमेर राज्य विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1976 में आप चतुर्थ राजस्थान विधान सभा के लिए नागौर जिले के परबतसर क्षेत्र से स्वतन्त्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए।

आपने वर्ष 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लिया तथा छः माह की जेल यात्रा भी की। वर्ष 1947 से 1955 तक आपने इन्दिरा गांधी नारीशाला का संचालन किया।

(श्री अध्यक्ष)

दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रहे श्री बाकोलिया हरिजन रिफ्यूजी पंचायत, रैगर पंचायत एवं अजमेर दलित वर्ग संघ के प्रधान भी रहे।

वर्ष 1947 से 1966 तक आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य रहे। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले श्री बाकोलिया वर्ष 1954 से 1957 तक साप्ताहिक पत्रिका "हरिजन" के सम्पादक भी रहे।

श्री परसराम बाकोलिया का दिनांक 20 जनवरी, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री अमर सिंह का जन्म 21 मार्च, 1922 को जयपुर जिले के साबरदा गांव में हुआ। आपने बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री अमर सिंह तीसरी राजस्थान विधान सभा के लिए दूदू निर्वाचन क्षेत्र से स्वतन्त्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप जात-पांत के भेदभावों को दूर करने में काफी सक्रिय रहे।

श्री अमर सिंह का दिनांक 29 जनवरी, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री देवी सिंह जी मंडावा का जन्म चैत्र शुक्ला प्रथमा संवत् 1979 को मंडावा क्षेत्र में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री देवी सिंह मंडावा प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिए उदयपुर (शेखावाटी) निर्वाचन क्षेत्र से राम राज्य परिषद के विधायक निर्वाचित हुए।

वर्ष 1964 से 1970 में आप राजस्थान से राज्य सभा में स्वतन्त्र पार्टी के सांसद रहे।

राजस्थान क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे श्री देवी सिंह जी मंडावा कई वर्षों तक राजपूत सभा के अध्यक्ष भी रहे। प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान मेयो कालेज के विकास में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। आप इस संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्य एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए संस्थान द्वारा आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आप इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरण हैरिटेज (इनटेक) के राजस्थान चैप्टर के सचिव भी रहे।

राजनीति के अलावा आप सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे। अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहने के अलावा आप रॉयल इण्डियन सोसाइटी, लंदन के भी सदस्य थे।

श्री देवी सिंह मंडावा का दिनांक 15 जनवरी, 1999 को निधन हो गया।

मैं, सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता

(श्री अध्यक्ष)

हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1999 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.38 बजे 23 मार्च, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट - 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के सहभागी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य

5. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा सहभागी योजना में सड़कों व नालियों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें व नालियां कितनी-कितनी राशि की बनाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहभागी योजना के स्वीकृत कार्यों में नगरपालिका नीमकाथाना ने कितनी-कितनी राशि प्रत्येक कार्य के लिए जमा करायी और सरकार ने कितनी राशि प्रत्येक कार्य के लिए नगरपालिका नीम का थाना को दी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नगर पालिका नीमकाथाना द्वारा सहभागी योजना में कराये गये कार्यों की जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सहभागी योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क एवं नालियों का राशि सहित विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(2) उक्त सहभागी योजना में स्वीकृत कार्यों के लिए नगरपालिका द्वारा जमा करवाई गई राशि एवं राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए दी गई राशि का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(3) उक्त योजना में कुल 84 कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें से 60 कार्य पूर्ण हो चुके हैं शेष 24 कार्य अपूर्ण रहे हैं, जिसका कारण कार्यों के नामों के सम्मुख अंकित है।

(4) जी, हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर का प्रस्तावित किसान भवन

6. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में किसान भवन बनाया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो कब कहां पर तथा यह योजना क्या थी कितनी राशि खर्च करके क्या-क्या बनाया जाना था तथा अब तक इस कार्य के लिये क्या-क्या औपचारिकताएं कब-कब पूरी की गई तथा कितनी राशि कब-कब व्यय की गई?

(2) क्या उक्त योजना को अब बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब तथा क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1994-95 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा जयपुर में कृषक विश्राम गृह एवं प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया जो लालकोठी मण्डी के समीप निर्माण

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

किया जाना था। इसके लिए लालकोठी योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण से 2323 वर्ग मीटर भूमि 95,82,999 रुपये में दिनांक 6.7.94 को ली गई। इस भूमि पर किसान भवन निर्माण वर्ष में 233.51 लाख रुपये व्यय किये जाकर किया जाना था, जिसमें आधारभूत सुविधा के अलावा निम्नांकित कार्य प्रस्तावित थे :—

1. बेसमेंट में स्टोर
2. ट्रेनिंग के लिये दो क्लास रूम क्षमता 50-50 व्यक्ति
3. एक कम्प्यूटर हाल
4. एक कॉफेंस हाल
5. पुस्तकालय
6. मीटिंग हाल जिसमें 500 कृषक बैठ सकें
7. एक स्वागतकक्ष
8. केन्टीन
9. 300 किसानों के लिये डोरमेट्रीज मय स्टोर रूम
10. 25 कमरे डबल स्पेश मय अटैच लेट-बॉथ
11. 5 वी.आई.पी. रूम

इस भूमि को क्रय करने के अतिरिक्त चार दीवारी निर्माण पर 2,13, 289/- रुपये खर्च हुआ है।

(2) जी, नहीं। इस भूमि को फल सब्जी मण्डी जयपुर द्वारा मांग किये जाने व प्रस्तावित टर्मिनल मार्केट के निर्माण को मद्देनजर रखते हुए अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

पेयजल व हैण्ड पम्प हेतु आवंटित राशि

7. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1998-99 में नई योजनाओं के निर्माण व हैण्ड पम्प मरम्मत के लिये कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ?

(2) अब क्या उक्त राशि को घटाया या बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) एक दिसम्बर, 1998 के बाद जिला बारां में क्या कोई हैण्ड पम्प तथा नई जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृत जारी की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 98-99 में पेयजल योजनाओं हेतु 505.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें 503.49 करोड़ रुपये योजनाओं हेतु तथा 2.00 करोड़ रुपये हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रखे गये थे।

(2) जी, हां। पेयजल योजनाओं के लिये राशि 503.49 करोड़ से बढ़ाकर 587.18 करोड़ रुपये तथा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु 2.00 करोड़ से बढ़ाकर 12.25 करोड़ रुपये की गई है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी, हां। सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में आवंटित बैरल पाइंट

8. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गत सरकार ने विधान सभा चुनाव से पहले बैरल प्वाईन्ट आवंटित किये थे ? यदि हां, तो बैरल प्वाईन्ट आवंटित करने के आधार क्या थे।

(2) क्या सरकार शिकायतों के आधार पर उक्त आवंटित बैरल प्वाईटों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय शिक्षित बेरोजगार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता देते हुए पैट्रोल पम्प से 10 कि.मी. की परिधि के बाहर बैरल पाइन्ट आवंटित किये गये थे।

(2) बैरल पाइन्ट आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई जाती है। जांच में पाये गये तथ्यों के अनुसार ही आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है।

बिजौलिया क्षेत्र में अवैध खनन कार्य

9. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि बिजौलिया क्षेत्र में खनन पट्टे देने हेतु वर्ष 1990 से 1998 में नियम एवं नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस नीति में बार-बार परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या उक्त परिवर्तनों से आय पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

(3) क्या यह सही है कि बिजौलिया क्षेत्र में खनिज नीति बार-बार बदलने के कारण राज्य की आय में कमी हुई है ? यदि हां, तो इसमें सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बिजौलिया क्षेत्र में अवैध खनन कहां-कहां कितना किस कारण से हो रहा है ?

(5) क्या सरकार अवैध खनन की रोकथाम का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि बिजौलिया क्षेत्र में खनने पट्टे देने हेतु वर्ष 90 से 98 में नये नियम बनाये गये हैं, लेकिन वर्ष 90 से 98 के बीच में राज्य सरकार द्वारा बिजौलिया/ राजस्थान में सैण्ड स्टोन के खनन पट्टे/क्वारी लाइसेन्स हेतु चार नीतिगत निर्णय लिये गये जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दिया गया है। इन नीतिगत निर्णयों की प्रतियां परिशिष्ट 1 से 4 संलग्न है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 1.4.91 के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

(खनिज राज्य मंत्री)

दिये गये निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.3.98 जारी की गई। बिजौलिया क्षेत्र में क्वारी लाइसेन्स क्षेत्रों के बाहर उपलब्ध खनिज युक्त भूमि में उपलब्ध खनिज के दोहन हेतु फेंट स्वीकृत करने बाबत आदेश दिनांक 7.7.92 को जारी किये गये। पुनः क्वारी लाइसेन्स होल्डर्स की व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्लाट साइज में भिन्नता होने के कारण आदेश दिनांक 5.5.97 जारी किये गये। इन आदेशों के अन्तर्गत क्वारी लाइसेन्स क्षेत्र के बाहर किये गये अनाधिकृत खनन का नियमितीकरण किया गया एवं स्वीकृत योग्य भूमि के लिए उचित दरों से प्रीमियम लिया गया, जिससे राज्य सरकार को एक मुश्त आय प्राप्त हुई एवं साथ ही खनन कार्य बढ़ने से रायल्टी की आय में बढ़ोतरी हुई।

(3) जी, नहीं।

(4) बिजौलिया क्षेत्र में अनधिकृत खनन अधिकांशतः केसरपुरा, कास्या, आंटी एवं नला का माता क्षेत्रों में होता है। अनधिकृत खनन कार्य अधिकतर चरागाह भूमि, खातेदारी भूमि एवं अधिसूचित वन क्षेत्रों में हो रहे हैं जहाँ विभाग द्वारा प्लाट डेलीनियेट कर खनन हेतु स्वीकृति देना संभव नहीं है। खातेदारी भूमि में स्वीकृत करने की नई नीति के कारण कई नये क्षेत्र स्वीकृत होने से खातेदारी भूमि में हो रहे अनधिकृत खनन में कमी आई है। उपरोक्त क्षेत्रों मलबा/ओवर बर्डन कम होने के कारण बिना विशेष लागत के सैण्ड स्टोन खनन संभव हो जाती है। अतः ग्रामवासी एवं कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के लोग अनधिकृत खनन कार्य कर लेते हैं।

(5) जी, हां। बिजौलिया क्षेत्र में अनधिकृत खनन की रोकथाम हेतु समय-समय पर खनिज, राजस्व वन, पुलिस, विभाग के तकनीकी स्टाफ एवं खनि अभियंता (सतर्कता) द्वारा अनाधिकृत धनन कर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है एवं पूर्व अभियान चलाकर अवैध खनन की रोकथाम की गई है। भविष्य में भी इसी प्रकार के अभियान चलाकर एवं नियमानुसार अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(प्रतियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पटवारियों/गिरदावरों के रिक्त पद

10. श्री अमीन खां (शिव) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में पटवारियों व गिरदावरों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) एक पटवारी के पास कितने-कितने पटवार सर्किलों का कार्यभार है?

(3) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में पटवारियों के 15 पद रिक्त हैं। गिरदावर का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(2) इंदिरा गांधी नहरे परियोजना के द्वितीय चरण में पटवारियों के 61 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के अनुसार राजस्व को 61

(इंदिरा गांधी नहर मंत्री)

सर्किलों में बांटा गया है। हर सर्किल पर एक पटवारी कार्यरत है। परन्तु 15 सर्किलों का अतिरिक्त कार्य सुविधा-अनुसार 15 पटवारियों को दिया हुआ है।

(3) पटवारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) सिंचाई राजस्थान, जयपुर सक्षम अधिकारी है। उनके माध्यम से रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मोहता आयुर्वेद कालेज राजगढ़ व आयुर्वेद कालेज सरदार शहर प्रकरण

11. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोहता आयुर्वेद कालेज राजगढ़ व आयुर्वेद कालेज सरदारशहर जिला चूरू को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त कालेजों को बन्द करने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोनों आयुर्वेदिक कालेजों को जनहित में पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) अब तक इन कालेजों को चालू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त कालेजों को अधिग्रहण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) मोहता आयुर्वेद कालेज में प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 15.7.97 से तालाबन्दी की गई है। आयुर्वेद कालेज सरदारशहर जिला चूरु को बन्द नहीं किया गया है।

(2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता में वृद्धि नहीं किये जाने के फलस्वरूप मोहता आयुर्वेद कालेज की तालाबन्दी प्रबन्ध समिति द्वारा की गई है। आयुर्वेद कालेज सरदारशहर को बन्द नहीं किया गया है।

(3) प्रबन्ध समिति मोहता आयुर्वेद कालेज द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति किये जाने पर ही भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा कालेज को पुनः चालू करने की सिफारिश किये जाने पर प्रबन्ध समिति मोहता आयुर्वेद कालेज द्वारा ही निर्णय लिया जावेगा। आयुर्वेद कालेज सरदारशहर जिला चूरू वर्तमान में चालू है।

(4) मोहता आयुर्वेद कालेज एक निजी संस्था है जिसको पुनः चालू करने का प्रयास कालेज की प्रबन्ध समिति द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है।

(5) जी, नहीं।

छबड़ा (कोटा) के लंबित विद्युत कनेक्शन

12. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(ऊर्जा मंत्री)

सहायक अभियन्ता, विद्युत उपखण्ड, छबड़ा में कितने घरेलू व कृषि कनेक्शनों के आवेदन-पत्र लम्बित हैं? अब उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

उत्तर

सहायक अभियन्ता, विद्युत उपखण्ड, छबड़ा में माह फरवरी, 1992 तक घरेलू कनेक्शन हेतु 3790 तथा कृषि कनेक्शन हेतु 1978 आवेदन-पत्र लम्बित हैं। घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदकों को कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है। कृषि कनेक्शन निर्धारित नीति के अनुसार आवंटित लक्ष्यों व उपलब्ध संसाधनों के अनुसार दिये जाने के प्रयास जारी हैं।

जिला चूरू के अकाल राहत कार्य

13. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की सीमा संख्या जिलेवार तय कर रखी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी व कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने 30 जनवरी, 1999 को आदेश जारी कर नये अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति पर पाबन्दी लगाई है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में अकाल राहत कार्यों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय समिति बनी हुई है? यदि हां, तो चुरू जिले की समिति में कौन-कौन सदस्य हैं तथा दिनांक 30 जनवरी एवं 28 फरवरी, 1999 को चूरु में हुई बैठक में कौन-कौन उपस्थित थे? क्या चूरू की समीक्षा समिति में बिना अधिकार भी कुछ लोगों को जिला प्रशासन ने आमंत्रित किया?

(4) उक्त अवधि में चूरू तहसील में अकाल राहत के कितने कार्य कब-कब स्वीकृत हुए, उनमें से कितने कार्यों के मस्टर रोल जारी किये गये और कितने कार्य प्रारम्भ हैं तथा कितने बंद पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पूर्व में स्वीकृत अकाल राहत कार्यों को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश दिनांक 30.1.99 के द्वारा जिलेवार श्रमिक सीमा निर्धारित की गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी, हां। आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) जी, हां। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला सहायता समीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य रखे जाने के निर्देश हैं :—

1. जिले के लोक सभा/विधान सभा सदस्य
2. जिला प्रमुख
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी
4. जिला परिषद के 3 सदस्य
5. प्रधान-3
6. स्वयं सेवी संस्थाओं के 2 प्रतिनिधि
7. अभावग्रस्त क्षेत्रों के विकास अधिकारी
8. मुख्य कार्यकारी अधि., जिला परिषद
9. परियोजना निदेशक, जि.ग्रा.वि. अभि.

(अकाल राहत मंत्री)

10. सहायता विभाग से सम्बन्धित विभाग/अभिकरणों से जिले में पुनःस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी

11. प्रभारी, अधिकारी सहायता

चूरू जिले में गठित समिति में उपरोक्त सदस्य है। 30 जनवरी व 28 फरवरी की बैठक में भी उपरोक्त सदस्यों को ही आमंत्रित किया गया था। जिला प्रशासन ने बिना अधिकार के किसी भी सदस्य को बैठक में आमंत्रित नहीं किया। दिनांक 30.1.99 एवं 28.2.99 की मीटिंग में आमंत्रित सदस्यों की सूचना परिशिष्ट 3 व 4 पर है। चूरू तहसील में तिथिवार स्वीकृत कार्यों की संख्या निम्नानुसार हैं : —

स्वीकृति तिथि	कार्यों की संख्या
3.10.98	18
16.10.98	22
29.10.98	15
12.11.98	02
29.12.98	38
08.1.99	09
25.1.99	12
योग	**116**

(4) 83 कार्यों के मस्टररोल जारी किये गये जिसमें से कुल 63 कार्य चालू हुए तथा 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में 55 कार्य चालू हैं। दो कार्य निरस्त किये गये तथा शेष 51 चालू नहीं हो पाये। पंचायत समिति चूरू के स्वीकृत चालू राहत कार्य एवं जो कार्य चालू नहीं हुए उनका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-5)

(5) विभाग द्वारा जिला कलक्टर्स को 25.1.99 को कार्यरत श्रमिकों की सीमा तक, पूर्व स्वीकृत कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त नये कार्य चलाये जाने की स्वीकृति दे दी गई है।

(सूचियां एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला नागौर के बांधों की भराव क्षमता में वृद्धि

14. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला नागौर में सिंचाई हेतु कितने बांध कार्यरत हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पचरंडा बांध कई वर्षों पूर्व बनाया गया था? यदि हां, तो इसकी चादर को ऊंचा करने का कार्य अभी तक क्यों नहीं किया गया। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1999-2000 के दौरान नागौर जिले में कुल कितने बांधों की चादर बढ़ाने का प्रावधान है? उक्त कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राजलौता बांध और माताजी का बाला बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या इनकी चादरों को ऊंचा करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस पर अनुमानित कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में सिंचाई हेतु 93 बांध कार्यरत हैं। तहसीलदार विवरण परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी हां। पचरंडा बांध का निर्माण वर्ष 1993-94 में ग्रामीण योजना के अन्तर्गत करवाया गया था। बांध के डूब क्षेत्र में बहुत ही अधिक जल रिसाव हो जाने से बांध को ऊंचा करना प्रस्तावित नहीं है।

(3) वर्ष 1999-2000 के दौरान नागौर जिले में माताजी का बाला बांध को 3.5 फुट ऊंचा करने से 7.18 मिलियन घनफुट अतिरिक्त उपयोगी जल भराव क्षमता प्राप्त होगी जिससे 68:2 एकड़ में अधिक सिंचाई होना प्रस्तावित है। इसी प्रकार राजलौता बांध को 1.65 फुट ऊंचा करने से 11.28 मिलियन घनफुट उपयोगी जल भराव क्षमता वृद्धि से 225.4 एकड़ में अतिरिक्त सिंचाई करवाना प्रस्तावित है तथा इन कार्यों की अनुमानित लागत रुपये 18.00 लाख व्यय करने का प्रस्ताव है। सूची परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी, हां। क्रमशः अनुमानित रुपये 11.00 लाख एवं 7.00 लाख खर्च होना प्रस्तावित है।

नागौर जिले के तहसीलवार बांधों की सूची

क्र.सं.	बांध का नाम
	तहसील नागौर
1.	सुरजनियावास
2.	कानेलाव का बाला
3.	सोलिथाना
4.	मोडी मोरचन्द
5.	रूण
6.	चिताणी
7.	हिलोरी
	तहसील जायल
1.	खंवर
2.	डोडीया कलां
3.	बड़ी खाटू
4.	वरनेल
5.	फिरोजपुरा
6.	छाजोली
	तहसील मेहता सिटी
1.	डाबरियानो
2.	हरसोलाव प्रथम
3.	खेड़ूली
4.	हरसोलाव द्वितीय
5.	कलरू
6.	मालियों का घोरा
7.	ढ़ढासनी
8.	मोकाला प्रथम
9.	बासनी
10.	घनापा प्रथम
11.	घनापा द्वितीय
12.	शेखाखनी
13.	सतलास
14.	बायड़ प्रथम
15.	बायड़ द्वितीय
16.	बीठन
17.	कुण्डल
18.	बीजाथल
19.	पुडंलु
20.	गंगराना
21.	लाम्पोलाई
22.	माता डूंगरी
23.	मोकाला द्वितीय
	तहसील डेगाना
1.	राजलोटा
2.	माताजी का बाला
3.	कालेदा
4.	पचरण्डा प्रथम
5.	पचरण्डा द्वितीय
6.	घाटा रपट

(सिंचाई मंत्री)

7. लेंगो की ढाणी
8. भैरून्दा
9. डोडियाना
10. सथाना
11. नरसिंह बासनी
12. लाडपुरा
13. रातादुण्डा
14. पिपिलिया प्रथम
15. पिपिलिया रपट द्वितीय
16. हरसौर
16. प्रताप सागर
17. बामण देवा

तहसील परबतसर

1. मण्डोवरी
2. मंगलानी
3. गांगवा
4. धोकलिया
5. नाहरी का नाका
6. रूनेजा
7. छिपोलाई
8. बिदियाव
9. बिलू प्रथम
10. करमा कूडी
11. पीरजी का नाका
12. भादवा
13. मोकलाघाटा
14. पालसी करवा
15. गुलर
16. झालरा
17. भकरी
18. बाजवास
19. भड़सिया
20. बासैड
21. जून की घाटी
22. कालेतरा
23. पीपोलाई गांगवा
24. बावाल प्रथम
25. दुसरिया का नाका
26. कुन्दरी
27. बवाल द्वितीय
28. बिल्लू द्वितीय
29. खारी वाली
30. खोखरिया

तहसील नावां

1. बावाड़ी
2. दलीलपुरा
3. भूणी
4. पलाड़ा
5. जीणवार
6. पंचोता
7. बरजन

तहसील डीडवाना

1. रघुनाथपुरा
2. बालिया

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर से प्रस्तावित बांधों की सूची

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	अनु. लागत (लाखों में)
1.	राजलोटा	डेगाना	11.00
2.	माताजी का बाला	डेगाना	7.00
		योग	18.00

अनुपूरक सूचना

सिंचाई खण्ड, मेड़तासिटी के अन्तर्गत नागौर जिले में सिंचाई हेतु 93 बांधों का निर्माण करवाया गया है। इन निर्मित बाधों का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है।

(सिंचाई मंत्री)

क्र.सं.	तहसील	बांधों/तालाबों की संख्या	क्षमता (मि.घ.फु.)	सिंचाई योग्य क्षेत्र
1.	नागौर	07	69.90	3410
2.	मेड़ताशहर	23	415.38	13772
3.	जायल	06	50.38	1375
4.	डेगाना	18	344.00	9742
5.	परबतसर	30	864.00	18317
6.	नाबा	07	135.11	2708
7.	डीडवाना	02	10.71	533
	योग	93	1890.03	49857

पचरंडा बांध का निर्माण वर्ष 1993-94 रूरल प्रोग्राम के अन्तर्गत करवाया गया था। बांध के निर्माण को 25 वर्ष हो चुके हैं। इस बांध की डूब क्षेत्र में बहुत अधिक जल रिसाव होने से बांध को ऊंचा करना प्रस्तावित नहीं है और सिंचाई के समय सूख जाता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान नागौर जिले में माताजी का बाला बांध को 3.5 फुट ऊंचा करने से 7.18 मिलियन घनफुट अतिरिक्त उपयोगी जल भराव क्षमता प्राप्त होगी जिससे 68.2 एकड़ में अधिक सिंचाई होना प्रस्तावित है। इसी प्रकार राजलौता बांध को 1.65 फुट ऊंचा करने से 11.28 मिलियन घनफुट उपयोगी जल भराव क्षमता वृद्धि से 225.4 एकड़ में अतिरिक्त सिंचाई करवाना प्रस्तावित है तथा इन कार्यों की अनुमानित लागत रुपये 18.00 लाख व्यय करने का प्रस्ताव है। इनकी लागत क्रमशः रुपये 7.00 लाख एवं 11.00 लाख आंकी गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित करवा दिया जावेगा।

नगरपालिका डूंगरपुर में कार्यरत कर्मचारी

15. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका डूंगरपुर में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों में कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं? पदवार

(श्री नाथूराम अहारी)

सूची सदन की मेज पर रखें। क्या नगरपालिका में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षण होता है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत ?

(3) क्या उक्त नगरपालिका में अस्थाई कर्मचारी भी हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने ? उक्त कर्मचारी कब से अस्थाई चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त नगरपालिका को वर्ष 1991 से फरवरी, 1999 तक कितनी राशि प्राप्त हुई और उक्त राशि कहां-कहां कितनी व्यय की गई ? जिस कार्य के लिये उक्त राशि व्यय की गई उस पर आज मौके की स्थिति क्या है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त व्यय की गई राशि के कार्यों में अनियमिततायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र डूंगरपुर में नये अस्पताल के लिये मालपुर तथा राजपुर गांव में भूमि आरक्षित की गई थी ? क्या उक्त जमीन अभी भी मौजूद है ? यदि नहीं, तो यह जमीन किन-किन को आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका डूंगरपुर में 157 कर्मचारी कार्यरत हैं। पदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त कर्मचारियों में से 72 कर्मचारी अनुसूचित जाति के तथा 43 कर्मचारी जनजाति के हैं। पदवार विवरण संलग्न सूची में अंकित हैं। जी, हां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण हैं।

(3) नगरपालिका डूंगरपुर में कोई अस्थाई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(4) प्रश्न के भाग "तीन" में दिये गये उत्तर के पश्चात् प्रश्न के भाग "चार" के उत्तर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(5) उक्त नगरपालिका को वर्ष 1991 से फरवरी 99 तक रुपये 97,05,180 की राशि प्राप्त हुई है। उक्त राशि के व्यय का विवरण संलग्न है। जिन कार्यों के लिये राशि व्यय की गई, वे पूर्ण हो चुके हैं।

(6) जी, नहीं। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं है।

(7) जी, हां। उक्त जमीन अभी मौजूद है। इसका आवंटन किसी को नहीं किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालयमें रखा गया)

ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी पेयजल योजनान्तर्गत व्यय राशि

16. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी ढाणियों व समूह के रूप में रेगिस्तान में बसे ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के क्या प्रयास किये गये हैं? अब तक कितनी-कितनी ढाणियों व समूह के रूप में बसे लोगों के लिए कितनी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।

(2) क्या राज्य में उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वेक्षण कराया गया? उक्त सर्वेक्षण से राज्य में कितनी ढाणियां चिन्हित की गई तथा उनमें से कितनी ढाणियों को पेयजल पहुंचाना शेष है? इन बची हुई ढाणियों के लिये कब तक व कितनी राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है?

(3) राज्य में प्रति वर्ष गर्मी के समय उपस्थित पेयजल संकट के निवारण के लिये अग्रिम तौर में क्या कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में दिसम्बर, 98 तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं में 13356 ग्रामों व 15807 ढाणियों में पेयजल सुविधा, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उपलब्ध करवायी गयी है। जिलेवार स्थिति परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है।

(2) जी, हां। सर्वेक्षण से 45311 ढाणियां चिन्हित की गई। इनमें से 33259 ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था की गई है, शेष 12052 ढाणियां लाभान्वित करने के लिये वर्ष 2005 तक लगभग 514 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है।

(3) प्रतिवर्ष इस समस्या के समाधान के लिये सतही जल से स्रोत जैसे इन्दिरा गांधी नहर वर्ष भर बहने वाली चम्बल नदी व बंधों में उपलब्ध संग्रहित जल का अधिकाधिक उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जन साधारण द्वारा उनके स्तर पर वर्षा के जल को कुण्ड, टांकों, जोहड़ों आदि में भी संग्रहित कर उपयोग में लिया जाता है। हैण्ड पम्प मरम्मत सघन अभियान प्रतिवर्ष प्रारम्भ किया जाता है। आवश्यकता होने पर ग्रामीण एवं शहरी योजनाओं में संवर्धन कार्य क्रियान्वित किये जाते हैं, इनमें नये नलकूपों/कूओं/हैण्ड पम्पों का निर्माण, पाइप लाइन आदि का कार्य है। निजी कुओं को तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार किराये पर लेकर तथा आवश्यकतानुसार परिवहन के माध्यम से पेयजल उपलब्धता बनायी रखी जाती है। उपरोक्त सभी प्रयासों की जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा भी की जाती है। उपरोक्त प्रयासों से ग्रीष्मकाल में पानी की समस्या को नियन्त्रित करने में काफी सहायता मिलती है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मरुस्थलीय जिलों में लाभान्वित ग्रामों/ढांणियों का विवरण

जिले का नाम	हैण्डपम्प	क्षेत्रीय	पाईप्ड/पी. एण्ड टी. योजनाएँ	टी.एस.एस. /जे.जे.वाई	डिग्गी व अन्य	योग	लाभान्वित ढाणियां (31.12.98 तक)
बाड़मेर	50	1296	161	8	39	1554	1816
बीकानेर	0	342	147	13	59	556	390
चूरू	0	708	133	77	0	918	190
जैसलमेर	93	368	19	2	25	507	994
जालौर	0	570	93	2	0	665	566
झुंझुनू	72	205	110	437	0	824	91
जोधपुर	44	519	264	26	0	853	2196
नागौर	63	740	345	223	21	1373	1845
पाली	278	364	175	87	0	904	803
सीकर	237	65	91	528	2	923	2663
गंगानगर	915	1553	103	3	121	2675	2915
हनुमानगढ़	505	835	225	0	39	1604	1338
	2257	7565	1866	1406	282	13356	15807

नोट :—भारत सरकार के नार्मरा के अनुसार किसी भी ढाणी से वाटर पाइन्ट 1.6 km तक की दूरी तक स्थिति होने पर उस ढाणी को पेयजल से लाभान्वित माना जाता है।

मदिरा निर्माण इकाइयों में प्रदूषण संयंत्र

17. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) श्री निर्भय लाल (रूपवास) श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने शराब के कारखाने कहां-कहां किस नाम से लगे हुए हैं? उक्त कारखाने कब पंजीकृत हुए? क्या उनको प्रदेश में स्थापित करने के लिये कोई नीति बनायी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदूषण रोकने के लिए किन-किन शराब के कारखानों में प्रदूषण निवारण (अलग से) प्लान्ट लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में शराब बनाने की विभिन्न डिस्टलरीज, ब्रेवरीज व बोटलिंग प्लांटस तथा उनके पंजीकरण की तिथि निम्नानुसार है :—

(आबकारी मंत्री)

क्र. सं.	इकाई का नाम/स्थान	पंजी. दिनांक
(क)	**डिस्टलरीज : —**	
1.	उदयपुर डिस्टलरी कं.लि. उदयपुर	31.7.50
2.	मेवाड़ डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स भोपालसागर, चित्तौड़गढ़	21.7.67
3.	हबर्टसंस लि. यूनिट सोना डिस्टलरी एम.आई.ए. अलवर	30.12.74
4.	दी गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर	2.1.60
5.	ग्लोबल एग्रो. लि. श्यामपुर, तह. बहरोड़ (अलवर)	24.11.95
6.	एलाईड रोमेक स्प्रिट एण्ड वाइन इंडिया लि. तह. बहरोड (अलवर)	6.6.97
(ख)	**ब्रेवरीज : —**	
1.	राज. ब्रेवरीज लि. ग्रा. शाहजहांपुर जिला अलवर	6.12.80
2.	माउंट शिवालिक इण्ड. लि. ग्राम गूंती त. बहरोड़ (अलवर)	24.11.95
3.	रेनबो ब्रेवरीज लि. ग्रा. शिवाड़ सवाई माधोपुर	25.11.95
4.	बिन्सम ब्रेवरीज लि. ग्रा. सारेखुर्द तह. तिजारा, अलवर	26.5.96
5.	रोचीज ब्रेवरीज लि. इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्रा. निमराना (अलवर)	4.9.97
(ग)	**बोटलिंग प्लांट : —**	
1.	आर.एन.प्रोडक्टस इण्ड. एरिया बोरानाड़ा, जोधपुर	6.1.87

क्र. सं.	इकाई का नाम/स्थान	पंजी. दिनांक
2.	अजन्ता केमि. मत्स्य इण्ड. एरिया, अलवर	14.5.87
3.	अलवर माल्ट एण्ड एग्रो. फूड्स मैन्यू. कं. प्रा. लि., अलवर	23.5.87
4.	शिवालिक किनेगा प्रा.लि. विश्वकर्मा इण्ड. एरिया, जयुपर	25.5.87
5.	जयपुर बोटलिंग प्लांट करतारपुरा इण्ड. एरिया, जयपुर	3.7.87
6.	रियल ब्रेवरीज प्रा.लि. कनकपुरा इण्ड. एरिया, जयपुर	7.7.87
7.	सम्राट बोटलर्स औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, अलवर	5.10.87
8.	निकोलस प्रा.लि. इण्ड. एरिया, जैतपुरा, जयपुर	2.5.92
9.	इन्टरलिंक एक्सपोर्ट प्रा. लि. आबूरोड़	24.12.91
10.	व्यंकटेश इण्ड. प्रतापनगर इण्ड. एरिया, उदयपुर	10.4.88
11.	के.के. इण्ड.लि.इण्ड.एरिया, कोटा	24.4.88
12.	गोल्डन बोटलिंग प्रा. लि. भिवाड़ी	13.9.89
13.	विन्टेज डिस्टलरी लि. अलवर	11.1.96
14.	जगतजीत इण्ड सोतानाला (बहरोड़)	10.2.99

राजस्थान भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर तथा शोधित प्रासव (भारत निर्मित विदेशी मदिरा निर्माण का मुख्य कच्चा माल) के मामले में स्वावलंबी नहीं है तथा राज्य की मांग की पूर्ति हेतु अन्य प्रदेशों से आयात

(आबकारी मंत्री)

करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार द्वारा इन इकाइयों को स्थापित करने के लिए लचीली नीति अपनाई गई है। इकाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र/आशय पत्र देने से पूर्व आवेदक की औद्योगिक पृष्ठ भूमि पूंजी विनियोजन की क्षमता, उत्पादन के विपणन की संभावनाएं, कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीकी जानकारी की उपलब्धता, जिला प्रशासन की अनापत्ति जल व विद्युत सप्लाई की स्थिति आदि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के बाद आशय पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(2) प्रश्न के खण्ड एक में अंकित समस्त डिस्टलरीज तथा ब्रेवरीज में प्रदूषण निवारण संयंत्र लगाये हुए हैं। बोटलिंग प्लांट्स में प्रदूषण संबंधी समस्या नहीं होती है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाईमाधोपुर) का तार चोरी प्रकरण

18. **डा. किरोड़ीलाल मीणा** (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1989 से फरवरी, 1999 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बिजली के तारों की चोरी करने के अनेक प्रकरण विद्युत् मण्डल के सामने आए हैं? यदि हां, तो किस-किस गांव से, कब-कब, कितनी-कितनी दूरी के तार चोरी हुए? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी प्रकरणों की पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है? यदि हां, तो कुल कितने मुकदमे किस-किस थाने में दर्ज कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जब तक सम्बन्धित प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं हो जाती, तब तक सम्बन्धित गांव/उपभोक्ता की लाइन पुनः नहीं खींची जाती है? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव व उपभोक्ता हैं, जिन्हें विद्युत आपूर्ति से महरूम रखा गया है? ग्राम व वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मार्च, 1989 से मार्च, 1998 (अब तक) तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में तार चोरी के कुल 51 प्रकरण सामने आये हैं। इन प्रकरणों को ग्रामवार व दिनांक सहित सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त प्रकरणों में से 50 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थानों में दर्ज करवाई गई है। लेकिन एक प्रकरण में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की वजह से फिलहाल थाने का नाम बता पाना संभव नहीं हो पा रहा है। दर्ज प्रकरणों का थानेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	थाने का नाम	दर्ज एफ.आई.आर. की संख्या
1.	बामनवास	21
2.	बौंली	28
3.	मलारना डूंगर	1
	कुल	**50**

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी, हाँ। चोरी के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाने के पश्चात् ही लाईन खेंचने सम्बन्धित कार्य किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कुल 11 गांवों में तार चोरी होने के पश्चात् लाईन नहीं खेंची गई है। तार चोरी के कारण कुल 36 उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति से प्रभावित हुये हैं, जिनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

विधानसभा क्षेत्र बामनवास में तार चोरी के थानों में दर्ज प्रकरण की एफ.आई.आर. संख्या व सूची दिनांक सहित सूची : –

क्र. सं.	गांव का नाम/स्थान	चोरी की घटना की दिनांक	तार की लम्बाई	एफ.आई.आर. नम्बर व रिपोर्ट दिनांक	पुलिस थानों का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	डामर	10.2.97	एल.टी. लाइन 0.8 कि.मी.	23/97, 3.3.97	बामनवास
2.	पुनवाड़ा	3.3.97	11 के.वी. 2.7 कि.मी.	29/97, 3.3.97	बामनवास
3.	बाटोड़ा (वरनाला)	19.4.97	11 के.वी. 5.2 कि.मी.	67/97, 22.4.97	बामनवास
4.	बाटोदा (वरनाला)	5.5.97	11 के.वी. 1.8 कि.मी.	71/97, 6.5.97	बामनवास
5.	मांडल गांव	5.5.97	एल.टी. 0.9 कि.मी.	71/97, 6.5.97	बामनवास
6.	खेडली	5.5.97	एल.टी. 0.6 कि.मी.	71/97, 6.5.97	बामनवास
7.	गूजर ठीकरिया	22.5.97	एल.टी. 1.8 कि.मी.	85/97, 24.5.97	बामनवास
8.	सीतोड़	2.5.97	एल.टी. 1.5 कि.मी.	59/97 2.5.97	बामनवास
9.	बरनाला से टिगरिया	–	11 के.वी. 4.8 कि.मी.	114/97 2.7.97	बामनवास
10.	बैराडा	–	एल.टी. 1.5 कि.मी.	123/97, 18.7.97	बामनवास
11.	भंवरकी से नारोती	–	11 के.वी. 1.2 कि.मी.	124/97, 19.7.97	बामनवास
12.	यान्दन होली	8.8.97	एल.टी. 1.2 कि.मी.	138/97, 9.8.97	बामनवास
13.	गूजर ढकरिया	10.8.97	एल.टी. 1.2 कि.मी.	147/97, 16.8.97	बामनवास
14.	विछोछ	2.9.97	एल.टी. 1.6 कि.मी.	198/97, 4.9.97	बामनवास
15.	नारोल चोड़	2.9.97	एल.टी. 2.7 कि.मी.	6/98, 14.1.97	बामनवास
16.	फुलवाडा	2.9.97	एल.टी. 1.2 कि.मी.	59/98, 19.3.98	बामनवास
17.	पिपलई	2.9.97	एल.टी. 1.5 कि.मी.	128/98, 30.6.98	बामनवास
18.	ककराल	2.9.97	एल.टी. 3.6 कि.मी.	163/98, 26.7.98	बामनवास
19.	जिवद	2.9.97	एल.टी. 1.2 कि.मी.	171/98, 4.8.98	बामनवास
20.	बैराड़ा	19.11.96	एल.टी. 2.2 कि.मी.	उपलब्ध नहीं	बामनवास
21.	जाहरा से बड़ीला	7.4.97	11 के.वी. 3.0 कि.मी.	3/97, 4.8.98	बामनवास

(ऊर्जा मंत्री)

1	2	3	4	5	6
22.	बरनाला	26.7.97	11 के.वी. 4.2 कि.मी.	12/97, 4.8.98	बामनवास
23.	आलूदा	3.4.96	11 के.वी. 0.8 कि.मी.	68/96, 5.4.96	बौंली
24.	पुरा गुलाबसिंह	5.6.96	11 के.वी. 1.6 कि.मी.	94/96, 5.6.96	बौंली
25.	हरसोता	30.12.96	11 के.वी. 0.630 कि.मी.	2567, 30.12.96	बौंली
26.	खासा	9.1.97	11 के.वी. 1.0 कि.मी.	9/97, 19.1.97	बौंली
27.	मित्रपुरा	20.2.97	11 के.वी. 2.10 कि.मी.	3133, 22.2.97	बौंली
28.	आलूदा	25.4.97	11 के.वी. 1.5 कि.मी.	98/97, 5.5.97	बौंली
29.	धनेखरा	7.5.97	11 के.वी. 0.9 कि.मी.	94/97, 16.5.97	बौंली
30.	गाडोता	19.5.97	11 के.वी. 1.6 कि.मी.	328/, 23.5.97	बौंली
31.	पुनेता	27.5.97	11 के.वी. 1.4 कि.मी.	472/, 10.6.97	बौंली
32.	पिपलदा	5.5.97	11 के.वी. 1.208 कि.मी.	93/97, 16.5.97	बौंली
33.	गुगरोड़	15.5.97	11 के.वी. 3.0 कि.मी.	स्पेशल 1/25.6.97	बौंली
34.	अनियाला	25.6.97	11 के.वी. 6.2 कि.मी.	113/97 27.6.97	मलारनाडूंगर
35.	घाटा नैनवाडी	13.7.97	0.8 कि.मी.	138/97, 21.7.97	बौंली
36.	घाटा नैनवाडी	2.9.97	1.21 कि.मी.	स्पेशल-1 3.8.97	बौंली
37.	जस्टाना	16.12.97	2.01 कि.मी.	77/97, 5.5.97	बौंली
38.	जस्टाना	10.2.97	1.2 कि.मी.	77/97, 5.5.97	बौंली
39.	शिशोलाव	9.4.98	0.4 कि.मी.	55/98, 2.5.98	बौंली
40.	कोलाड़ा	27.4.98	1.6 कि.मी.	55/98, 2.5.98	बौंली
41.	शिशोलाव	29.4.98	1.5 कि.मी.	55/98, 2.5.98	बौंली
42.	शिशोलाव	2.5.98	0.4 कि.मी.	85/98, 2.5.98	बौंली
43.	शिशोलाव	2.5.98	1.0 कि.मी.	85/98, 2.5.98	बौंली
44.	शिशोलाव	19.5.98	0.81 कि.मी.	107/98, 26.5.98	बौंली
45.	सेदगीबोली	2.6.98	2.211 कि.मी.	113/98, 10.6.98	बौंली
46.	पिपलदा	11.6.98	2.613 कि.मी.	114/98, 13.6.98	बौंली
47.	आलूदा	15.6.98	2.814 कि.मी.	112/98, 10.6.98	बौंली
48.	बौली (सेगदी)	15.6.98	1.6 कि.मी.	112/98, 10.6.98	बौंली
49.	गुंगवाडा	3.10.98	1.2 कि.मी.	1282, 12.10.98	बौंली
50.	कोलाडा	14.10.98	1 कि.मी.	1390, 21.10.98	बौंली
51.	मामडोली	25.1.99	0.63 कि.मी.	2012, 27.1.99	बौंली

(ऊर्जा मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में तार चोरी के बाद जिन गांवों में लाईन नहीं खीचीं गई है, उन गांवों की प्रभावित उपभोक्ता समेत सूची :—

क्र. सं.	गांव का नाम	पंचायत समिति का नाम	चोरी की दिनांक	विद्युत आपूर्ति से वंचित उपभोक्ताओं की संख्या
1.	जस्टाना	बौंली	16.2.97	2
2.	आलूदा	बौंली	25.4.97	2
3.	पुनेता	बौंली	27.5.97	1
4.	गुगडोद	बौंली	15.6.97	1
5.	शिशोलाय	बौंली	9.4.98	3
6.	कोलाडा	बौंली	27.4.98	1
	कोलाडा	बौंली	14.10.98	3
7.	मामडोली	बौंली	25.1.99	1
8.	गंगवाडा	बौंली	3.10.98	4
9.	ककराला	बामनवास	26.7.98	16
10.	गूजर की ठीकरिया	बामनवास	22.5.97	1
11.	बैराडा	बामनवास	19.11.96	1
	कुल योग			36

विधान सभा क्षेत्र नैनवां में राहत कार्य

19. श्री प्रभूलाल करसोल्या (नैनवां) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नैनवां के गांवों में पानी का स्तर काफी नीचे चले जाने से फसल नष्ट हो गई है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अकाल राहत कार्य खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र में गांवों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, किन्तु फसल नष्ट नहीं हुई है।

(2) फेमिन कोड के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर ने गिरदावरी के अन्तिम प्रतिवेदन में फसल खराबा नहीं होने की सूचना दी है। इस कारण जिले में अभाव स्थिति की घोषणा नहीं की गई है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

20. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री फतेह सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कितनी सिंचाई परियोजना अपूर्ण है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गोपालपुरा सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए तीन वर्ष पूर्व किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार अपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृत कर पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि पिपलोन, कुण्डीया, खजुराद्ध (कोटड़ा) कोटड़ी बगायचा, टिम्बा, मुहुडी सिमेला, देवकीनाका, अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं? क्या सरकार उक्त परियोजना को स्वीकृत कर पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत तीन सिंचाई परियोजनाऐं अधूरी हैं। सूची परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) गोपालपुरा सिंचाई परियोजना के किसानों को डूब क्षेत्र का आंशिक भुगतान किया जा चुका है। कलिंजरा, चरखनी व हिम्मतगढ़ी परियोजनाओं का कार्य वर्ष 1999-2000 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) सभी परियोजनाएं अकाल राहत मद में शुरु की गई थीं जिसमें टिम्बा महुड़ी वर्ष 1994-95 में पूर्ण हो गई थी। ये सभी सिंचाई परियोजनाएं 50 एकड़ से अधिक की सिंचाई क्षमता अर्जित करने वाली हैं इसलिये सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे कराने का कार्य प्रगति पर है। तखमीना बनाकर लाभ-लागत का निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य करवाये जावेंगे।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जो तीन सिंचाई परियोजनाएं अधूरी हैं उनकी सूची

	अनु. लागत (लाखों में)	सम्भावित सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर में)
1. कलिंजरा	848.00	1879
2. चरखनी	68.31	302
3. हिम्मतगढ़ी	188.75	230

नगरपालिका भीण्डर (उदयपुर) का दूरसंचार विभाग को भू-आवंटन प्रकरण

21. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर पालिका भीण्डर, जिला उदयपुर द्वारा दूरसंचार विभाग को कोई भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां, तो कौन-कौनसी भूमि कब-कब कितनी-कितनी दर पर? इस हेतु पालिका द्वारा समय-समय पर पारित किए गए प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पालिका द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार भूमि का आवंटन नहीं कर दूसरी भूमि का आवंटन किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या इस हेतु पालिका द्वारा भूमि क्रय की गई? यदि हां, तो कितनी भूमि, किन व्यक्तियों से किस दर से तथा इसका भुगतान किस तरह किया गया? पालिका द्वारा इस हेतु निष्पादित क्रय एवं विक्रय विलेखों तथा भुगतान की रसीदों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(4) क्या इस प्रकरण में करोड़ों रुपये की अनियमिततायें हुई हैं ? क्या इसकी कोई जांच करवायी गई ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा तथा इसमें किस-किस को दोषी पाया गया ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इस प्रकरण में लिप्त दोषियों को दण्डित कर करोड़ों रुपये की हुई राजस्व हानि को वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। नया पोस्ट ऑफिस के पास एवं शाहजी की भांगल के पास दिनांक 31-3-93 एवं 6-10-93 को दूरसंचार विभाग को 35/- रु. प्रति वर्ग फीट एवं 20/- रु. प्रति वर्ग फ़ीट की दर से भूमि आवंटित की गई है। पालिका के प्रस्ताव की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अन्य भूमि दिये जाने का मण्डल द्वारा प्रस्ताव लिया गया। उस भूमि को विभाग द्वारा लेने से इंकार करने पर मण्डल प्रस्ताव द्वारा भूमि क्रय कर विभाग को दी गई।

(3) नगर पालिका द्वारा 57,768 वर्ग फीट जमीन सर्वश्री दुर्गाशंकर, रामसुखी बाई, श्री शांतिलाल, श्री किरण कुमार से क्रय की गई जो 45/- रु. एवं 50/- रु. प्रति वर्ग फीट की दर से नेगोसियेशन कर रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की गई तथा इसका भुगतान चैक द्वारा एवं नकद राशि द्वारा किया गया। पालिका द्वारा निष्पादित क्रय एवं विक्रय विलेखों एवं भुगतान की रसीदों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) जी, हां। इसकी प्रारम्भिक जांच क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय, उदयपुर से करवाई गई, जिसमें अनियमिततायें पाई गई हैं। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के सारांश से प्रथम दृष्टया अधिशाषी अधिकारी को दोषी पाया है, जिनको निलम्बित कर विभागीय जांच, प्रारम्भ कर दी गई है तथा अध्यक्ष, नगर पालिका भीण्डर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त होने के पश्चात् समुचित कार्यवाही की जावेगी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) मामले की जांच कर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति प्रकरण

22. डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर में पेयजल आपूर्ति के क्या-क्या स्रोत हैं ? क्या इन स्रोतों से पानी पर्याप्त मात्रा में फिल्टर करके सप्लाई किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. के. सी. चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्रोतों में से सबसे बड़ा स्रोत मकरेड़ा का पानी पिछले कुछ वर्षों से खारा एवं दूषित हो गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या यह भी सही हैं कि उक्त मकरेड़ा तालाब के आस-पास स्थित रंगाई एवं छपाई इत्यादि की फैक्ट्रियों का दूषित पानी इस तालाब में बहकर आ रहा है जिससे पानी निरन्तर दूषित होता जा रहा है?

(4) क्या सरकार अब मकरेड़ा तालाब के पानी के खारेपन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्यावर शहर में पेयजल आपूर्ति मकरेड़ा, जालिया एवं सेन्दड़ा स्थित कुओं से तथा बीसलपुर बांध से की जाती है। बांध से प्राप्त पानी को फिल्टर करके वितरित किया जाता है। कुओं से प्राप्त पानी को फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(2) जी, नहीं। मकरेड़ा से प्राप्त पानी की गुणवत्ता विभागीय मापदण्ड की परिधि में है।

(3) ब्यावर शहर के धरातल के अनुसार शहर का दूषित पानी वर्षा के पानी के साथ मकरेड़ा तालाब में भरता है परन्तु अभी तक मकरेड़ा स्थित कुओं से प्राप्त पानी की गुणवत्ता विभागीय मापदण्ड की परिधि में है।

(4) जी, नहीं।

विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का व्यय

23. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार को विभिन्न केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में कितनी राशि दिनांक 28-2-99 तक प्राप्त हुई। योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से दिनांक 28-2-99 तक कितनी राशि वास्तव में लाभार्थी तक वितरण/व्यय कर दी गई? क्या उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को प्राप्त हो गये हैं?

(3) उक्त राशि व्यय न होने के मदवार क्या कारण है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में इस वर्ष 28 फरवरी, 1999 तक 638 करोड़ 65 लाख 32 हजार रुपये की प्राप्ति हुई। योजनावार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त राशि में से दिसम्बर, 1998 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 410 करोड़ 42 लाख 62 हजार रुपये योजनाओं पर व्यय कर दिये गये हैं। इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभागों द्वारा सीधे भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों को प्रेषित किए जाते हैं।

(3) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राशियों की प्राप्ति एवं वितरण एक नियमित प्रक्रिया है तथा राशियों की प्राप्ति एवं व्यय में कुछ समय का अन्तर रहना स्वाभाविक है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-4 की छाया प्रति)

राजस्थान सरकार

आबकारी विभाग

आबकारी/अफीम हानिकर भेषज अधिनियम के अन्तर्गत विधि-निषिद्ध वस्तुओं के अभिग्रहण अथवा गिरफ्तारी का प्रथम सूचना प्रतिवेदन

संख्या 19/1998-99 दिनांक 12/2/99

1. वृत्त का नाम : नीमकाथाना जिला सीकर
2. प्रतिवेदन अधिकारी का नाम : मदनलाल पद : P.O.E.P.F. श्री माधोपुर
3. अभिग्रहण अथवा गिरफ्तारी का दिनांक : 12/2/99
4. अभिग्रहण अथवा गिरफ्तारी का समय : 6.30 PM.
5. अभिग्रहण अथवा गिरफ्तारी का स्थान : बज्जाराम के रिहायशी मकान खेतड़ी मोड़, नीमकाथाना
6. अभिग्रहित वस्तुओं की मात्रा और विवरण : एक प्लास्टिक जरीकेन में पांच बोतल नाजायज शराब बरामद
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का विवरण

नाम	उपनाम, यदि कोई हो तो	पिता का नाम	जाति	आयु	निवास स्थान
बन्नाराम		मूलाराम	मीणा	56 साल	खेतड़ी मोड़ नीमकाथाना P.S. नीमकाथाना

8. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की विवरणात्मक पूंजी (Descriptive roll) :–

शरीर रचना : — दुबला/पतला

ऊंचाई : — 5 फुट 6 इंच करीब

रंग रूप : — गेहूंआ

केश : — सफेद/काले

ललाट : — साधारण

चोट के अथवा अन्य चिह्न : — दाहिने हाथ की छोटी अंगुली टूटी हुई है।

मुखाकृति (नेत्र, नासिका, कर्ण, कपोल और त्वचा) ————————

अन्य विशिष्ट चिह्न————————

9. अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत अभियोग बताया : 76/54 RE ACT 1950

10. पता लगाने वाले अधिकारी का नाम, पद और नियुक्ति स्थान : —

मदनलाल POROF श्रीमाधोपुर

11. पता लगाने में जिन अधिकारियों ने सहायता की उनके नाम, पद तथा नियुक्ति स्थान :

श्री चंदगीराम गार्ड आबकारी वृत्त नीमकाथाना

12. पूर्व की दोषसिद्धियों का विवरण : ——————————

13. अभियोग का संक्षिप्त विवरण : —आज दिनांक 12/2/99 को रेड गस्त के दौराने मुखबीर की गुप्त सूचना के आधार पर बन्नाराम के रिहायशी मकान की तलाशी ली तो एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच बोतल (5) नाजायज शराब बरामद हुई। मौके की कार्यवाही मौके पर की H.Q. आकर FIR जारी की तफ्शीश जारी है।

14. अभ्युक्ति : —

निरीक्षक————
आबकारी————
जिला————

प्रस्तुत :

श्रीमान् ACJM साहब प्रथम वर्ग नीमकानाथा

1. ....न्यायालय————
2. आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर।
3. उपायुक्त/जिला/सहाय/आबकारी अधिकारी सीकर
4. ....

....

क्रमांक 44 दिनांक 13/2/99

निरीक्षक————
आबकारी————
जिला————

यह प्रतिवेदन वृत्त निरीक्षक द्वारा अभियोग संस्थापन के 24 घंटों के भीतर सम्बन्धित न्यायालय, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर को प्रस्तुत किया जावे।

एमीलक द्रव्यों के सम्बन्ध में इसकी एक प्रतिलिपि प्रमीलक (Narcotics) आयुक्त, ग्वालियर को भेजी जावे।

इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में अभियोग की प्रविष्टियां आ.ज. 10 में की जायेंगी और प्रत्येक अभियोग के लिए एक पत्रावली खोली जावेगी।

इस प्रपत्र के पद संख्या 1 से 7 तक की प्रविष्टियां स्पष्ट एवं सुदात्रय लेख में अंकित की जानी चाहिये।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-15 की सूची)

बांडी बेसिन परियोजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों की सूची

1. जगन्नाथपुरी ए 200 फुट रोड
2. कालवाड़ रोड़ क्रोसिंग के पास बाइपास
3. श्रीराम पार्क संजय नगर ए जे.डी.ए. पार्क
4. श्रीराम पार्क संजय नगर ए जे.डी.ए. पार्क
5. भौगिया नगर कालवाड़ रोड
6. कलां कुंज जे.डी.ए. पार्क
7. श्याम पार्क श्यामपुरी
8. तारा नगर सी.एस.आर. पब्लिक स्कूल
9. श्रीराम नगर एक्सटेंशन
10. ट्रांसफार्मर के पास रामनगर एक्सटेंशन
11. पी.डब्ल्यू.डी. चौकी बाई पास रोड
12. खिरनी फाटक तारा नगर डी
13. तारा नगर डी हरी नगर बस स्टाप
14. तारा नगर ए जे.डी.ए. पार्क
15. राम नगर बस स्टाप
16. चौधरी सर्कल श्रीराम नगर
17. खिरनी फाटक बाइपास जोन "सी"
18. चांद बिहारी नगर
19. भौमिया नगर कालवाड़ रोड
20. पथिक नगर श्रीराम नगर एक्सटेंशन

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-20 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्मिक विभाग

(क-ग्रुप-II)

सं. एफ-2(20)कार्मिक/क-2/84 जयपुर, दिनांक 28-7-97

अधिसूचना

भारत से संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् : —

संशोधन

उक्त नियमों में : —

1. नियम 6 में संशोधन : नियम 6 के विद्यमान परन्तुक (9) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात: —

"(10) परन्तु उन व्यक्तियों को जो जिलेदार और कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर क्रमशः तारीख 31-12-82 और 28-2-97 तक तदर्थ/स्थानापन्न/अर्जेन्ट अस्थाई आधार पर नियुक्त किये गये थे और उस तारीख को, जिसको यह संशोधन प्रवृत्त हुआ है, इसी रूप में निरन्तर कार्य कर रहे हैं, नियम 24 में निर्दिष्ट समिति द्वारा क्रमशः जिलेदारों तथा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए स्क्रीन किया जायेगा, यदि वे सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए इन नियमों में विहित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।"

2. नियम 28 में संशोधन : नियम 28 के विद्यमान अन्तिम परन्तुक के पश्चात् अगली क्रम संख्या पर निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् : —

"नियम 6 के परन्तुक (10) के अधीन, जिलेदार और कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पदों के लिए स्क्रीन किये गये तथा उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों को पारस्परिक वरिष्ठता समिति द्वारा धारित पदों पर अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर उनकी निरन्तर सेवा अवधि के आधार पर अवधारित की जायेगी और ये व्यक्ति उन व्यक्तियों से रैंक में कनिष्ठ होंगे जो इस संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख तक जिलेदार या कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किये गये थे।"

राजस्थान सरकार

सिंचाई विभाग

मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प-1/14/सिं./97

जयपुर, दिनांक 27-8-98

विषय : **जिलेदार के पदों को वर्तमान नियमों के अनुसार भरने की स्वीकृति**
प्रसंग : **आपका पत्र क्रमांक 315 दिनांक 8-7-98**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि राजस्व कर्मियों के संवर्ग को कम करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है तथा राजस्व संवर्ग की संख्या निर्धारण हेतु कार्यवाही शीघ्र की जावेगी। अतः इस स्तर पर 50% पद पदोन्नति से भरने की कार्यवाही करें। सीधी भर्ती से पदों को भरने की कार्यवाही राजस्व कर्मियों की संख्या निर्धारण के बाद ही की जावेगी।

भवदीय
शासन उप सचिव

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-24 का विवरण)

राजस्थान एवं दिल्ली से प्रकाशित विभिन्न समाचार-पत्रों में दिये गये विज्ञापनों का विवरण—अखबार का नाम

अखबार का नाम	वर्ष 1998		वर्ष 1997-98		वर्ष 1996-97		वर्ष 1995-96	
	कुल. का. सै.	राशि	कुल. का. सै.	राशि	कुल. का. सै.	राशि	कुल. का. सै.	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. राजस्थान पत्रिका								
(क) संयुक्त संस्करण	2477	1737436/-	5174	3709947/-	6397	4172964/-	—	5730147/-
(ख) जयपुर	2497	1073028/-	2282	1085173/-	879	544808/-	—	35229/-
(ग) बीकानेर	408	54780/-	902	148940/-	781	106794/-	—	125019/-
(घ) जोधपुर	518	93911/-	1135	175447/-	897	137896/-	—	183180/-
(ङ) उदयपुर	532	85956/-	852	148540/-	761	138216/-	—	189903/-
(च) कोटा	544	70733/-	607	82175/-	654	69214/-	—	148790/-
(छ) कोटा-उदयपुर	121	44305/-	30	8550/-			—	—
(ज) जयपुर-बीकानेर	81	45735/-	—	—	14	8400/-	—	—
(झ) जयपुर-जोधपुर	233	131660/-	37	21460/-	—	—	—	—
(ञ) बीकानेर-कोटा	80	19200/-	—	—	—	—	—	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2. दैनिक नवज्योति								
(क) संयुक्त संस्करण	1268	653987/-	1902	1103325/-	1957	1032258/-	—	620344/-
(ख) जयपुर	1172	310333/-	334	109431/-	1045	229579/-	—	23538/-
(ग) अजमेर	825	193295/-	886	207438/-	1015	366285/-	—	249946/-
(घ) कोटा	62	10850	37	16975/-	427	98418/-	—	7260/-
(ड) जयपुर-अजमेर	—	—	74	23570/-	155	62150/-	—	28000/-
(च) जयपुर-कोटा	—	—	24	8640/-	—	—	—	—
3. दैनिक भास्कर								
(क) संयुक्त (राज. संस्करण)	583	358806/-	152	33620/-	—	—	—	—
(ख) जोधपुर	44	22050/-	—	—	—	—	—	—
(ग) जयपुर	838	292126/-	—	—	—	—	—	—
(घ) जयपुर नगर	55	24050/-	—	—	—	—	—	—
(ड) अलवर	34	11900/-	—	—	—	—	—	—
(च) अजमेर	100	17500/-	—	—	—	—	—	—
(छ) उदयपुर	71	12425/-	—	—	—	—	—	—
(ज) जयपुर-जोधपुर-कोटा	36	18900/-	—	—	—	—	—	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
(झ) जयपुर-कोटा-बीकानेर	76	46200/-	—	—	—	—	—	—
(ञ) जयपुर-बीकानेर	100	45300/-	—	—	—	—	—	—
(ट) जयपुर-अजमेर	—	—	48	12324/-	—	—	—	—
4. पंजाब केशरी								
(क) दिल्ली	—	—	30	5745/-	—	—	—	—
5. जागरण								
(क) दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	362/-
6. आब्जर्वर (अंग्रेजी)	192	136000/-	30	9000/-	80	12825/-	—	—

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-27 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बाडी अन्तर्गत पं. स. बाडी व बसेड़ी के माह फरवरी, 99 तक विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	2.	3.	1.	2.	3.
	पं.स. बाड़ी		25.	गढीखिराना	28
1.	सिकरा	7/2/2	26.	सिगोरई	29
2.	धीमरी	3	27.	टोंटरी	30
3.	तामोटी	4	28.	पुरामदारी	33
4.	खोरी इब्राहिमपुर	5	29.	रहल	37
5.	खैरारी	6	30.	तकीपुर	38
6.	बटेश्वर खुर्द	8	31.	बदरेठा	40
7.	रेबई	9	32.	खेडली	41
8.	तोतपुरा	10	33.	नंगला बिधोरा	42
9.	सनोरा	11	34.	धुरवास	43
10.	रिछई	12	35.	खेड़ा	45
11.	चिला चोंद	13	36.	अजीतपुर	44
12.	नकसौदा	14	37.	सिकरोदा	47
13.	कांकराई	15	38.	नीमखेडा	48
14.	कोयला	16	39.	कोलुआ	49
15.	ताल उमरेह	17	40.	बीलोनी	50
16.	उमरेह	18	41.	लालोनीहार	51
17.	सागोर	19	42.	विदावली	52
18.	आदमपुर	20	43.	नगला दूल्हेखां	53
19.	सलेमाबाद	21	44.	महुआ खेड़ा	54
20.	महाराजपुर	22	45.	पंजूपुरा	55
21.	सुनीपुर	23	46.	गढी सुखा	56
22.	रुंधनिधारा	24	47.	लालोनी	57
23.	निधारा	25	48.	कुरेन्धा	58
24.	कुहावनी	26	49.	सोहां	59

1.	2.	3.
50.	कंचनपुरा	60
51.	इकबालपुरा	61
52.	जरारी धेसुआ	62
53.	अलीगढ़	64
54.	रूपसपुरा	65
55.	बिदरपुर	66
56.	करेरूआ	68
57.	हांसई	69
58.	उलावटी	71
59.	अफजलपुर	74
60.	जपावली	75
61.	ध्वजपुर	76
62.	अरुआ	77
63.	मरहोली	78
64.	गढी जसोदा	80
65.	पुराबख्तु	83
66.	सुरोठी	84
67.	लखेपुरा	85
68.	जमालपुर	86
69.	सोहास	87
70.	धनोरा	88
71.	रजापुर	89
72.	हुसैनपुर	90
73.	पगुली	91
74.	मडौना	92
75.	खानपुरगूजर	93
76.	पोहपनगर	94
77.	निजामपुर	95
78.	तबाबशाही	96
79.	खानपुर मैना	97
80.	अहमदपुर	98

1.	2.	3.
81.	गुताखुर	99
82.	कासोटी खेडा	100
83.	तालरामसागर	101
84.	नादरोली	102
85.	सहेरी नं. 1	104
86.	सहेरी नं. 2	105
87.	रुधेरा	119
88.	गजपुरा	120
89.	बसईडॉंग	121
90.	बारीपुरा	122
91.	मस्तूरा	123
92.	मोहरी	124
93.	बिजोली	125
94.	मुरावाली	79
95.	मझऊवा	46
96.	उमरी	67
97.	जहांपुर	70
98.	कुटकपुर	81
99.	बैनपुरा माफी	82
100.	शाहपुर	108
101.	जानपुरा	126
102.	नयापुरा	113
103.	नृसिंहपुरा	114
104.	भटेश्वर कलां	7
105.	गावडी	73
	पंचायत समिति बसेड़ी	
106.	नादनपुर	7/1/57
107.	पोहाई	58
108.	कुरगांवा	68
109.	लीलोथी	67
110.	डिगोरी	69

1.	2.	3.
111.	कारकूजरा	70
112.	भिरामद	71
113.	पिपरेट	66
114.	जिन्दापुर	63
115.	नूरपुर	65
116.	सलीमपुर पट्टी	64
117.	अंगाई	62
118.	चिलाखुर	61
119.	रहराई	79
120.	तरवा	80
121.	काकरेट	78
122.	विरजा	83
123.	गूढ़ा	87
124.	सोनी	84
125.	वटीकडा	85
126.	सुरारीकलां	76
127.	सुरारी खुर्द	89
128.	बीजहोली	88
129.	बरोली	77
130.	पवेनी	75
131.	खुरडिया	72
132.	खिन्नोट	74
133.	माधासिला	91
134.	झरपुर	73
135.	किनोसा	92
136.	बड़ागांव	93
137.	चान्दपुरा	94
138.	अर्दपुरा	95
139.	कन्हैयापुरा	96
140.	कृष्णपुरा	97
141.	मेधारी	99
142.	सुभानपुरा	100
143.	विलोनी	98
144.	खेरोली	101
145.	चन्द्रावली	110
146.	गुलालपुरा	109
147.	लोकुपुरा	108
148.	दोमाई	112
149.	कोटा	111
150.	सरमथुरा	90
151.	दादरोली	113

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-32 की प्रतियां)

स्वीकृत धारा डिपो की सूची

माह दिसम्बर, 1998 से दिनांक : 11-3-99 तक स्वीकृत घास डिपो

क्र.सं.	नाम तहसील	स्वीकृत घास डिपो संचालित संस्था का नाम
1	2	3
1.	**तहसील-बाली**	भीमाणा
2.	"	चामुण्डेरी राणावतान
3.	"	नाना
4.	"	बेड़ा
5.	"	भाटून्द
6.	"	बीजापुर
7.	"	सेवाड़ी
8.	"	बिसलपुर
9.	"	पैरवा
10.	"	खीमेल
11.	"	पाचलवाड़ा
12.	"	मुण्डारा
13.	"	लुनावा
14.	"	बाली
योग :—		14
15.	**तहसील-रोहट**	रोहट
16.	"	कलाली
17.	"	सोनाई लाखां
18.	"	बिठू
19.	"	खारड़ा
20.	"	भाखरीवाला
21.	"	झीतड़ा
22.	"	जैतपुर
23.	"	माडावास
24.	"	लाम्बड़ा
25.	"	राणा
26.	"	चेण्डा
27.	"	खुण्डावास
28.	"	धोलेरिया शासन
29.	"	बागड़िया
योग :—		15
30.	**तहसील-रायपुर**	रायपुर
31.	"	सेन्दड़ा
32.	"	बगड़ी
33.	"	देवली-कलां
34.	"	बर
35.	"	नानणा
36.	"	सुमेल
37.	"	चिताड़
योग :—		8
38.	**तहसील-मारवाड़-जंक्शन**	जोजावर
39.	"	मारवाड़-जक्शन
40.	"	माण्डा
41.	"	जाड़न
42.	"	बान्ता
43.	"	राणावास

1	2	3
44.	"	दूदौड़
45.	"	खारड़ी
योग :—		8
46.	**तहसील-पाली**	मनिहारी
47.	"	रुपावास
48.	"	डेन्डा
49.	"	गुन्दोज
50.	"	किरवा
51.	"	बूसी
52.	"	सोनाईमाजी
53.	"	सांपा
54.	"	उतवण
55.	"	मण्डिया
56.	"	दयालपुरा
57.	"	खेतावास
58.	"	खैरवा
59.	"	भांगेसर
60.	"	बालेलावा
61.	"	मण्डिया
62.	"	ढ़ाबर
63.	"	पाली
योग :—		18
64.	**तहसील-जैतारण**	जैतारण
65.	"	निमाज
66.	"	आनन्दपुर-कालू
67.	"	लाम्बियां
68.	"	लौटोती
69.	"	बलून्दा
70.	"	रास
71.	"	फालका
72.	"	गरनिया
73.	"	बलाड़ा
74.	"	कुड़की
योग :—		11
75.	**तहसील-सुमेरपुर**	सुमेरपुर
76.	"	बामनेरा
77.	"	तख्तगढ़
78.	"	कोसेलाव
79.	"	साण्डेराव
80.	"	ढोला
81.	"	अनोपपुरा
82.	"	पालड़ी-जोड़
83.	"	बाकली
84.	"	लापोद
85.	"	चाणोद
86.	"	बिठियां
87.	"	नावी
88.	"	पावा
89.	"	दुजाना
90.	"	साण्डेराव
91.	"	नेतरा
योग :—		17
92.	**तहसील-सोजत**	राजोलाकलां
93.	"	चौपड़ा
94.	"	चाड़वास
95.	"	सरदार समन्द
96.	"	शिवपुरा
97.	"	सुरायता

1	2	3
98.	"	मेव
99.	"	सोजत
100.	"	सोजत-रोड़
101.	"	भैसाणा
102.	"	बैरा घमड़ी का पिपलियां
103.	"	बगड़ी
104.	"	चण्डावल
105.	"	चण्डावल-स्टेशन
106.	"	रायरा-कलां
योग :—		15
107.	**तहसील-देसूरी**	खीवाड़ा
108.	"	नाडोल
109.	"	देसूरी
110.	"	सादड़ी
111.	"	बागोल
112.	"	रानी-खुर्द
113.	"	जवाली
114.	"	सिन्दरली
योग :—		8

स्वीकृत घास डिपो से कार्यरत
घास डिपो की सूची :—

1	2	3
(1)	**तहसील-पाली**	1. पाली
		2. माह फरवरी, 99 से बन्द है ?
(2)	**तहसील-रोहट**	1. ढ़ाबर
		2. रोहट
		3. कलाली
		4. खारड़ा
		5. झीतड़ा
		6. खुण्डावास
		7. माण्डावास

जिला कलेक्टर (सहायक)
पाली

परिशिष्ट - 2

चारा परिवहन अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश

(1) बाहर से चारा परिवहन

अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारे की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवश्यकतानुसार बाहर के क्षेत्रों से चारा परिवहन कर चारा डिपो प्रारम्भ किये जावें। चारा परिवहन हेतु निम्न दरों से चारा परिवहन अनुदान दिया जावें : —

(अ) राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में चारा परिवहन करके लाये जाने वाले चारे पर 30 रुपये प्रति क्विंटल

(ब) राज्य से या बाहर से गन्ना या हरा चारा लाने पर 25 रुपये प्रति क्विंटल

(स) राज्य से बाहर के राज्यों यथा हरियाणा/पंजाब/उत्तरप्रदेश/मध्य प्रदेश आदि से लाये जाने वाले चारे पर 40 रुपये प्रति क्विंटल

परिवहन अनुदान स्वीकृति हेतु आगे के अनुच्छेदों में वर्णित व्यवस्था की अनुपालना की जावें।

(क) परिवहन अनुदान की शर्तें

(1) यह अनुदान तब ही देय होगा जबकि चारा/हरे चारे का परिवहन जिले के बाहर से अथवा राज्य के बाहर से 50 कि.मी. से अधिक की दूरी से परिवहन कर लाया गया हो।

(2) बाहर से परिवहन कर लाया गया चारा जिला कलेक्टर की स्वीकृति से संचालित चारा डिपो पर निर्धारित दर पर बेचा जाये।

(3) उन्हीं संस्थाओं द्वारा चारा लाने पर अनुदान देय होगा जो जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित हो।

(4) जिला कलेक्टरों द्वारा किसी स्वयं सेवा संस्था, पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था या सरकारी संस्था को चारा परिवहन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है जो अनुदान की सभी शर्तों की अनुपालना करेगी।

(ख) विक्रय मूल्य निर्धारण

जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चारा बाहर से लाये जाने सम्बन्धी दस्तावेज देखकर एवं परिवहन अनुदान की राशि घटाकर इस प्रकार विक्रय मूल्य निर्धारित किया जावेगा। बिना लाभ बिना हानि के आधार पर इस प्रकार विक्रय दर निर्धारित करते समय चारे की क्रय कीमत में 7 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वितरण एवं छीजत लागत की पूर्ति हेतु राशि भी क्रय पर हुए व्यय के रूप में जोड़ी जावेगी।

(ग) प्रमाणीकरण

(1) जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि चारा कहां से लाया गया है और कहां वितरण करना है या किया जावेगा।

(2) जहां से चारा लाया गया है उस स्थान को पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण-पत्र व वहां के धर्मकांटे की रसीद संलग्न की जावें।

(3) चारा जिले के मुख्यालय पर या जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित अन्य स्थान पर लाये जाने पर वहां धर्मकांटे पर तुलवाया जावेगा एवं धर्मकांटे की रसीद चारे के अन्तिम तोल का आधार माना जावेगा। जिसकी तस्दीक वहां उपस्थित पटवारी तथा सरपंच या जिला कलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति करेंगे।

(घ) चारा डिपो का निर्धारण एवं निरीक्षण

1. चारा वितरण के लिए चारा डिपो जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित/स्वीकृत किया जावेगा।

2. वितरण डिपो का (चारा डिपो) निरीक्षण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा 15 दिन में एक बार अवश्य किया जावे तथा निरीक्षण रिपोर्ट सहायता विभाग को भिजवाई जावें।

3. चारे के वितरण की तस्दीक करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित पटवारी और तहसीलदार की होगी। चारा परिवहन करने वाली/वितरण करने वाली संस्था को वितरण की तस्दीक करवाने के लिए तस्दीककर्ता के चक्कर न काटना पड़े इसकी समुचित व्यवस्था की जावें।

(च) अनुदान भुगतान

1. अनुदान भुगतान के लिए सभी दस्तावेज मूल रूप से पटवारी और तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किये जायें और उनका भुगतान बिल प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में हो जाना चाहिए।

2. कार्बन कापी या फोटो प्रति पर भुगतान नहीं किया जावें, जिससे दोहरा भुगतान की आशंका न रहे। भुगतान मूल बिलों पर ही किया जावें।

3. सम्बन्धित तहसीलदार का कर्तव्य होगा कि सभी अनुदान बिल शीघ्र तस्दीक कर उनका भुगतान समय पर करें ताकि चारा वितरण के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो।

4. परिवहन अनुदान चारे की वास्तविक मात्रा पर देय होगा जो कि जिला मुख्यालय या जिले के अन्य निर्धारित स्थान पर निश्चित धर्मकांटे की तंस्दीक शुदा रसीद के अनुसार होगी। इसकी व्यवस्था पहले से ही हो जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

विशिष्ट शासन सचिव

सहायता

परिशिष्ट - 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–34 की सूची)

क्र.सं.	जिला	स्वतन्त्र विधि महाविद्यालय का नाम	प्रारम्भ करने का वर्ष
1.	झुंझुनू	बी.एम.लॉ कालेज, पिलानी	1980
2.	हनुमानगढ़	नेहरू मेमोरियल लॉ कालेज, हनुमानगढ़	1980
3.	बांसवाड़ा	डा. नगेन्द्र सिंह विधि महाविद्यालय, बांसवाड़ा	1986

विश्वविद्यालयों के संघटक विधि महाविद्यालयों की सूची

1.	जयपुर	विश्वविद्यालय लॉ कालेज, जयपुर
2.	उदयपुर	विधि महाविद्यालय, उदयपुर
3.	जोधपुर	स्वतन्त्र विधि संकाय

क्र.सं.	जिला	महाविद्यालय का नाम	विधि संकाय/स्वतन्त्र विधि महाविद्यालय	प्रारम्भ करने का वर्ष
1.	अजमेर	राजकीय महा. अजमेर	विधि संकाय	
2.	अलवर	कला एवं विधि महा. अलवर	विधि संकाय	
3.	भरतपुर	एम.एस.जे. महा. भरतपुर	विधि संकाय	
4.	बीकानेर	डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	विधि संकाय	
5.	बीकानेर	बी.जे.एस.आर. रामपुरिया कालेज, बीकानेर (निजी क्षेत्र)	विधि संकाय	
6.	भीलवाड़ा	एम.एल.वी.महा. भीलवाड़ा	विधि संकाय	
7.	बून्दी	राज. महाविद्यालय, बून्दी	विधि संकाय	
8.	धौलपुर	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर	विधि संकाय	
9.	चूरू	राजकीय लोहिया महा. चुरु	विधि संकाय	
10.	झालावाड़	राजकीय महा. झालावाड़	विधि संकाय	
11.	कोटा	राजकीय महाविद्यालय, कोटा	विधि संकाय	
12.	नागौर	राजकीय महाविद्यालय, नागौर	विधि संकाय	
13.	पाली	राजकीय महाविद्यालय, पाली	विधि संकाय	
14.	सीकर	एस.के. महाविद्यालय, सीकर	विधि संकाय	
15.	सिरोही	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	विधि संकाय	
16.	श्रीगंगानगर	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	विधि संकाय	
17.	श्रीगंगानगर	सेठ जी.एल. बिहाणी एस.डी.कालेज, श्रीगंगानगर (निजी क्षेत्र)	विधि संकाय	
18.	श्रीगंगानगर	एस.जी.एन. खालसा, कालेज, श्रीगंगानगर (निजी क्षेत्र)	विधि संकाय	
19.	झुंझुनू	बी.एम.लॉ कालेज, पिलानी (निजी क्षेत्र)	विधि संकाय	1980
20.	हनुमानगढ़	नेहरू मेमोरियल लॉ कालेज, हनुमानगढ़ (निजी क्षेत्र)	स्वतंत्र महा.	1980
21.	बांसवाड़ा	डॉ. नगेन्द्र सिंह विधि महा. बांसवाड़ा	स्वतंत्र महा.	1986
22.	जयपुर	विश्व राज. विश्वविद्यालय लॉ कालेज, जयपुर	स्वतंत्र महा.	
23.	उदयपुर	मो.ला.सु. विधि महाविद्यालय, उदयपुर	स्वतंत्र महा.	
24.	जोधपुर	ज.ना.व्यास विश्वविद्यालय विधि संकाय, जोधपुर	स्वतंत्र महा.	

परिशिष्ट - 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–37 की सूची)

राज्य में संचालित राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	जिला महाविद्यालय का नाम		छात्र संख्या		
			छात्र	छात्रा	योग
1.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय	बीकानेर	276	5	281
2.		जयपुर	474	15	489
3.		मनोहरपुर	1149	49	1198
4.		जोधपुर	168	7	175
5.		उदयपुर	225	26	251
6.		कोटा	546	85	631
7.	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय	महापुरा	404	83	487
8.		कालाडेरा	661	124	785
9.		अलवर	268	101	369
10.		कोटकासिम	486	62	548
11.		दौसा	401	8	409
12.		तलाचगांव	756	46	802
13.		भरतपुर	174	32	206
14.		सरमथुरा	303	–	303
15.		सीकर	315	25	340
16.		नीमकाथाना	378	7	385
17.		चिराणा	445	33	478
18.		अजमेर	194	39	233
19.		बौंली	587	4	591
20.		गनौडा	402	128	530
21.		नाथद्वारा	105	–	105
		योग	8717	879	9596

नौ हजार पांच सौ छियानवें।

परिशिष्ट-2

राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	नाम महाविद्यालय	प्राचार्य		व्याख्याता		वरि. अध्या. I ग्रेड		वरि. अध्या. II ग्रेड		अध्यापक		वरि. लिपिक		कनि. लिपिक		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
1.	राज. आ. सं. का. जयपुर	1	–	15	2	11	–	–	–	–	–	1	–	1	–	6	–
2.	राज. आ. सं. का. बीकानेर	1	–	5	1	7	2	–	–	–	–	1	–	2	1	6	–
3.	राज. आ. सं. का. उदयपुर	1	–	7	3	7	1	–	–	–	–	1	–	2	2	6	–
4.	राज. आ. सं. का. मनोहरपुर	1	–	8	1	10	2	–	–	–	–	2	–	1	–	7	–
5.	राज. आ. सं. का. कोटा	1	1	4	1	3	–	–	–	–	–	2	–	2	1	4	2
6.	राज. आ. सं. का. जोधपुर	1	1	6	–	4	2	–	–	–	–	1	–	2	2	6	3
7.	राज. शा. सं. का. महापुरा	1	–	7	1	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	–
8.	राज. शा. सं. का. कालाडेरा	1	–	6	1	7	3	–	–	–	–	–	–	2	–	4	–
9.	राज. शा. सं. का. दौसा	1	–	7	3	8	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	–
10.	राज. शा. सं. का. तलावगांव	1	–	6	3	5	1	8	1	–	–	1	–	1	–	4	1
11.	राज. शा. सं. का. भरतपुर	1	–	4	1	4	–	5	–	–	–	–	–	2	2	4	2
12.	राज. शा. सं. का. सरमथुरा	1	1	5	4	6	1	8	2	–	–	2	–	1	–	4	3
13.	राज. शा. सं. का. अलवर	1	–	5	1	7	–	5	1	–	–	1	–	2	–	4	–

क्र. स.	नाम महाविद्यालय	प्राचार्य		व्याख्याता		वरि. अध्या. I ग्रेड		वरि. अध्या. II ग्रेड		अध्यापक		वरि. लिपिक		कनि. लिपिक		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
14.	राज. शा. सं. का. कोटकासिम	1	—	6	1	5	1	8	2	—	—	—	—	2	1	5	1
15.	राज. शा. सं. का. सीकर	1	—	7	1	8	2	6	1	—	—	—	—	2	—	4	—
16.	राज. शा. सं. का. नीमकाथाना	1	—	5	2	8	3	4	—	—	—	1	1	1	—	4	1
17.	राज. शा. सं. का. चिराणा	1	1	5	1	5	1	6	—	—	—	2	—	1	—	4	—
18.	राज. शा. सं. का. गनौडा	1	—	6	3	8	4	6	—	—	—	2	—	1	—	4	—
19.	राज. शा. सं. का. अजमेर	1	—	6	—	5	1	4	—	—	—	2	—	1	1	4	—
20.	राज. शा. सं. का. बौंली	1	—	5	1	5	3	7	1	—	—	—	—	2	1	4	—
21.	राज. शा. सं. का. नाथद्वारा	1	—	4	2	5	2	4	—	—	—	2	—	1	1	3	2
	योग	21	4	129	33	136	29	71	8	—	—	21	1	33	13	95	17